लोक-सभा

वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २८, १९५९/१८८०-८१ (शक)

[२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से १४ चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र १९५९/१८८०-८१(शक)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २८, अंक ३१ से ४०—२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से [१४ चैत्र १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ३१—शुक्रवार, २० मार्च, १९५९/२९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४११, १४१४ से १४१६, १४१८, १४२०, १४२१, १४२५, १४२७ से १४२९ और १४३१ . ३६६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ३६९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१२, १४१३, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२६, १४३० और १४३२ से १४४४ . ३६९५—३७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२५५ . . . ३७०४—३७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३७३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३८

विधेयक पर राय ३७३९

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३७३९

सभा का कार्य ३७३९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३७३९—६५

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३७३९—६५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ३७६५

विधेयक पुरःस्थापित: ३७६६–६७

(१) श्री हेम राज का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ७३ का संशोधन) ३७६६

(२) श्री राम शंकर लाल का वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक, १९५९ . ३७६६

(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ और ४ का संशोधन और नई धारा ७ क और ७ ख का रखा जाना) . . . ३७६६

(४) श्री झूलन सिंह का खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक, १९५९ ३७६६–६७

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

राय जानने की अवधि का बढ़ाया जाना . . ३७६७

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक (वाद-विवाद स्थगित) . . ३७६७—६९

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत . ३७६९—८७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३७८७—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७८९—९५

अंक २३—सोमवार, २३ मार्च, १९५९/२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४५ से १४५०, १४५२ से १४५५, १४५७ से १४५९, १४६१ और १४६४ से १४६९ . . ३७९७—३८२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . ३८२१—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५१, १४५६, १४६०, १४६२, १४६३ और १४७० से १४८३ . . . . ३८२२—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ से २३२० . . . ३८३०—५५

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत की स्थिति . . . . . ३८५६—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र— . . . . ३८५९—६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ३८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार का पुनः आरम्भ किया जाना . . . ३८६०—६१

अनुदानों की मांगें . . . . ३८६१—३९०६

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . . . . ३८६१—३९०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९०७—१२

अंक ३३—गुरुवार, २६ मार्च, १९५९/५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ से १४९१, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०३, १५०५ और १५०६ . . . ३९१३—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ . . . ३९३७—४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४, १४९२, १४९३, १४९५, १५०१, १५०४ और १५०७ से १५१२ . . ३९४१—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२१ से २३८५ और २३८७ . . ३९४५—७५

विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में . . . . ३९७५—७६

सदस्य की रिहाई ३९७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९७७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता–बम्बई मेल की दुर्घटना . . . ३९७८

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३९७९

अनुदानों की मांगें . . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

घरेलू कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य . . . . ४०१३—१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३४३०—३५

अंक ३४—शनिवार, २८ मार्च, १९५९/७ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१३, १५१७, १५१९ से १५२१, १५२५, १५२६, १५२८ से १५३०, १५३२ से १५३६, १०३१ और १५३१ ४०३७—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४०६१—६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५१६, १५१८, १५२२ से १५२४ और १५२७ . . . . . ४०६३—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८८ से २४६४ . . . ४०६७—९६

श्री कला वेंकट राव का निधन ४०९६-९७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४०९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०९८

प्राक्कलन समिति--

चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन . ४०९९

सभा का कार्य ४०९९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०९९—४१३२

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय . . . ४०९९—४१३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ४१३३

सहकारी कृषि के बारे में संकल्प . . . . . ४१३३—५३

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार को जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१५४—५८

अंक ३५--सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५४८, १५४९, १५५२, १५५६, १५५७ और १५५९ . . . . ४१५९—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . ४१८४—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३७, १५४७, १५५०, १५५१, १५५३ से १५५५, १५५६ और १५६० से १५६४. . . . ४१८८—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६५ से २५२३ . . ४१९४—४२१७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४२१७—२३

स्थगन प्रस्ताव ४२२३—२५

(१) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना ; और ४२२३—२५

(२) दिल्ली में आंधी व तूफान आने से बेघरबार हुए परिवारों को सहायता ४२२५

प्राक्कलन समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . ४२२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर गोली वर्षा ४२२६–२७

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ४२२७

अनुदानों की मांगें ४२२७—६२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ४२२७—३५

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय ४२३६—६२

दैनिक संक्षेपिका ४२६३—६७

अंक ३६—मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९/१० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६५ से १५७०, १५७२ से १५७४, १५७६ और १५७८ से १५८५ . . ४२६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ ४२९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७१, १५७५, १५७७ और १५८६ से १५९१ ४२९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२४ से २५६५ ४३९८—४३१६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३१६

प्राक्कलन समिति—

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४३१७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४३१७—५७

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . ४३१७—५२

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . . ४३५३—५७

महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . ४३५७—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४३७४—६७

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, १ अप्रैल, १९५९/११ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ से १५९४, १५९६ से १५९९, १६०१, १६०२, १६०४, १६०६, १६०७ और १६०९ से १६१३ ४३६९—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९५, १६००, १६०३, १६०५ और १६०८ . ४३८९—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५६६ से २५६९, २५७१ से २६३० और २६३२ से २६३६ . . .४३९१—४४१९

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में एक लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४४१९—२६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४२७–२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . ४४२८

प्राक्कलन समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ४४२८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन ४४२८

तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उत्तर की शुद्धि . . . ४४२८

सदस्य को सदन से बाहर चले जाने के लिये दिये गये आदेश का रद्द किया जाना ४४२९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४४२९—८६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४४२९—७८

वैज्ञानिक, गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ४४७९—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४८७—९२

अंक ३८—गुरुवार, २ अप्रैल, १९५९/१२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१४, १६१५, १६१७ से १६२७, १६२९ और १६३१ से १६३७ . . . .४४९३—४५१८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . ४५१८—२०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६२८, १६३० और १६३८ से १६४० ४५२०—२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ से २६७७ ४५२२—३८

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४५३८—४९

पाकिस्तान से बेरुबाड़ी यूनियन और कूच-बिहार बस्तियों की अदला-बदली के बारे में वक्तव्य ४५४९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५४९—५०

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में वक्तव्य ४५५०—५२

अनुदानों की मांगें . . . . ४५५३—८५

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ४५५३—७५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४५७५—८५

चिनाकुरी कोयला-खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ४५८६—४६०१

दैदिक संक्षेपिका ४६०२—०६

अंक ३९—शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९५९/१३ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ से १६४५, १६४८ से १६५०, १६५२, १६५४, १६५५, १६५७, १६५८ और १६६१ से १६६४ ४६०७—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ ४६३२—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६, १६४७, १६५१, १६५३, १६५६, १६५९ और १६६० ४६३४—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६७८ से २७०७ ४६३७—४९

नियम ३७७ के अधीन सूचनायें ४६४९

नियम २२२ के अधीन सूचना ४६५०

दलाई लामा के बारे में वक्तव्य . ४६५०—५२

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६५२

अनुदानों की मांगें . . ४६५२—४७००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६५२—४७००

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन . . ४७००

पत्तन हज समितियां (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित-- ४७०१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव–वापस लिया गया ४७०१—०८

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत ४७०८—२०

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४७२१

दैनिक संक्षेपिका ४७२२—२५

अंक ४०—शनिवार, ४ अप्रैल, १९५९/१४ चैत्र, १८८१ (शक)

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४७२७

लकड़ी के कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका ४७२७

अनुपस्थिति की अनुमति ४७२७–२८

सभा का कार्य . ४७२८

अनुदानों की मांगें ४७२८—८९
परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४७२८—८३
श्रम और रोज़गार मंत्रालय ४७८४—८९

दैनिक संक्षेपिका ४७९०—९१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, २ अप्रैल, १९५९

१२ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोचीन में नौसैनिक स्कूल[1]

†*१६१४. {श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवल एवियेशन विंग (नौसेना उड्डयन उपविभाग) के नौसैनिकों (रेटिंग्स) के प्रशिक्षण के लिए खोले जाने वाले दो स्कूल स्थापित हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो प्रस्ताव किस स्थिति में है; और

(ग) क्या स्कूल की अन्तिम पाठ-चारिका तथा प्रविवरण पटल पर रखा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामंया)**: (क) तथा (ख). हां श्रीमान्, अस्थायी रूप से ।

(ग) क्योंकि स्कूल केवल उन लोगों को ही प्रशिक्षण देते हैं जो सेवा में हैं और नौसेना उड्डयन कार्य (नेवल एवियेशन ड्यूटीज़) के लिए चुने गये हैं, इसलिए कोई प्रविवरण नहीं निकाला गया है । सुरक्षा की दृष्टि से पाठ-चारिका प्रकाशित करना उचित नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या पिछले वर्ष ब्रिटेन भेजे गये उच्च प्रविधिक नौसैनिकों से यह प्रशिक्षण कार्य लिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: ये स्कूल उच्च प्रविधिक प्रशिक्षण के लिए नहीं हैं । इस प्रशिक्षण की आवश्यकता वायुसेना के सम्बन्ध में नौसेना के विकास से उत्पन्न होती है एवं

†मूल अंग्रेजी में

[1]Naval Ratings School.

यह मुख्यतया वास्तविक चालकों के लिए है। उपमंत्री महोदय ने स्कूलों के "अस्थायी रूप से" स्थापित किये जाने का उल्लेख किया। कारण यह है कि अभी स्कूलों के लिए स्थान कम है। हम केरल सरकार से इस कार्य के लिए कुछ सैनिक संस्थापन देने के लिए वार्ता कर रहे हैं। आशा है कि हमें सफलता मिलेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इन में से एक स्कूल किसी अन्य उचित स्थान पर जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम केरल सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हां। केरल में सैनिक संस्थापन सेना के हैं और आजकल केरल सरकार के अधिकार में हैं। हम उन्हें देने के लिए उन पर ज़ोर दे रहे हैं। हम समझते हैं कि उनकी अपनी कठिनाइयां हैं परन्तु वह हमें अवश्य मिलने चाहियें और हम इसके लिए उन पर ज़ोर दे रहे हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इन दोनों स्कूलों में कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सभा में संख्या कभी नहीं बताई गई।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा संसत्सदस्य इन स्कूलों को देख सकते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इसके सामान्य नियम हैं। यह आने वाले व्यक्तियों पर तथा इस बात पर निर्भर है कि हम उन्हें उनका कितना हिस्सा दिखाते हैं। वे आकर कुछ वस्तुयें देख सकते हैं; और कुछ वस्तुयें नहीं देख सकते हैं। इस विशिष्ट मामले में यदि संसत्सदस्य या विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन से हमारे मैत्री सम्बन्ध हैं, हमारे यहां आते हैं तो इन स्कूल का कुछ हिस्सा उन्हें निश्चय ही दिखाया जा सकता है।

जीव रसायन तथा प्रयोगात्मक औषधि संबंधी भारतीय संस्था, कलकत्ता[1]

\+

†*१६१५. { **श्री सुबोध हंसदा :** / **श्री स० चं० सामन्त :** / **श्री रा० चं० माझी :**

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में जीवरसायन तथा प्रयोगात्मक औषधि सम्बन्धी भारतीय संस्था को प्रयोगशाला के निर्माण की योजना व प्राक्कलन सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशाला बनाने की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस प्रयोगशाला में क्या गवेषणा कार्य किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के शासी निकाय ने संस्था की योजना तथा प्राक्कलन स्वीकार कर लिये हैं।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में संस्था की अनुमोदित योजना में ५३·१२ लाख रु० के कुल व्यय का (२७·६०४ लाख रु० पूंजीगत और २५·५१६ लाख रु० आवर्तक) उपबन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Institute of Bio-Chemistry and Experimental Medicine, Calcutta.

(ग) यह मुख्यकर जीवरसायनिक तथा औषधि के सम्बन्ध में व्यवहार में आने वाली रोगाणु गवेषणा की प्रयोगशाला है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह प्रयोगशाला नई इमारत में खुलेगी और क्या नई इमारत का निर्माण आरम्भ हो गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** भूमि प्राप्त कर ली गई है और इस में भराई होनी है । इस कार्य के होने पर इमारत के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या आजकल किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग में ऐसा कार्य हो रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमें पता नहीं है ।

राष्ट्रमंडलीय आर्थिक परामर्श परिषद्

†१६१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रमंडलीय आर्थिक परामर्श परिषद् नियुक्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् के मुख्य कार्य क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) नहीं श्रीमान्, परन्तु प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) मैं सितम्बर, १९५८ में मान्ट्रियल में हुए राष्ट्रमंडलीय व्यापार तथा आर्थिक सम्मेलन के प्रतिवेदन के पैरा ८४ की ओर ध्यान आकर्षित करती हूं । यह प्रतिवेदन १९-११-१९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था । अभी और विस्तृत रूप में यह बताना सम्भव नहीं है कि परिषद् के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या राष्ट्रमंडल के सारे देशों ने इस परिषद् में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस पर मान्ट्रियल में राष्ट्रमंडलीय व्यवहार तथा आर्थिक सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ था । जिसमें राष्ट्रमंडल के सारे देशों को बुलाया गया था ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिये राष्ट्रमंडल के देशों की कोई बैठक हुई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या सितम्बर, १९५८ में मान्ट्रियल में हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक उप-समिति समय समय पर वित्तीय तथा आर्थिक मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Commonwealth Economic Consultative Council.

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कदाचित माननीय सदस्य लन्दन में हुई सरकारी बैठक का तथा जून में हुई सरकारी अधिकारियों की द्वितीय बैठक का उल्लेख कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्ण विचार कान्फ्रेंस में ही उठाया गया था एवं प्रत्येक बात विचाराधीन है। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

†श्री साधन गुप्त : इस परामर्शदाता परिषद् की नियुक्ति से हमें क्या लाभ होगा ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र मंडल के देशों की आर्थिक कार्यवाहियों का एक निकाय में सूत्रबद्ध करना है।

+ भारत सहायता सम्मेलन[1]

†*१६१८ { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दामानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल में ही वाशिंगटन में भारत के ऋणदाता देशों का एक सम्मेलन बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इस सम्मेलन का क्या परिणाम रहा ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां, भारत को विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये विश्व बैंक के तत्वाधान में १६, १७ मार्च, १९५९ को एक सम्मेलन हुआ था इसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमरीका के सरकारी प्रतिनिधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रेक्षकों ने भाग लिया था।

(ख) बैठक की कार्यवाही से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि १९५९–६० में भारत अपने बाह्य संचितियों को कम किये बिना अपने विकास कार्यक्रमों की गति बनाये रखने की तथा अर्थ-व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आशा कर सकता है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में भी कुछ विचार-विमर्श हुआ था; और यदि हां, तो क्या इस बैठक में उन्होंने तृतीय योजना के लिए कुछ वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है ?

†श्री मोरारजी देसाई : तृतीय योजना के बारे में कोई बात नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Aid India Conference.

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** हमारे मुख्य ऋणदाताओं ने हमारी द्वितीय योजना के लिए अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता देने की इच्छा प्रकट की है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** कोई निश्चित राशि नहीं बताई गई है। इस पर अब प्रत्येक देश से वार्ता होगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या पहिली सहायताओं के प्रयोग में आई कुछ प्रक्रियात्मक और प्राविधिक कठिनाइयां दूर हो गई हैं ताकि प्रयोग न की गई सहायता अब प्रयोग की जा सके ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** कुछ कठिनाइयां दूर हो गई हैं। और इस बारे में कार्य हो रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह : सेकैंड फ़ाइव इयर प्लान में शिपिंग का टार्गेट पहुंचने के वास्ते हमें कम से कम २४ करोड़ रुपये के फ़ारेन एक्सचेंज की आवश्यकता है और जापान और वैस्ट जर्मनी यह दोनों देश ऐसे हैं जो कि शिप्स सप्लाई करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इस फ़ारेन एक्सचेंज के वास्ते कोई प्रबन्ध इस कानून में किया गया है या इन लोगों की कोई बातचीत हुई ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या विद्यमान ऋण के पुनः भुगतान की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार किया गया था ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** प्रत्येक देश से विचार विमर्श करते समय इन सब प्रश्नों पर विचार किया जाता है।

†**श्री च० द० पांडे :** इस दृष्टि से कि भारत जितना व्यय कर सकता है उसे उससे अधिक ऋण तथा सहायता विदेशों से प्राप्त हो गई है, भारत-सरकार उपर्युक्त विदेशी मुद्रा का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी एवं क्या सरकार का विचार प्राथमिकता प्रतिबन्ध हटाने का है ताकि वे लोग जिनकी योजनायें तैयार हैं, उसका प्रयोग कर सकें ?

†**श्री मोराजी देसाई :** प्रश्न आधार गलत है क्योंकि यह ठीक नहीं है कि हमें उससे अधिक सहायता मिल गई है जितना हम व्यय कर सकते हैं। हमें इतना भी नहीं मिला है जितना हम व्यय कर सकते हैं।

†**श्री च० द० पांडे :** समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि विदेशों द्वारा दिये गये धन का आधा धन प्रयोग नहीं किया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** ऐसा कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण हुआ है। वे दूर की जा रही हैं। और सहायता प्रयोग की जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इन बैठकों में भारत को दी जाने वाली सहायता के बारे में कोई निश्चित निर्णय किये गये थे, यदि हां तो क्या हमें उनकी सूचना दे दी गई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह साधारण निर्णय है जो किया जाता है। अब प्रत्येक देश से वार्ता करने का प्रश्न है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि भारत के ऋणदाताओं को, विशेषकर अमरीका को कठिनाई हो रही है क्योंकि विकास ऋण निधि, जिससे सहायता कार्यक्रमों के लिये अधिकतर धन लिया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता है, धन के अभाव के कारण प्राय समाप्त हो गया है और यदि हां तो, क्या हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** विकास ऋण निधि केवल अमरीका की है और किसी देश की नहीं और इसके बारे में वे अवश्य विचार कर रहे होंगे । यह प्रश्न उस समय उत्पन्न होगा जब हम उनके साथ विस्तृत बातों पर विचार विमर्श करेंगे ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में भर्ती

+

*१६१९ { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७६ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो;

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खडगवासला में छात्रों की संख्या में होने वाली कमी को दूर करने के लिये किये गये उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा; और

(ख) इन उपायों के परिणामस्वरूप स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है ?

रक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है ।

(ख) बेहतरी के लिये अभी अभी जो पग उठाये गये हैं, उनका परिणाम जानने के लिये कुछ समय लगेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो या तीन वर्षों में इस अकादमी में कितने केडेट्स को लिया जाना था और कितने नहीं लिये जा सके ?

†**सरदार मजीठिया :** जहां तक अकादमी में केडेट्स लेने का प्रश्न है, यह बताना लोक हित में नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : इस स्टेटमेंट में यह बतलाया गया है कि तीन कदम उठाये गये हैं कि सरविस आफिसर्स के प्रासपेक्ट्स कैसे बढ़ाये जायें । मैं जानना चाहता हूं कि इनके अलावा क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के जो अफसर हैं उनके वेतन का स्केल उतना नहीं है जितना कि और सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं के अन्दर है ? क्या इसके बारे में कोई विचार किया जा रहा है या कोई कदम उठाया जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया :** जहां तक गैर-सरकारी सेवा में भविष्य का सम्बन्ध है, प्रत्येक जानता है कि उद्योग भारत सरकार की अपेक्षा कहीं अधिक दे सकती है । परन्तु वेतन अन्य सरकार की सेवाओं की अपेक्षा बहुत ही अनुकूल हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** उपलब्धियों तथा विशेष पेंशन-लाभ के अतिरिक्त, क्या युवकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा और आवास जैसी सुविधाओं के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** पटल पर रखे गये वक्तव्य में इसका उल्लेख है परन्तु इसके अतिरिक्त हम यथासम्भव सभी कार्यवाहियां कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, हमारी एक परियोजना है जिसके अन्तर्गत अधिक आवास स्थान उपलब्ध होगा । अन्य परियोजनायें भी आरम्भ होंगी । शिक्षा सुविधाओं के बारे में एक योजना विचाराधीन है जिससे उन्हें कुछ सुविधायें प्राप्त होंगी ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

†**सरदार मजीठिया :** पिछले २, ३ वर्ष से उन पर निरन्तर पुनर्विचार हो रहा है और हम सदैव ही उन पर विचार करते हैं ।

†**श्री तंगामणि :** क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में केडेट्स की भर्ती के मामले में राष्ट्रीय छात्र सेना को प्राथमिकता दी जायेगी और यदि हां तो भर्ती की अवस्था क्या होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** हम अकादमी में राष्ट्रीय छात्र सेना से किसी को नहीं लेते । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी युवकों के लिए है । कुछ प्रतिशत राष्ट्रीय छात्र सेना के व्यक्ति सीधे सैनिक कालिजों में जाते हैं ।

†**श्री जोकिम आल्वा :** युवकों में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिये स्पर्धा होने के कारण, मंत्रालय ने युवकों को प्रतिरक्षा सेवा परीक्षण के लिए आकर्षित करने के लिए क्या किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** प्रश्न प्रतिरक्षा अकादमी का है जिसमें १४ से ऊपर की आयु के लड़के लिए जाते हैं न कि भारतीय प्रशासन सेवा के होने वाले उम्मीदवार ।

श्री भक्त दर्शन : खड़गवाला की अकादमी में भरती होने में वे केडेट अधिकांश में सफल होते हैं जो कि भरती होने से पहले सैनिक स्कूल, देहरादून, या ऐसी किसी संस्था में शिक्षा पा चुके होते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी संस्थाओं को बढ़ाने का या देहरादून के सैनिक स्कूल में भरती होने वालों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया :** प्रथम भाग इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सैनिक स्कूल एक दूसरी बात है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हम ने उन स्कूलों से लिए हैं । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में भर्ती करते समय सैनिक स्कूलों के लड़कों के बारे में ही नहीं अपितु अन्य लड़कों के बारे में भी विचार किया जाता है और सर्वोत्तम लड़कों को भर्ती किया जाता है ।

दिल्ली में भूमि का मूल्य

†*१६२०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में नई दिल्ली तथा आस पास के इलाकों में भूमि का मूल्य कितना बढ़ गया है; और

(ख) मध्यम वर्ग के लोगों को नई दल्ली में भूमि उपलब्ध करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) पिछले ५ वर्षों में नई दिल्ली में भूमि के मूल्य में सामान्य वृद्धि हुई है और कुछ इलाकों में वृद्धि पहिले की अपेक्षा दुगनी से भी अधिक हुई है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन अल्प आय आवास व्यवस्था के अन्तर्गत सुपात्र व्यक्तियों को देने के लिए लगभग ५०० भूमि खंडों के विकास के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या नई दिल्ली में नीलाम से छोटे छोटे भूमि टुकड़े बिकते हैं जिससे अभाव और मूल्य अधिक हो जाता है, और यदि हां तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जहां तक मुझे विदित है भूमि का सदैव नीलाम नहीं होता तथा अनेकों व्यक्तियों को भूमि नीलाम से नहीं अपितु उस की खरीद और विकास पर हुए व्यय के आधार पर दी गई है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : भूमि खंडों के आवंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : २५० भूमि खंड आवंटित करने की योजना है और वह विचाराधीन है । तफसील अभी तैयार नहीं है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि दिल्ली में जो प्लाट सरकार की ओर से या डी० डी० ए० की ओर से बेचे जाते हैं उनकी कीमत भी ली जाती है और लीज भी ली जाती है, ये दोनों क्यों ?

श्री गो० ब० पन्त : कीमत और लीज हर मौके पर ली जाती हो यह तो मैं जानता नहीं, मगर बाज मौकों में कीमत और लीज भी ली जाती है ताकि जो शरायत हैं उनके अन्दर वह रहें और आदमी प्लाट लेकर दूसरे दिन बेच न दे ।

†**श्री च० द० पांडे** : इस दृष्टि से कि दिल्ली में भूमि के गैर-सरकारी मालिक खूब भावी सौदे करते हैं क्या सरकार का विचार कोई सुधार शुल्क लगाने का है ? क्योंकि मूल्यों में वृद्धि कुछ सामाजिक कारणों से हुई है अतः सुधार उपशुल्क उपयुक्त विचार है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : भूमि का मूल्य स्थिर करने तथा भूमि के मूल्य में और वृद्धि रोकने के लिए हम ने आजकल एक समिति नियुक्त की है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : १९५८ में गैर-सरकारी निर्माण के लिए कितनी भूमि उपलब्ध की गई ? इसका निम्नतम और अधिकतम मूल्य क्या था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं अपेक्षित जानकारी बताने में असमर्थ हूं ।

निर्वाचन अधिकारियों[1] की कान्फ्रेंस

†*१६२१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९५९ में हुई अखिल भारतीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कान्फ्रेंस में सरकार से कोई सिफारिश की गई हैं; और

(ख) यदि हां तो वे सिफ़ारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Electoral officers.

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या सरकार को चिह्न लगाकर मत देने की नई प्रणाली सम्बन्धी कान्फ्रेंस के मत का ज्ञान है ?

†**श्री हजारनवीस :** उस पर विचार विमर्श किया गया था तथा राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने उस प्रणाली को स्वीकार किया ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या उन्होंने झूठे मत रिकार्ड करना रोकने के कोई सुझाव दिये हैं ?

†**श्री हजारनवीस :** हो सकता है कि कुछ सुझाव मिले हों । कान्फ्रेंस के सुझाव प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग उन पर विचार करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पंजीयन करना होगा ।

फैरो-मैंगनीज का निर्यात

†*१६२२. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितना फैरो-मैंगनीज निर्यात किया गया;

(ख) १६०,००० टन के फैरो-मैंगनीज का लक्ष्य-उत्पादन कितना प्राप्त हो गया है; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक इस लक्ष्य के प्राप्त होने की कोई संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन उपमंत्री (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क)

१९५६-५७ . . .	कुछ नहीं
१९५७-५८ . . .	५,००१ टन
१९५८-५९ (अप्रैल-नवम्बर)	८,७५३ टन (नवम्बर १९५८ के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(क) तथा (ख). कुल ८५,००० टन की क्षमता के पांच संयंत्रों में उत्पादन हो रहा है । ६७,५०० टन के तीन और संयंत्र तैयार हो रहे हैं और आशा है कि १९५९–६० में उनमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । अतः उत्पादन का लक्ष्य १९६०–६१ में प्राप्त हो जाना चाहिये ।

†**श्री पाणिग्रही :** कितने फैरो-मैंगनीज संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ हो गया है और क्या इसके अतिरिक्त सरकार उत्पादन आरम्भ करने के लिये अन्य मैंगनीज संयत्रों को लाइसेंस देगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इन आठ संयंत्रों में से पांच में उत्पादन आरम्भ हो गया है। इन आठ संयंत्रों के अतिरिक्त दो फैरो मैंगनीज़ संयंत्रों को लाइसेंस मंजूर हो गये हैं परन्तु विदेशी मुद्रा के कारण इसका अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ।

†**श्री पाणिग्रही :** इन १,६०,००० टन फैरो मैंगनीज़ में से कितना मैंगनीज़ देश में उपभोग के लिये है और कितना निर्यात के लिये है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** आशा है कि जिस लक्ष्य का हम विचार कर रहे हैं उसमें से १,००,००० टन निर्यात होगा और ६०,००० टन देश में प्रयोग के लिये ।

†**श्री तंगामणि:** पिछली बार हमें बताया गया था कि हम बेलजियम, बर्मा, यूनान और अमरीका को निर्यात कर रहे हैं । क्या १९५८-५९ में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो किस देश को ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** पहिले हम अधिकतर अमरीका को निर्यात कर रहे थे परन्तु अब क्षेत्र विस्तृत हो गया है और हमने कुछ निर्यात् बेलजियम, यूनान और कनाडा को किया है । मैं समझता हूं कि भविष्य में भी हमारा निर्यात जारी रहेगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि मैंगनीज़ मध्य प्रदेश में भी बहुत तादाद में निकलता है और क्या मध्य प्रदेश में फ़ेरो-मैंगनीज़ का कोई कारखाना डालने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई आवेदन आया है और अगर आया है, तो क्या गैर-सरकारी या सरकारी कोई भी फ़ेरो मैंगनीज़ का कारखाना मध्य प्रदेश में डालने का विचार किया जा रहा है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : दरख्वास्तें तो कई जगहों से आईं और जहां उचित समझा गया और जहां फ़ीज़िबल समझा गया, वहां लाइसेंस दिया गया ।

सेठ गोविन्द दास : मैं तो मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूं कि चूंकि वहां पर फ़ेरो-मैंगनीज़ बहुत होता है, क्या वहां से कोई दरख्वास्तें आई हैं और क्या उन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में मैंगनीज़ होता है--मध्य प्रदेश में भी होता है ।

†**श्री त्यागी :** हमारे विदेशी विनिमय के अभाव के कारण सरकार ने मैंगनीज़ के बजाय फैरो मैंगनीज़ के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं और दोनों निर्यात में वर्तमान अनुपात क्या है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** फैरो मैंगनीज़ के उत्पादन के दिये गये आंकड़ों से विदित होता है कि सरकार निर्यात में वृद्धि करने का भरसक प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री त्यागी :** फैरो मैंगनीज़ के बजाये मैंगनीज़ के निर्यात के कारण कितना धन बरबाद होता है ? क्या उससे कुछ संयंत्रों का आयात नहीं हो सकेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** आजकल दोनों मैंगनीज़ और फैरो मैंगनीज़ का निर्यात करना उत्तम है । वास्तव में सदन को विदित है कि मैंगनीज़ के निर्यात में कुछ कमी हो गयी है । हम मैंगनीज़ का निर्यात करने और फैरो मैंगनीज का निर्यात बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । अतः हमने इस कार्य के लिये आठ कारखाने खोले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

†*१६२३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार किसी ऐसे उपाय पर विचार कर रही है जिससे जामिया मिलिया इस्लामिया को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसे एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता न दिये जाने के परिणामों से रक्षा की जा सके ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के परिणामस्वरूप अब शिक्षक प्रशिक्षण कालेज तथा आर्ट्स कालेज डिग्रियां नहीं दे सकेंगे ; वे केवल डिप्लोमें दे सकेंगे । सरकारी नौकरी के लिये इन डिप्लोमों की मान्यता की अवधि के बढ़ा देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

जामिया मिलिया को भविष्य में डिग्रियां देने की अनुमति देने के प्रश्न पर भी सरकार इस समय विचार कर रही है ।

†**श्री झूलन सिंह :** क्या सरकार को ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता देने से इन्कार किये जाने के परिणामस्वरूप जामिया मिलिया के विद्यार्थियों में कितनी निराशा और उदासी छा गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस सम्बन्ध में कुछ निराशा सी छा गयी है । मैं इस प्रकार के प्रश्न का पहले भी सभा में उत्तर दे चुका हूं और सारी स्थिति समझा चुका हूं । इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों को भी बताया जा चुका है ।

†**श्री झूलन सिंह:** विवरण में बताया गया है कि सरकारी नौकरी के लिये उन डिप्लोमों की मान्यता की अवधि को बढ़ा देने के मामले पर विचार किया जा रहा है और सरकार जामिया मिलिया को भविष्य में डिग्रियां देने की अनुमति देने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है । क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विद्यार्थियों में बड़ी भारी निराशा और उदासी छा गयी है, इस सम्बन्ध में शीघ्रता से निर्णय करने का प्रयत्न करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां ।

†**श्री साधन गुप्त :** किस तिथि से वह संस्था डिग्रियां देने में असमर्थ घोषित की गई थी और उस समय से कितने लोगों ने अज्ञानवश डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वैसे तो डिप्लोमें देने में कोई कठिनाई नहीं है । वास्तविक कठिनाई तो डिग्रियां देने में है । जामिया मिलिया को ५ नवम्बर, १९५८ के बाद डिग्रियां देने की कोई अनुमति नहीं थी । इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये उस संस्था को दो वर्ष का समय दिया गया था । दो वर्ष की अवधि के उपरान्त उक्त अधिनियम के अनुसार कोई भी संस्था तब तक डिग्रियां नहीं दे सकती, जब तक उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता न दे ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई ऐसी शर्तें निर्धारित की हैं जिनके पूरा करने पर जामिया मिलिया को एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिल जायेगी ? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं और उन्हें पूरा करने में उन्हें किस-किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: कोई विशेष शर्तें तो नहीं थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की थी। उसने संस्था का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर जामिया मिलिया को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है।

†**श्री बा० चं० कामले**: क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी भी संस्था को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने के लिये कोई सिद्धान्त या आधार निर्धारित किये हैं? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं और उनमें से कौन-कौन से सिद्धान्त जामिया मिलिया संस्था पूरे नहीं कर सकी है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: इसका सामान्यतया आधार तो यही है कि वे संस्थायें स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा देती हों।

श्री अब्दुल लतीफ़: क्या वज़ीर-आज़म के जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में हाउस में बयान देने के बाद भी वज़ीरे तालीम को जामिया को यूनिवर्सिटी तसव्वुर करने में पशोपेश है और अगर है तो क्यों? क्या हुकूमत जामिया मिलिया इस्लामिया के सिलसिले में कोई बिल ला रही है?

डा० का० ला० श्रीमाली: जी, नहीं। पशोपेश कोई नहीं है। इस मामले की जांच की जा रही है।

सौराष्ट्र में गुफायें

*१६२४. **श्री रघुनाथ सिंह**: : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र के गोंडल तालुका के खम्बालिया ग्राम के समीप बौद्ध कालीन गुफायें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये भारतीय इतिहास के किस विशेष काल से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) उन से भारतीय इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) इस बारे में हमें कोई पता नहीं क्योंकि सौराष्ट्र के गोंडल तालुके के खम्बालिया गांव में केन्द्रीय आर्किओलोजिकल विभाग ने कोई खुदाई नहीं की।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री रघुनाथ सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट को चाहे कोई इन्फार्मेशन हो या न हो लेकिन इसके सम्बन्ध में आपकी तरफ से कोई जांच वगैरह हुई है या नहीं कि सौराष्ट्र में ऐसा स्थान है?

श्री हुमायून् कबिर: स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया। लेकिन जहां तक हमारी मालूमात है इस इलाके में न तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही और न किसी यूनिवर्सिटी ने ही कोई खोज की। इसमें किसी मानुमेंट की खबर भी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ओझा :** क्या उस क्षेत्र के आस-पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाये गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** उस क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण स्मारक नहीं हैं और उस क्षेत्र में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग, या किसी भी राज्य विभाग या किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली किसी भी खुदाई के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या पुरातत्व विभाग उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** उसकी अपेक्षा और अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं । सौराष्ट्र में तथा अन्य स्थानों पर अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों की खुदाई की जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस सवाल के पूछने के बाद आप ने अपने डिपार्टमेंट के किसी आदमी को वहां पर जांच पड़ताल करने के लिये भेजा कि जो सवाल मैं ने पूछा है वह ठीक है या नहीं ?

श्री हुमायून् कबिर : इस सवाल के मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स से पूछा गया, लेकिन हमारी ऐसी मालूमात हैं कि वहां कोई खास चीज नहीं है ।

†**श्री नथवानी :** सौराष्ट्र के किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

शारीरिक शिक्षा

†*१६२५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा विनोद सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार शारीरिक शिक्षा तथा विनोद सम्बन्धी सभी योजनाओं में समन्वय उत्पन्न करने के लिये एक स्वतंत्र समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** आशा है कि यह समिति शीघ्र ही नियुक्त कर दी जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या समिति के निर्देश पद निश्चित कर लिये गये हैं । और यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** निर्देश पद जारी तो नहीं किये गये हैं, परन्तु उस सम्बन्ध में मैं यहां पर बता सकता हूं । इस समिति का मुख्य प्रयोजन विभिन्न युवक कल्याण कार्यों जैसे सहायक सेना छात्र 'दल', राष्ट्रीय सेना छात्र दल, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स आदि के कार्यों की देखभाल करना है ताकि जहां तक सम्भव हो काम में दुहरापन न आ सके ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस समिति के कार्य में सहायता करने के लिये किसी ऐसे देश के भी किसी प्रतिनिधि को आमन्त्रित किया जायेगा जिसे युवक कल्याण कार्यों के बारे में अनुभव हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बात को ध्यान में रखा जायेगा । योजना को अभी निश्चित रूप से तय नहीं किया गया है, परन्तु ऐसा करते समय उन सभी व्यक्तियों से सहायता लेने का प्रयत्न किया जायेगा, जिन्हें युवक कल्याण के बारे में अनुभव है ।

†**श्री आचार :** क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से परामर्श लिया गया है, और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** राज्य सरकारों से तो परामर्श नहीं लिया गया है, परन्तु स्वयं संसद् में इस प्रश्न पर कई बार विचार किया गया है और स्वयं संसद् ने ही यह सुझाव दिया था कि इस प्रकार की समिति नियुक्त की जाये । इसीलिये सरकार ने भी अब इस समिति को नियुक्त करने का निर्णय किया है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह समिति युवक छात्रालय संघटन (यूथ होस्टल आर्गेनाइजेशन) के सम्बन्ध में भी विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उस समिति का सम्बन्ध युवकों के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाली सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थाओं से होगा ।

राज्यों में प्राथमिक शिक्षा

†*१६२६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में समानता लाने के सम्बन्ध में खेर समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की कार्यान्विति में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जिन राज्यों से जवाब आ गये हैं उनमें से आसाम, जम्मू तथा काश्मीर और पंजाब राज्यों के सिवाय शेष सभी राज्य सिफारिशों के पक्ष में है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या सरकार इन सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं ने पहले ही बता दिया है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने हमें लिखा है कि वे सामान्य रूप से इन सिफारिशों से सहमत हैं । कुछ एक राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी भी प्रारम्भ कर दी है । केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने जब इस पर विचार किया था, उस समय उसका यह विचार था कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसलिये सभी राज्यों में सभी सिफारिशें लागू करना संभव नहीं है । अतः मामला राज्य सरकारों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया ।

श्री जगदीश अवस्थी : जिन राज्यों ने इस कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना है, उन्होंने केन्द्रीय सरकार के सम्मुख इस के क्या कारण प्रकट किये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने अभी आप से निवेदन कर दिया कि जो राज्य हैं उन के हालात भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग ह । जब सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड ने इस पर विचार किया था उस वक्त भी यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिये यह सम्भव

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं होगा कि वे उन सिफारिशों को समान रूप से मंजूर कर लें। इसलिये यह सारा मामला राज्यों पर ही छोड़ा गया था। उन्होंने कोई खास कारण इसके लिये नहीं बताया है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र हैं, जो कि सीधे केन्द्र के नीचे आते हैं, उन में इन सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास जो जवाब अलग अलग जगहों से आये हैं उन का पूरा स्टेटमेंट मैं हाउस की टेबल पर रख दूंगा।

कोयला धोने के कारखाने

†*१६२७. **श्री केशव :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था ने भारत में कोयला धोने के किन्हीं कारखानों के सम्बन्ध में कोई डिजाइन तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) और (ख). जी, हां। सरकारी क्षेत्र में लगभग १४.०० करोड़ रुपयों की लागत के केन्द्रीय कोयला धोने के जो कारखानें स्थापित हो चुके हैं या स्थापित किये जा रहे हैं, उनके डिजाइन केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था में तैयार किये गये थे। यह बताना बड़ा कठिन है कि उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, परन्तु यदि विदेशी सलाहकारों को दी जाने वाली प्रतिशत फीस की बचत की भी गणना करें तो उस दृष्टि से भी ४०.०० लाख रुपयों की बचत हुई है।

†**श्री केशव :** क्या सरकार ने कोई ऐसा उपाय सोचा है कि जिससे इन कोयला खानों के गैर-सरकारी मालिकों को भी अग्रिम धन देने, वित्तीय सहायता देने तथा अन्य दृष्टियों से सुविधायें दी जा सकें ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** हम तो कोयला धोने के कारखानों के डिजाइन तैयार करने में सहायता करते हैं। वे कारखानें इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय अथवा रेलवे मंत्रालय द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

†**श्री प्र० चं० बोस :** क्या ईंधन गवेषणा संस्था द्वारा तैयार किये जाने वाले कोयला धोने के कारखाने विदेशी फर्मों द्वारा स्थापित कोयला धोने के कारखानों से बेहतर हैं ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** हमारे डिजाइन आधुनिकतम माने जाते हैं, और उन डिजाइनों के लिये विदेशों से भी लाइसेंसों के लिये प्रार्थनायें आई हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** सरकारी क्षेत्र में कर्गली के अतिरिक्त और कौन-कौन सा कोयला धोने का कारखाना है ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** कर्गली कारखाना तो चल रहा है। उसके अतिरिक्त दुगदा, बोजोदी, पाथरडीह और अमीर पुर या अमृतपुर नामक स्थानों पर कारखाने स्थापित किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल :** क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने भी अपना कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था से परामर्श लिया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रार्थना प्राप्त हो तो परामर्श अवश्य दिया जाता है ।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी :** माननीय मंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि उनके द्वारा स्थापित किये गये कोयला धोने के कारखाने इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये कारखानों से बढ़िया हैं . . .

†**श्री हुमायून् कबिर :** नहीं, मैं ने यह कभी नहीं कहा है । मैं ने तो यह कहा था कि हम इन मंत्रालयों के लिये डिजाइन तैयार करते हैं।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या जिस प्रकार के कारखानों के डिजाइन तैयार किये गये हैं, वे कारखाने बिना किसी भी विदेशी पुर्जे के देश में स्थापित किये जा सकते हैं और यदि हां, तो उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** वह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता । हमारा सम्बन्ध डिजाइन बनाने से है, कारखाने स्थापित करने से नहीं । वह काम अन्य मंत्रालयों का है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डिजाइनिंग और प्लैनिंग का काम ईंधन गवेषणा संस्था द्वारा किया गया है, क्या दुगरा, और पाथरडीह आदि के कार्यों के सम्बन्ध के, जिनके ठेके विदेशी विशेषज्ञों को दिये गये हैं, उन ठेकों में से डिजाइन बताने और प्लांनिग का काम निकाल लिया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** कोयला धोने के कारखानों के डिजाइन केवल मात्र केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था द्वारा ही तैयार किये जाते हैं ।

योग्यता छात्र वृत्तियों के लिये परीक्षा केन्द्र

†*१६२९. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में पब्लिक स्कूलों के लिये योग्यता छात्रवृत्तियों के लिये परीक्षा लेने के लिये केन्द्र निर्धारित कर दिये गये हैं ; और

(ख) क्या किसी संघ राज्य क्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई केन्द्र स्थापित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या योग्यता छात्रवृतियों के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई स्थान रिजर्व है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के लिये कुछ स्थान रिजर्व हैं ?

श्री जगदीश अवस्थी : मैं जानना चाहता हूं कि इन पबलिक स्कूलों में जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके अभिभावकों को प्रति छात्र के हिसाब से कितना शुल्क आदि देना पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : छात्रवृतियों की राशि माता पिता की आय पर निर्भर करती है। अगर माता पिता की आय १००० रुपये से ज्यादा है तो कोई एग्ज़म्पशन नहीं मिलता है। अगर टोटल इनकम ७५० और ९९९ के बीच प्रति माह होती है तो स्कूल फीस का आधा एग्ज़म्पशन हो जाता है। अगर माता पिता की आमदनी ५०० रुपये और ७४९ रुपये के बीच में है तो तीन चौथाई स्कूल फ़ीस का एग्ज़म्पशन होता है। यह सारा टेबुल मैं सदन् की मेज पर रख दूंगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यह जो केन्द्र हैं यह स्थाई बना दिये गये हैं और क्या उन से यह भय नहीं है कि कुछ निरीक्षकों या परीक्षकों को प्रभावित किया जाता हो और उससे जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको न लेकर अयोग्यों को लिया जाता हो ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसका कोई डर नहीं है।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया :** माननीय मंत्री ने यह बताया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के लिये कुछ स्थान रिजर्व किये गये हैं। इन छात्रवृतियों का उद्देश्य तो योग्यता के आधार पर छात्रवृतियां देना है। अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और पिछड़े हुए वर्गों को तो गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से पहले ही छात्रवृतियां दी जा रही हैं।

†**डा० का ला० श्रीमाली** : हम उन्हें और अधिक सुविधायें देना चाहते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र मायुर :** विद्यार्थियों के चुनाव पर कितना खर्च किया जाता है और उन्हें छात्र-वृतियों के रूप में वास्तव में कितनी राशि दी जाती है ? क्या यह सच है कि उन के चुनाव पर छात्र-वृतियों की अपेक्षा अधिक राशि खर्च की जाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, नहीं। प्रतिवर्ष छात्र वृतियों के रूप में १ लाख रुपये दिये जाते हैं। उन के चुनाव पर होने वाले खर्चों के संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु वे आंकड़े निश्चित रूप से छात्रवृतियों की राशि की तुलना में कम ही होंगे।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

†***१६३१. श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर ने एयरो इंजनों का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इंजनों पर कितनी लागत आयी है ; और

(ग) क्या इन एयरो इंजनों का निरन्तर निर्माण होता रहेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेह सिंहराव गायकवाड) :** (क) जी, हां। हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड में चार सिलेण्डरों का एक प्रोटा टाइप एयरो इंजन तैयार किया गया है और इस समय उसके विकास के सम्बन्ध में परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) प्रोटोटाइप के परीक्षण का सफल हो जाने और उत्पादन के संबंध में योजना बन जाने पर ही यह बताया जा सकेगा कि इंजन पर कितनी लागत आती है।

(ग) विकास संबंधी परीक्षा सफल हो जाने और इसकी टाइप के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद ही इस के उत्पादन का प्रश्न उत्पन्न होगा।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या हम एयरो इंजनों का आयात भी कर सकते हैं, और यदि हां, तो क्या देश में उत्पादन हो जाने पर आयात में कमी कर दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय सभा सचिव ने यह बताया है कि उस सम्बन्ध में अभी परीक्षण किये जा रहे हैं और यदि परीक्षण सफल सिद्ध हुआ तो उस समय उत्पादन के प्रश्न पर विचार किया जायगा । अतः इसी समय इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं कि क्या आयात करना बन्द कर दिया जायेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं तो केवल यही पूछना चाहता था कि क्या हम उनका आयात कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक परीक्षण सफल सिद्ध नहीं होता तब तक वे कैसे बता सकते हैं कि क्या उनका और अधिक आयात किया जायेगा या नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम इन इंजनों का और अधिक आयात नहीं करेंगे । अब इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि परीक्षण कब तक पूरे हो जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे यही कहना चाहते हैं कि भले ही परीक्षण सफल हो या न हो, आयात बिल्कुल बन्द कर दिया जायगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** परीक्षणों में अवश्य सफलता मिलेगी । यदि निरंतर कोशिश की जाय तो कोई चीज नाकामयाब नहीं होती ।

ओसिया (राजस्थान) में प्राचीन मन्दिरों आदि के अवशेष

†१६३२. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस प्रैस रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है कि राजस्थान राज्य के ओसिया नामक स्थान पर मन्दिरों तथा अन्य प्राचीन इमारतों के अवशेषों की अवस्था बहुत बुरी है ; और

(ख) पुरातत्व विभाग द्वारा इन मूल्यवान अवशेषों के संरक्षण के लिये क्या-क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) उन में से कुछ एक को संरक्षण के लिये चुन लेने का विचार है । तदुपरान्त सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जायेंगी ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** ओसिया की इमारतों के अवशेषों की खराब हालत के सम्बन्ध में "स्टेट्समैन" जैसे समाचार पत्रों में रिपोर्ट आई है, परन्तु सरकार इस सम्बन्ध में अनभिज्ञ क्यों है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट मेरे या पुरातत्व विभाग के ध्यान में नहीं आई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या सम्पूर्ण राजस्थान का पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया गया है और इन सभी अवशेषों के उपयुक्त संरक्षण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं ने प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता दिया है कि उन में से कुछ एक अवशेषों को संरक्षण के लिये चुनने का विचार है और यह काम सर्वेक्षण के बिना नहीं हो सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को यह पता सूचना कहां से मिली है ? उन्हें समाचार पत्रों में ही मिली होगी । मेरा विश्वास है कि प्रत्येक मंत्रालय में समाचार पत्रों की कटिंग रखी जाती होगी और वे समय समय पर इस बात की जांच करते होंगे कि समाचार पत्रों में आने वाली खबरें सच हैं या झूट । हो सकता है कि माननीय मंत्री का ध्यान विभाग की ओर से इस ओर आकृष्ट न किया गया हो । परन्तु उनके मंत्रालय को तो निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि समाचार पत्रों में क्या क्या रिपोर्टें आती हैं ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** प्रश्न की सूचना मिलने पर मैं ने अपने लोगों को समाचार पत्रों में इसे देखने के लिये कहा था । परन्तु भारत में इतने अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं कि जब तक कोई निश्चित तिथि न बताई जाये, तब तक सरकार को ढूंडना संभंव नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इस सम्बन्ध में 'स्टेट्समैन' में एक अलग लेख आया था जिस में इन टूटे फूटे भवनों के छायाचित्र भी आये थे । मैं हैरान हूं कि मंत्रालय 'स्टट्समैन' में छपे हुए लेख और छाया चित्रों की ओर भी ध्यान नहीं देता ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** जैसा कि मैं ने कहा है उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है । और फिर यदि यह लेख 'स्टेट्समैन' में भी छपा है तो भी यह संभंव नहीं है कि हम प्रत्येक लेख की जांच अवश्य करें जब तक कि उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट न किया जाय ।

†**डा० अणे :** क्या इस प्रकार के समाचारों को देख ने के लिये पुरातत्व विभाग के पास कर्मचारियों की कमी है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** एक अलग सैक्शन है जिसे प्रैस सूचना व्यूरों कहते हैं । वे ही हमारे पास कटिंग भेजते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई कटिंग नहीं भेजी गयी है ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग देश के सभी पुराने मन्दिरों का इतिहास संकलित कर रहा है, और क्या प्रस्तुत प्रश्न में जिन मन्दिरों का उल्लेख किया गया है, उनके संबंध में इस काम में होने वाली प्रगति के बार में माननीय मंत्री को जानकारी है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका, क्योंकि जैसा कि मैं ने पहले कहा है, एक सर्वेक्षण कर लिया गया है ; कुछ एक मन्दिरों को संरक्षण के लिये चुन भी लिया गया है और हमें स्थिति के संबंध में पूरा पूरा ज्ञान है ।

तिब्बत को भारतीय विद्वानों का भेजा जाना

+

†*१६३३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री सूपकार : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राचीन पाण्डुलिपियों का अध्ययन करने के लिये सरकार कुछ भारतीय विद्वानों को तिब्बत भेजने वाली है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने विद्वान जायेंगे और उन्हें वहां कितने समय तक अध्ययन के लिये अनुमति मिलेगी; और

(ग) जो विद्वान चुने जा चुके हों उन के नाम क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) यह प्रस्ताव फिलहाल छोड़ दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछली बार इसी प्रश्न के बारे में उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि चीन राज्य के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में चीन की सरकार ने कोई ऐतराज किया है जिसकी कि वजह से यह ख्याल छोड़ दिया गया है या कोई और कारण है ?

श्री हुमायून् कबिर : जब मैं ने पहले बतलाया था तब से और अब में काफी फर्क हो गया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि तिब्बत में लाखों मूल्यवान और दुर्लभ ग्रन्थ हैं जिन से कि भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ सकता है । इसलिये क्या भारत सरकार ने चीन सरकार से यह अनुरोध किया है कि आजकल जो वहां पर गड़बड़ हो रही है उस में कम से कम यह ग्रन्थ नष्ट न होने पायें ताकि समय आने पर उन को देखा जा सके और उनका अध्ययन किया जा सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की है उस के बाद मेरे खयाल में कुछ कहने की दरकार नहीं है ।

†**श्री सूपकार :** क्या कुछ महीने पहले हमारी सरकार ने कुछ विद्वानों को लिये अध्ययनार्थ वहां वहां जाने की अनुमति मांगी थी, और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मैं इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य मंत्री महोदय को किसी को वहां भेजने का परामर्श देंगे ? क्या वह अभी तिब्बत जायें ? जो उत्तर दिये जायें माननीय सदस्यों को उन में दिलचस्पी लेनी चाहिये । कुछ समय पहले मंत्री महोदय कह चुके कि बदली हुई परिस्थितियों में इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है ।

केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था[1], लखनऊ

+

†*१६३४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ की केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था में निकाले गये नये भेषजों की देश के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों पर परीक्षा की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Drug Research Institute.

(ख) यदि हां, तो इस के किस प्रकार के परिणाम निकले हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) और (ख). दो कम्पाउण्डों का दो अस्पतालों में रोगियों पर परीक्षण किया जा रहा है। प्रादेशिक आधार पर देश के अन्य अस्पतालों में भी रोगियों पर इनके परीक्षण की व्यवस्था की जा रही है। परीक्षण पूरे होने पर उन के परिणाम ज्ञात हो सकेंगे।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या विभिन्न जलवायुओं में भी इन दवाओं का परीक्षण किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं ने अभी कहा है कि ये परीक्षण विभिन्न प्रदेशों में किये जायेंगे। भिन्न भिन्न प्रदेशों की जलवायु भिन्न भिन्न होती है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस संस्था में ऐसे कितने भेषज तैयार किये गये हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर :** विभिन्न भेषज विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में हैं। इस समय तीन भेषजों के सम्बन्ध में परीक्षण चल रहे हैं--ये हैं कम्पाउन्ड नम्बर एस० एन० ४४, एस० एन० ८७ और एक और चीज है जिसे सोरालेन-आइसोस्रलेन फ्रैक्शन[1] कहते हैं और जो **बाबची** नाम के पौधे से निकलती है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि यह कार्य लगभग पांच वर्ष पहले वहां आरम्भ हुआ था और वहां कई भेषज तैयार हो चुके हैं ? इसलिये, अभी केवल इन तीन भेषजों का ही परीक्षण क्यों हो रहा है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन और स्वास्थ्य पर असर डालने वाली दवाओं के सम्बन्ध में काम करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। पहले प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के परीक्षण किये जाते हैं, फिर प्रयोगशाला में रोगियों को वह दवा दी जाती है, तब अस्पतालों में उसका इस्तेमाल किया जाता है और तब कहीं जाकर उसे जनता के इस्तेमाल के लिये बाजार में भेजा जाता है।

धुआं रहित घरेलू कोक

+

†*१६३५ { **श्री स०. चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पांगरकर : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद की ईंधन गवेषणा संस्था धुआं रहित घरेलू कोक तैयार करने के लिये जो गवेषणा कर रही थी उसका क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या ऐसे किसी नये उप-उत्पाद का पता चला है जिसका पता हैदराबाद की केन्द्रीय गवेषणा प्रयोगशाला को नहीं लग पाया था; और

(ग) क्या गैर-सरकारी उपक्रमों से यह योजना आरम्भ करने के लिये कहा गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) :** (क) और (ग). देश में लोग्रेड हाई ऐश कोयले से धुआं रहित घरेलू कोक तैयार करने का एक तरीका संस्था ने निकाला

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Psoralen isopsralen Fraction.

है और वाणिज्यिक आधार पर उसका उपयोग करने के लिये वह तरीका उस ने केन्द्रीय गवेषणा विकास निगम को सौंप दिया है ।

(ख) उपउत्पाद प्राप्त करने की दिशा में केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था और प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला (जिन्हें पहले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा की केन्द्रीय प्रयोगशाला कहा जाता था) दोनों ने काफी कार्य किया है लेकिन उन की तुलना करना कठिन है क्यों कि कोयले के कार्बोनाइजेशन से निकलने वाले उप-उत्पादों का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है और यह कच्चे माल की किस्म और रचना पर निर्भर करते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त:** क्या यह सच नहीं है कि धनबाद की गवेषणा संस्था ने, जिस ने इसके बारे में प्रयोग किये थे, सरकार को सूचित किया था कि विदेशी मुद्राओं के बगैर देशी सामान से ही यहां एक संयंत्र का निर्माण किया जा सकता है ?

†**श्री हुमायून् कबीर:** एक विशाल अग्रिम संयंत्र की स्थापना की जा रही है । एक छोटा संयंत्र वहां चलाया भी जा चुका है । जब तक माननीय सदस्य यह नहीं बताते कि उनका प्रयोजन किस संयंत्र से है, मैं यह नहीं बता सकता कि विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता पड़ेगी या न ही।

†**श्री स० चं० सामन्त :** उन्होंने जिस छोटे संयंत्र का जिक्र किया है मेरा प्रयोजन उसी से था ।

†**श्री हुमायून् कबीर :** भूविभाग बेड डिवोलटाइजेशन प्रक्रिया वाले उस संयंत्र के लिये शायद विदेशी मुद्राओं की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

आसाम ऑयल कम्पनी की आस्तियां

+

†*१६३६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम आयल कम्पनी की आस्तियों के सम्बन्ध में निर्धारण समिति के प्रतिवेदन की छानबीन कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के निर्धारण प्रतिवेदन पर सरकार ने बर्मा आयल कम्पनी और आसाम आयल कम्पनी के परामर्श से विचार किया था और भारत सरकार तथा बर्मा आयल कम्पनी/आसाम आयल कम्पनी के बीच हुए १६, फरवरी, १९५९ के अनुपूरक करार के अनुसार यह तय हो गया है कि कुछ मदों के सम्बन्ध में समायोजन के अधीन रहते हुए,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनके बारे में १ जनवरी, १९५८ से १७ फरवरी, १९५९ तक की अवधि का निर्धारण कार्य पूरा करने के लिये पुनर्गठित समिति सिफारिश करेगी, १०३३.८५ लाख रुपयों के सम्बन्ध में समिति का निर्धारण स्वीकार कर लिया जाये ।

आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड ने, जिसकी स्थापना १८ फरवरी, १९५९ को हुई थी, १२ करोड़ रुपये की मूल अंश पूंजी में से १०३३.८५ लाख रुपये आसाम आयल कम्पनी को दे दिये हैं ।

१ जनवरी, १९५८ से कम्पनी की स्थापना तक की अवधि में आसाम आयल कम्पनी द्वारा हस्तांतरणीय और भी आस्तियों का निर्धारण करने के लिये २३ मार्च, १९५९ से इस समिति की पुनर्स्थापना कर दी गयी है और समिति से कहा गया है कि वह नियुक्ति की तारीख से चार महीने के भीतर निर्धारण-कार्य पूरा कर ले ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : भारत सरकार और बर्मा ऑयल कम्पनी के बीच एक करार हुआ था । उस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : भारत सरकार तथा आसाम ऑयल कम्पनी के बीच एक करार हुआ था और ऑयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड नामक एक कम्पनी की स्थापना की गई थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बताया गया है कि आसाम ऑयल कम्पनी ने कुछ समायोजन के अधीन रहते हुये निर्धारण समिति का निर्धारण स्वीकार कर लिया है और यह समायोजन बाद में नियुक्त की गई निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा । यह 'समायोजन' क्या हैं और यह समायोजन करने का काम पहली वाली समिति को सौंपने के स्थान पर इस नयी समिति के सुपुर्द करने का क्या कारण है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** . जहां तक प्रमुख वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में पूरा समझौता था—केवल कुछ को छोड़ कर जिन्हें रहने दिया गया था । यह निर्धारण ३१ दिसम्बर, १९५७ तक का था ।

†**श्री तंगामणि** : आसाम ऑयल कम्पनी को १०३३.८५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं । क्या सरकार के पास इस बात का कोई तखमीना है कि हमारी कम्पनी की स्थापना तक की अवधि के लिये आसाम ऑयल कम्पनी को कितना रुपया और देना पड़ेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में पूर्ण सर्वसम्मत समझौता नहीं हो पाया है उनके विषय में अभी से यह बताया नहीं जा सकता कि कितना रुपया देना पड़ेगा ।

लापता विमान

\+

†*१६३७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री इ० मधुसूदन राव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री नरदेव स्नातक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वैम्पायर जेट विमान, जो २६ अगस्त, १९५८ को पालम के हवाई अड्डे से उड़ा था, अब तक लापता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि यह विमान तिब्बत की सीमा पार चला गया बताया जाता है ;

(ग) इस विमान का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या चीन सरकार से इस मामले में कोई पूछताछ की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(च) क्या इस मामले में जांच करने के लिये कोई जांच अदालत नियुक्त की गयी है और यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस प्रश्न के बारे में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न, प्वाइंट आफ आर्डर, उठाना चाहता हूं । वह यह है कि इसी प्रश्न के बारे में मैंने ५ दिसम्बर सन् १९५८ को एक नोटिस दिया था, लेकिन ११ दिसम्बर को मुझे यह जवाब मिला कि "यह एक छोटी सी घटना के बारे में है।"[१] उसके बाद राज्य सभा में इसे स्वीकार किया गया और इसका जवाब दिया गया और आज उसे यहां पर भी स्वीकार कर लिया गया है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सभा और लोक-सभा में क्या अलग अलग नियम हैं, और क्या समय बदलने के बाद नियम भी बदल दिये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का उत्तर दे लेने दीजिये । इस मामले में कोई फर्क नहीं किया गया है । मैं नहीं चाहता कि विमान सम्बन्धी प्रत्येक छोटी से छोटी घटना के बारे में सभा में प्रश्न पूछा जाय क्योंकि हो सकता है कि प्रशिक्षण के काम आने वाले विमान भी लापता हो जायें या ऐसे भी विमान होंगे जिनसे उड़ने को कहा जाय पर जो उड़ न पायें । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग प्रशिक्षण के लिये जाते हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ता है कि यह बहुत खतरनाक काम है । इसलिये मैंने सभा के सभी माननीय सदस्यों से कह रखा है कि रेलवे-विमान आदि से यात्रा करते समय गम्भीर दुर्घटनाओं की सूचना तत्काल दें—सभा में उसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की प्रतीक्षा न करें । मैं हर बार यह निर्णय करता हूं कि कौन सी दुर्घटना बड़ी है, कौन सी छोटी । इसकी अनुमति इसी वजह से दी गई है क्योंकि इतना समय बीत जाने पर भी अब तक उसका पता नहीं लग सका है । राज्य सभा में गृहीत किये जाने के लिये मैं जिम्मेवार नहीं हूं । मैं जो ठीक समझता हूं वही निर्णय करता हूं । सभी महत्वपूर्ण मामलों में यदि दुर्घटना गम्भीर किस्म की हो और माननीय सदस्य यह महसूस करते हों कि सभा में उसके बारे में सवाल का जवाब दिया जाना चाहिये तो मैं भले ही उसे अस्वीकार कर दूं उन्हें उसके सम्बन्ध में मुझे लिखना या मुझ से बात करनी चाहिये । मैं उन्हें देखूंगा और यदि यह महसूस करूंगा कि इन्हें विशेष श्रेणी में रखना चाहिये तो मैं ऐसा कर दूंगा । इस बात के सम्बन्ध में यहां वहां थोड़ा मतभेद हो सकता है कि कौन सी घटना बड़ी है कौन सी छोटी ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : आपके विनिश्चय के अधीन रहते हुये हम इस सम्बन्ध में पूरी उपलब्ध जानकारी देने को उत्सुक हैं ।

इस प्रश्न का उत्तर है :—

(क) जी हां ।

(ख) विश्वस्त रूप से तो कोई खबर मिली नहीं । उस अफसर के पिता ने इस आशय की बात बताई थी और उनका कहना था कि यह बात उन तक पहुंची है ।

(ग) भारतीय वायु सेना ने काफी खोज की है और यह खोज काफी लम्बे समय तक चलती रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]It relates to a minor accident.

(ध) और (ङ). चीन स्थित हमारे प्रतिनिधियों से पूछताछ करने पर उस कहानी की पुष्टि नहीं हुई जो उस अफसर के पिता ने बताई थी।

(च) जी हां। जांच अदालत ने यह बात मान ली है यह विमान किसी ऐसे दुर्गम क्षेत्र में टकरा गया है जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसके परिणाम घातक हुये हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच की गयी थी। यह जांच किस महीने में की गई थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह विमान पिछले वर्ष अगस्त में किसी समय टकराया था और इस क्षेत्र को, जिसका व्यास असाधारण रूप से बड़ा, पालम से लगभग २०० मील है, खोजने के लिये ५० घंटे की खोज सम्बन्धी उड़ानें की गयी हैं। कई प्रकार की अफ़वाहें सुनने में आयी थीं जो सुनने में ही अविश्वसनीय प्रतीत होती थीं। लेकिन पिता के मनोभावों का और बात का ध्यान रखते हुये कि वायु सेना के दो अफसर मारे गये हैं, हमने इस सम्बन्ध में नियमों के सम्बन्ध में कोई सख्ती नहीं की। जांच अदालत ने दिसम्बर के लगभग अपना प्रतिवेदन दिया। जांच के बाद आमतौर पर इतना समय तो लग ही जाता है, और सारी सामग्री उपलब्ध है। लेकिन मैं अब भी यह बता देना चाहता हूं कि यह बात अब भी खतम नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने अब उत्तर प्रदेश पुलिस से उस अफवाह के बारे में पता लगाने को कहा है जिसमें उस राज्य के किसी भाग में किसी विमान के अवशेष मिलने की बात कही जा रही है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मंत्री महोदय कह चुके हैं कि यह घटना अगस्त में हुई थी। और उनका कहना है कि जांच दिसम्बर में की गयी थी। क्या यह संभव है कि दिसम्बर में उस हिमाच्छादित क्षेत्र में विमान के अवशेष नजर न आये हों ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि आप स्मरण करें तो देखेंगे कि मैंने यह नहीं कहा था कि जांच दिसम्बर में हुई थी। मेरा ख्याल है कि वह दिसम्बर में पूरी हुई थी। जांच में समय लगता है क्योंकि सारी सामग्री की खोज होने से पहले जांच समाप्त कर देने का कोई फायदा नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच-विमान से सर्वेक्षण— किस समय की गयी थी और चीन सरकार से लापता विमान की खोज करने के लिये कब कहा गया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं। विमान-उड्डयन के दृष्टिकोण से विमान के हिमालय के ऊपर से होकर चले जाने की कोई सम्भावना नहीं थी। कारण केवल इतना ही था कि किन्हीं स्वामी जी ने लड़के के पिता को इस प्रकार की खबर दी थी और उन्होंने प्रधान मंत्री से इस बात की शिकायत कर दी। केवल करुणा की दृष्टि से हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने चीन स्थित हमारे प्रतिनिधि से पूछताछ की। लेकिन मैं स्थिति को स्पष्ट किये बिना नहीं रह सकता। स्वामी जी का कहना था कि उन्होंने हिमालय के ऊपर एक विमान उड़ता देखा था। इसलिये हमने कहा था कि यदि कोई धरती पर से विमान को देख सकता है तो आकाश में विमान से पर्वत भी दिखाई पड़ सकता है और वह टकराया नहीं होगा। इस से भी अधिक यह बात है कि जब हमने स्वामी जी को लिखा तो स्वामी जी ने कहा कि इस समय घनघोर वर्षा हो रही थी। यदि वर्षा हो रही थी तो वह विमान को देख नहीं सकते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० राम सुभग सिंह सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि जांच किस समय आरम्भ हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : जांच आमतौर पर दुर्घटना के बाद लग भग ४८ घंटे के भीतर ही आरम्भ कर दी जाती है। लेकिन उस में कितना समय लगता है यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह दुर्घटना है या तोड़ फोड़ का मामला है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जहां तक हमें पता है यह तोड़ फोड़ का मामला नहीं था। जांच अदालत ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

†**अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७. श्री श्रीनारायण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द चीन संबंधी जेनेवा सम्मेलन के सह-सभापतियों ने, या उन में से किसी ने वहां स्थित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग से लाओस में अपना कार्य फिर आरम्भ कर देने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा करने को कहा है ;

(ग) भारत सरकार ने इस संबंध में क्या रुख अपनाया है ;

(घ) क्या आयोग को यह अनुरोध मिल गया है ; और उसने इस पर विचार कर लिया है ; और

(ङ) उसने क्या निर्णय किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) लाओस आयोग के सभापति को जेनेवा सम्मेलन के सह-सभापतियों से लाओस में पुनः अपना कार्य आरम्भ करने के बारे में कोई निदेश नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जहां तक लाओस का संबंध है, वह सह-सभापतियों के ३१ जनवरी, १९५९ के टिप्पण में (इसकी प्रतियां ११ मार्च, १९५९ को सभा-पटल पर रख दी गयी थीं।) प्रगट किये गये विचारों के अनुसरण में लाओस में हिंसात्मक कार्यों को बन्द कराने के जेनेवा करार से संबंधित समस्याओं का लाओस में देख रेख और नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निबटारा कराने का प्रयास कर रही है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या राष्ट्रीय आयोग अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया है और क्या लाओस में ऐसी कोई घटना हुई है जिस के चलते वहां आयोग के लिये कार्य फिर से आरम्भ करना आवश्यक हो गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पिछले उत्तर में बताया जा चुका है कि हम ने यह सोचा था वहां जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह ऐसी है जिसका निबटारा आयोग कर सकता है । लेकिन आयोग को आमंत्रित करने के संबंध में मतभेद होने के कारण—लाओस की सरकार राजी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि आयोग के एक सदस्य की भी नियुक्ति नहीं हुई है,—हम उसे आमंत्रित नहीं कर सकते । लेकिन हमने संबंधित

---

†मूल अंग्रेजी में

सभी लोगों को यह बता दिया है कि इस मसले को निबटाने का सब से अच्छा तरीका यही है कि आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाय और वहीं इस मामले को निबटा दे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या पिछले कुछ महीनों में कुछ अन्य देशों या इसी आयोग के कुछ सदस्यों के खिलाफ़ ये आरोप लगाये गये हैं कि वे देश के शहरी-प्रशासन में दखलंदाजी करते हैं ? क्या कोई विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं और क्या वहां मौजूद आयोग को इन आरोपों का पता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे पता नहीं माननीय सदस्य किस विशिष्ट शिकायत का जिक्र कर रहे हैं हमेशा ही हर प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं । लेकिन मुझे विश्वास है कि आयोग या आयोग के सभापति ने दखलंदाजी नहीं की है । यह भी हो सकता है कि इस बात की जांच---या पूछ-ताछ करने पर भी कि क्या हो रहा है, यह कह दिया जाता है कि दखलंदाजी की जा रही है

†**श्री श्री नारायण दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस करार के राजनीतिक उपबन्ध को क्रियान्वित करने के संबंध में गतिरोध बना हुआ है, क्या उसको क्रियान्वित करने के लिये जेनेवा सम्मेलन बुलाने के प्रश्न पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं । मुझे जेनेवा सम्मेलन बुलाने के किसी प्रस्ताव का पता नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल** : ऐसा प्रतीत होता है कि लाओस संबंधी इस अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का काम इसलिये बन्द हो गया है क्योंकि इस आयोग से संबंधित एक राष्ट्र-विशेष का विचार था कि लाओस में इस आयोग को रखना और आवश्यक नहीं रहा । क्या यह राष्ट्र अब इस बात पर राजी हो गया है कि आयोग की पुनर्नियुक्ति की जानी चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सच है कि जहां तक लाओस का प्रश्न है, आयोग को सौंपा गया अधिकांश कार्य कमोबेश पूरा हो ही चुका था । लेकिन हमारे विचार से हिन्द चीन संबंधी ये विभिन्न आयोग परस्पर सम्बन्धित थे और इसलिये लाओस के आयोग को तब तक बने ही रहना चाहिये जब तक अन्य मसले भी नहीं निबट जाते । इसलिये यह आयोग अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया । उसे किसी भी समय बुलाया जा सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: यदि यह सच है कि आयोग के सामने बहुत सी शिकायतें आयी हैं, यदि उसे फिर से बुलाया नहीं जाता तो यह आयोग उनके बारे में क्या करने वाला है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मालुम नहीं माननीया सदस्य किसी शिकायत का जिक्र कर रही हैं । कुछ आरोप हो सकते हैं । लेकिन मैं यह बता चुका हूं कि आयोग वहां है ही नहीं ; उसके एक सदस्य हैं ही नहीं और आयोग कार्य नहीं कर सकता है । एक सदस्य के न होने के कारण उसे स्थगित कर दिया गया है । जब तक सभी सदस्यों की नियुक्ति न हो जाये पूरे आयोग की बैठक हो ही नहीं सकती । जहां तक मुझे पता है, किसी भी आरोप पर विचार नहीं होना है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हो सकता है कि कुछ समस्यायें उठायी गयी हों । क्या ऐसी समस्यायें हैं जो फिर से लाओस आयोग के बुलाये जाने पर उसके समक्ष रखने के लिये विभिन्न राष्ट्रों ने उठायी हों ? मेरा प्रश्न यही है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां । आयोग के खिलाफ़ नहीं [**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**---नहीं नहीं], वरन् वहां की स्थिति के बारे में कई शिकायतें की गयी हैं । जहां तक आयोग का संबंध

---

†मूल अंग्रेजी में

है, मैं यह माने लेता हूं कि यदि आयोग के काम के बारे में कोई शिकायत हो तो हम उस पर आयोग द्वारा विचार किये जाने का स्वागत ही करेंगे। लेकिन इन विभिन्न कठिनाइयों की वजह से आयोग की बैठक नहीं हो सकती है। इसलिये यह मसला दोनों सह-सभापतियों--जो ब्रिटेन और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री हैं--के पास भेज दिया गया है और जहां तक मुझे पता है कि इन दोनों सह-सभापतियों ने--मेरा तात्पर्य विदेश मंत्रियों से है, प्रधान मंत्रियों से नहीं--इन पर अभी अपना संयुक्त निर्णय नहीं दिया है।

†**श्री राधा रमण** : क्या इस गतिरोध को समाप्त कर कार्य पुनः आरम्भ करने के बारे में उत्तर या दक्षिण वियतनाम से कोई बातचीत हुई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो लाओस का मसला था। वे अपनी राय जाहिर कर सकते थे। मैं उत्तर या दक्षिण वियतनाम सरकार की तरफ़ से कुछ थोड़े ही कह सकता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज

†*१६१६. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिन्दी-भाषी राज्यों के लिये हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव की जांच पड़ताल पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) यह फैसला किया गया है कि अहिन्दी-भाषी राज्यों के लिये उनकी वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए जोनल (क्षेत्रीय) आधार पर हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालिज खोले जायें। इस योजना पर सारा खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी।

त्रिपुरा को सामान का भेजा जाना

†*१६२८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार चावल, सीमेंट आदि जैसा सामान पाकिस्तान रेलवे द्वारा त्रिपुरा को ले जाती है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में पाकिस्तान रेलवे को कितना भाड़ा दिया गया ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे को १९५८ में कोई विलम्ब शुल्क दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार कितना धन दिया गया है ?

†**गृह-कार्य-मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) सरकारी लेखे पर खाद्यान्न और अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें, जैसे, कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि, जुलाई, १९५८ तक पूर्वी पाकिस्तान रेलवे द्वारा कलकत्ता से त्रिपुरा को ले जायी जाती रहीं क्यों कि भारत-पाकिस्तान मार्ग हो कर सामान भेजने में सब से कम समय लगता है और सब से कम भाड़ा

†मूल अंग्रेजी में

पड़ता है। अगस्त, १९५८ के आरम्भ में पाकिस्तान अधिकारियों ने यकायक त्रिपुरा-पाकिस्तान सीमा बन्द कर दी जिसके परिणामस्वरूप अत्यावश्यक वस्तुयें बहुत समय तक पाकिस्तान में पड़ी रहीं। तब से सरकारी लेखे पर ये सब वस्तुयें अखिल भारतीय रेल और सड़क के रास्ते से ले जायी जाती हैं ताकि त्रिपुरा को संभरण होता रहे।

(ख) केवल जुलाई, १९५८ तक ४,१५,३८५ रुपये।

(ग) जी, हां।

(घ) १९,९७२ रुपये।

अध्यापकों के शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन

†*१६३०. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों को शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का पर्यटन करने के लिये प्रोत्साहन देने की केन्द्रीय योजना से कितने राज्यों ने लाभ उठाया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चार राज्य और दो संघ राज्य-क्षेत्र।

(ख) १९५८-५९ में ४,११४ रुपये।

यूनेस्को[1]

†*१६३८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व में स्कूल के बच्चों में अपना महत्व बढ़ाने के लिये यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन) ने कोई योजना चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें भारत को भी सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) इसका कार्यक्रम क्या होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दुष्कृति के लिये राज्य का उत्तरदायित्व[2]

†*१६३९. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री अय्या कण्णु :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुष्कृति के लिये राज्यों के उत्तरदायित्व के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]UNESCO
[2]State's Responsibility in TORTS

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विधान लागू किया जायेगा ; और यदि हां, तो यह कब लागू किया जायेगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने आयोग के प्रतिवेदन की, उस पर राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए, जांच की है । दुष्कृति के लिये सरकार के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कानून की व्याख्या करने वाला और उससे सम्बन्धित विषयों के बारे में व्यवस्था करने वाला एक प्रारूप विधेयक तैयार कर लिया गया है और उसको राज्य सरकारों की राय जानने के लिये परिचालित कर दिया गया है। अभी तक केवल सात राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर संसद् में एक विधेयक उपस्थापित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायगा जब सब राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जायेंगे और उनकी जांच कर ली जायगी ।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी समिति

†*१६४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **विधि** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में योजना बनाने के लिये एक समिति नियुक्त करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजार नवीस)** : सरकार स्वयं निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिये योजना बनाने के प्रश्न की जांच कर रही है और यह फैसला किया गया है कि इस कार्य के लिये एक समिति नियुक्त न की जाये ।

पंजाब को बेरोजगारी सहायता

†२६३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पंजाब सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिये कितनी सहायता और ऋण दिया गया है ; और

(ख) उन योजनाओं का क्या ब्यौरा है जिन पर धन खर्च किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विकास योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को दी गयी केन्द्रीय सहायता से उनको बेरोजगारी दूर करने में सहायता मिलती है । विशेषत: बेरोजगारी दूर करने के लिये १९५८-५९ में पंजाब सरकार को अनुदान और ऋण के रूप में कोई सहायता नहीं दी गयी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धन-कर

†२६३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री वाजपेयी :
श्री हेम राज :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में राज्य-वार कितने धन-कर का निर्धारण किया गया, कितना धन-कर वसूल किया गया और कितना धन-कर बाकी रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों के आयुक्तों से प्राप्त जानकारी दी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६**] क्योंकि कुछ आयुक्तों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है, अतः कुछ राज्यों के बारे में पृथक रूप से आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

कोयले का उत्पादन

†२६३९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में (राज्य-वार) कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : १९५८ में कोयले का (राज्य-वार) उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :

बिहार	२१८.१४ लाख टन
पश्चिमी बंगाल . . .	१४२.४६ ,, ,,
मध्य प्रदेश .	५३.९० ,, ,,
आन्ध्र . .	२१.१७ ,, ,,
बम्बई . .	६.६१ ,, ,,
आसाम . .	५.६४ ,, ,,
उड़ीसा . . .	५.३४ ,, ,,
राजस्थान . .	०.१२ ,, ,,
कुल .	४५३.३८ लाख टन

पंजाबी नाटक का विकास

†२६४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में पंजाबी नाटक का विकास और उनकी उन्नति करने के लिये पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निजी थैलियां

†२६४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में भूतपूर्व भारतीय राजाओं को निजी थैलियों के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गयी ; और

(ख) १९५९-६० में कितना धन दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १९५७-५८ में दी गयी वास्तविक धन राशि ५,४०,१९,४४९ रुपये है । वर्ष १९५८-५९ के लिये पुनरीक्षित आय व्ययक प्राक्कलन ५,४१,९३,००० रुपये हैं, परन्तु इस वर्ष हुये वास्तविक खर्च का अभी पता नहीं लगा है ।

(ख) १९५९-६० के लिये आय व्ययक प्राक्कलन ५,३६,७८,००० रुपये है ।

उप-निर्वाचन

२६४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में (राज्य-वार) राज्य विधान सभाओं और लोक-सभाओं के कितने उप-चुनाव हुये ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५८ में लोक-सभा और राज्यों के विधान सभाओं के लिये किये गये उप-चुनाव के बारे में जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

संस्कृत का विकास

†२६४३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में संस्कृत के विकास के लिये कुल कितना धन खर्च किया गया ; और

(ख) संस्कृत के विकास के लिय १९५९-६० में कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३,२७,७०० रुपये ।

(ख) ३,७६,१०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य में समाज कल्याण केन्द्र

†२६४४. **श्री पांगरकर : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन १९५८-५९ में बम्बई राज्य के पिछड़े हुये और अन्य क्षेत्रों में कितने समाज कल्याण केन्द्र खोले गये ;

(ख) उसी कालावधि में इन केन्द्रों में क्या क्या योजनायें आरम्भ की गयीं ; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितना धन खर्च किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) बालवाड़ी, महिलाओं के समाज शिक्षा, शिल्प प्रशिक्षण, प्रसूति सेवायें तथा कुछ सामान्य सांस्कृतिक और मनो-विनोद के कार्य ।

(ग) हर कार्य पर किये गये खर्च के पृथक-पृथक आंकड़े देना संभव नहीं है । तथापि लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त होने पर सब कार्यों पर किये गये कुल खर्च के आंकड़ें सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

खनन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें

†२६४५. **श्री न० म० देब : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना की मांग को पूरा करने के लिये कोयला-खानों के लिये उच्चतर प्रविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये बाकी संस्थायें स्थापित करने का प्रस्ताव है (जिसका उल्लेख इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के १९५८-५९ के प्रतिवेदन में किया गया है) ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: १ माइनिंग इंजीनियरिंग (खनन इंजीनियरी) में डिग्री पाठ्यक्रम के लिये भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, बम्बई सातवां केन्द्र है, जिसकी अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् ने सिफारिश की है ।

२. अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर माइनिंग इंजनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये निम्नलिखित स्थानों पर बारह संस्थायें स्वीकृत की गयी हैं :—

(१) आसनसोल; (२) बारबील, क्योंझारगढ़ (उड़ीसा); (३) झरिया; (४) कोडरमा; (५) छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश); (६) उदयपुर; (७) ऊरगांव (मैसूर) ; (८) गुडूर; (९) कोठागुदियम (आंध्र प्रदेश); (१०) ओंडल (पश्चिमी बंगाल); (११) कोरबा (मध्य प्रदेश); (१२) सिन्दरी । प्रथम १० स्थानों पर संस्थाओं की मंजूरी दे दी गयी है । अन्तिम दो स्थानों पर संस्थाओं की स्थापना के प्रश्न पर संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का निर्यात

†२६४६. **श्री न० म० देब :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (बर्मा और पाकिस्तान को छोड़ कर) १९५८ में विदेशों को कोयले के निर्यात में कमी के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** हांगकांग, सिंगापुर और अदन में कोयला संग्रह करने के लिये कोयले की मांग में कमी के कारण निर्यात में कमी हुई। जितना माल इन को भेजा जाता था, उसमें से कुछ अन्य देशों को, मुख्यतः लंका को भेजा गया।

खानों के विदेशी स्वामी

†२६४७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खानों के कितने स्वामी विदेशी हैं और विभिन्न राज्यों में उनको कितना खनन क्षेत्र पट्टे पर दिया गया है ; और

(ख) खानों के इन विदेशी स्वामियों का पट्टा कब समाप्त होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क). और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और इसके इकट्ठा हो जाने पर इसको सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

खानों के स्वामी

†२६४८. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार लोहा, मैंगनीज और क्रोम-अयस्क खानों के कुल कितने स्वामी हैं ; और

(ख) राज्य-वार प्रत्येक खनिज पदार्थ के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). इस जानकारी को इकट्ठा करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो कि प्रश्न के उद्देश्यों के समनुरूप न होगा।

पूर्वेक्षण[1] व खनन लाइसेंस

†२६४९. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ के वर्षों में समस्त राज्यों में खनिज रियायत नियमों की अनुसूची ४ में दिये गये खनिजों के पूर्वेक्षण और खनन के लिये क्रमशः कितने लाइसेंस और पट्टे दिये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Prospecting.

(ख) प्रत्येक खनिज पदार्थ के लिये इस रियायत के अधीन कुल कितना क्षेत्र आता है ; और

(ग) जिन पार्टियों को ये रियायतें दी गयी हैं उनके नाम और पते क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जानकारी राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र[1]

†२६५०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में उड़ीसा में विभिन्न खनिज रियायतों के लिये खान स्वामियों से कितने पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ;

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ में ऐसे कितने आवेदन-पत्र निबटाये गये ;

(ग) कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ;

(घ) पुनर्विलोकन आवेदन-पत्रों को निबटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उसमें शीघ्रता करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) १९५७-५८ और १९५८-५९ में उड़ीसा राज्य में विभिन्न खनिज पदार्थों के लिये इन पुनर्विलोकन आवेदन-पत्रों में कुल कितना खनिज क्षेत्र शामिल है ; और

(च) इन पुनर्विलोकन आवेदन-पत्रों में निहित कुल क्षेत्र से कुल कितना अधिकार-शुल्क और कितना स्थिर भाटक (डेड रेंट) वसूल होने की आशा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग) और (ङ). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

(घ) पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र सामान्यतः यथासम्भव शीघ्र निबटाये जाते हैं परन्तु कुछ मामलों में, उन पर राज्य सरकारों के विचार न प्राप्त होने के कारण अथवा केन्द्रीय सरकार के इस मामले में अपने टेक्निकल विशेषज्ञों से परामर्श किये जाने के कारण देरी हो जाती है। केन्द्रीय सरकार ने सब संबंधित व्यक्तियों को पुनर्विलोकन आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निबटाने के लिये कह दिया है।

(च) अधिकार-शुल्क किसी खान से निकाले गये खनिज पदार्थ की मात्रा पर देना पड़ता है और किसी क्षेत्र में से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है, अतः देय अधिकार-शुल्क के बारे में कोई आंकड़े बताना संभव नहीं है। जहां तक स्थिर भाटक का संबंध है, यह अलग-अलग खनिजों का और अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है। अतः स्थिर भाटक के बारे में भी जानकारी नहीं दी जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Review Applications.

वैज्ञानिकों का केन्द्रीय 'पूल'

†२६५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अरविन्द घोषाल :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिकों और प्रोद्योगविज्ञों के केन्द्रीय 'पूल' के संबंध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् को मंत्रणा देने के लिये एक समिति बनाने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : समिति बना दी गयी है । १४ जनवरी, १९५९ को इसकी पहली बैठक हुई थी ।

मैट्रिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†२६५२. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में मैट्रिक के बाद हिन्दी का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार द्वारा बम्बई राज्य के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ; और

(ख) ये छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९५७-५८ .	३
१९५८-५९ . . .	५

(ख) योग्यता के आधार पर ।

भारत १९५८ प्रदर्शनी में जेब काटने की घटनाएं

†२६५३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत १९५८ प्रदर्शनी में दिल्ली के जेबकतरों के अतिरिक्त पड़ौसी राज्यों के बहुत से जेबकतरों ने अपना काम किया ; और

(ख) प्रदर्शनी में, जेबों के कतरे जाने, चोरी और बच्चों के अपहरण के कितने मामलों की रिपोर्ट की गयी और कितने पकड़े गये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) दिल्ली के दो और पड़ौसी राज्यों के ६ जेब-कतरे पकड़े गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	जेबों का कतरा जाना	चोरी	शिशु-अपहरण
(ख) रिपोर्ट किये गये मामलों की संख्या . .	२३	१९	शून्य
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या . .	८	शून्य	शून्य

नगर निर्वाचन

†२६५४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर निर्वाचन लड़ने के लिये त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो १६ अगस्त, १९४७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि में ऐसे मामलों की क्या संख्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों का कल्याण

†२६५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५८ में दिल्ली प्रशासन के अधीन कर्मचारियों के प्रयोग के लिये कितने अस्पताल और चिकित्सालय, स्कूल, विश्रामगृह, शिशु कल्याण और प्रसूति-गृह, वाचनालय और खेलने के मैदान बनाये गये ; और

(ख) उन पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : केवल दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के प्रयोग के लिये १९५८ में कोई अस्पताल, स्कूल आदि नहीं बनाये गये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टेनलैस स्टील का आयात

†२६५६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलेस स्टील के सामान के आयात में ढील दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९ में अब तक स्टेनलेस स्टील के कितने सामान का आयात किया गया ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उसका कुल मूल्य कितना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य स्टेनलेस स्टील की चादरों आदि के आयात के बारे में जानना चाहते हैं। यदि ऐसा है, तो इन चीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध जारी है। १ जनवरी से १४ फरवरी तक ये चीजें १७,९७,०५३ रुपये के मूल्य की लगभग ३१८ टन आयात की गयी।

कोयले का परिवहन

†२६५७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि कोयले के परिवहन के लिये वैगनों के आवंटन का कार्य रेलवे मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया जाय;

(क) यदि हां, तो क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय इस बात से सहमत हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). रेलवे मंत्रालय द्वारा एक सुझाव दिया गया है कि माल-डिब्बों के आवंटन का कार्य उनको हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये। सुझाव की जांच की जा रही है ?

संघ-राज्य क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

†२६५८: **श्री राम कृष्ण गुप्तः** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों के पिछड़े हुये क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी सुविधाओं का व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ; और

(ख) १९५९-६० में इस कार्य पर कुल कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) संघ-राज्य क्षेत्रों के पिछड़े हुये इलाकों में ये शिक्षा सुविधायें दी गई हैं और दी जायेंगी : अधिकांशतः बेसिक स्कूलों की तरह के नये स्कूल खोलना, वृति का और छात्रवृति देना; फीस में रियायत; पुस्तकें खरीदने के लिये वित्तीय सहायता; ग्रामीण बच्चों के लिये शहरी स्कूलों में छात्रावास की सुविधायें; प्रौढ़ साक्षरता और सामुदायिक केन्द्र और समाज सेवा शिविर, पुस्तकालयों की स्थापना, वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त उपकरण की व्यवस्था करके उनका विस्तार करना; प्रशिक्षित अध्यापकों को रखना और अध्यापन साधनों की व्यवस्था करना। शिक्षा के विभिन्न क्रमों पर अधिक शिक्षण सुविधायें देने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी

(ख) १९५९-६० में शिक्षा के विकास की योजनाओं के लिये निम्नलिखित धनराशि का उपबन्ध किया गया है :

	रुपये
(१) दिल्ली . . .	९३,०५,०००
(२) त्रिपुरा	२८,३०,५००
(३) मनीपुर	२१,२५,९००
(४) हिमाचल प्रदेश	३९,९४,०००
(५) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	७,९३,९००
(६) लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह . .	३,६१,२००

हिमाचल प्रदेश में दरिद्र छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

२६५९. **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी दी गयी हो :—

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला महासू के कितने विद्यार्थियों को १९५८-५९ में गरीबी के कारण छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ख) वे कहां के रहने वाले हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). महासू जिले के नीचे लिखे गांवों और नगरों के १२९ छात्रों को १९५८-५९ में गरीबी के कारण छात्रवृत्तियां (वृत्तिकाएं) दी गई थीं :—मालघी, नावी, शलहोरी, दूड़ी, बाघर, बदुआ, कोटला, धार, सांगला, घरल, अर्की, गंजूबरी, शारी, भरारा, बिहोलर, चीनी, गोधारी, चम्मारू, नवारु, तेलविगी, कोठी, थया, रोहरू, डोडू, रनवी, बाग, गुलथाना, जमरोती, दलव, भूमि, पुखरो, कांडरी, पारोच, कामरू, पुराग, बरार, पनहोई, खोना, डावरु, चकनोटी, झगतन, नसांड, सालकूरा, कालांग, कथासू, गरखान, कामरू, डांगला, कुमारसेन, कोटगढी, भूमती, झगतन, माबोग, बरोतीवाला, कनई, उर्नी, बोधना, गुमासू, हालोड़, खेरा, चीवा, भूइन्त, पोतीजुब्बर, दाशिल, गोधारी, सलावरकर, कुफरी, जब्बल, रागोरी, सवारा, पूजढ़, झाडर, जुब्बर, कियाना, बरथाला, कोलवी, ओगली, अस्तंडिया, जाचली, कियारा, मानन, मारन, काशपत, भवाना, जोहरनपुर, सरपरा, करासा, शाकरा, मोलन, मंडल, गोरखाना, बरसनु, ढांडा, कोटी, कोटखाई, नाल ।

हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के भवन

२६६०. **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश में १९५८-५९ में प्रत्येक जिले में बनाई गई स्कूलों की नई इमारतों और जीर्णोद्धार की गई इमारतों की संख्या बताई गई हो ?

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मांगी गयी सूचना इस प्रकार है:—

जिले का नाम	बनाई गयी नई स्कूली इमारतों की संख्या	जीर्णोद्धार की गई स्कूली इमारतों की संख्या
महासू . .	१७	२६
मंडी .	३	१६
चम्बा .	५	६
सिरमूर . . .	१३	—
बिलासपुर . . .	४	१६

हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के सेवा निवृत्ति वेतन

२६६१. { **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल में ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी पैन्शन के मामलों को पिछले दो अथवा दो से अधिक वर्षों से नहीं निबटाया गया ; और

(ख) ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है जो पैन्शन लिये बिना ही परलोक सिधार गये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३७।

(ख) ६ ।

ट्रैक्टरों और ट्रकों का निर्माण

†२६६२. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा के अधीन उत्पादन यूनिटों का विशेषतः मल्टिफ्यूल ट्रकों और ट्रैक्टरों के उत्पादन की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये गैर-सरकारी निकायों को प्रोत्साहन देने का है ; और

(ख) क्या इन्हीं चीजों का उत्पादन करने वाले गैर-सरकारी उद्योगों को किसी रूप में प्रतिरक्षा उत्पादन से सम्बद्ध किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). ट्रकों और ट्रैक्टरों का उत्पादन शस्त्रास्त्रों का उत्पादन करने वाले वर्तमान आयुध कारखानों में ही होगा। अतः गैर-सरकारी पक्षों को सामान्य नियम के रूप में इन कारखानों का परीक्षण करने के लिये प्रोत्साहन देना सुरक्षा के हित में नहीं होगा। देखने आने वालों के संबंध में सामान्य प्रक्रिया चालू रहेगी। यदि सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुये और उत्पादन के हित को देखते हुये कोई व्यवस्था की जा सकती है तो ऐसी प्रार्थनाओं पर विचार किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य में लोह-अस्यक निक्षेप

†२६६३. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में लौह-अयस्क के निक्षेप निकालने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में पश्चिमी जर्मनी के धन विनियोग में जोखिम की गारंटी

†२६६४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जर्मनी एक योजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने जा रही है जिसके अधीन वह भारत में जर्मन विनियोजकों को जोखिम से बचाने की व्यवस्था कर सकेगी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत सरकार को पश्चिमी जर्मनी के पास से इस बारे में अभी तक कोई सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता लगा है है कि पश्चिमी जर्मनी सरकार इस प्रकार के जोखिम गारंटी की योजना पर विचार कर रही है ।

भारत में धर्म प्रचारक

†२६६५. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि भारत की धर्मप्रचारकों द्वारा विदेशों से प्राप्त राशि १९५६ से १९५८ तक किस प्रकार व्यय की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो धमार्थ एवं शैक्षणिक कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अफीम कारखाना, गाजीपुर

†२६६६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर के अफीम कारखाने में वर्ष १९५८ में अफीम का कितना उत्पादन हुआ और

(ख) कितनी अफीम का निर्यात किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) गाजीपुर के अफीम के कारखाने में १९५८ में अफीम का उत्पादन :

	(मन)
उत्पादन शुल्क लगने योग्य अफीम . .	४१८
निर्यात की जाने वाली अफीम .	१२,६९९
जोड़ . .	१३,११७

(ख) निर्यात की गयी अफीम का परिमाण --१२,१८४ मन ।

भारत में पाकिस्तानी

†२६६७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय या तो बिना मान्य पारपत्र के द्वारा आकर अथवा निर्धारित समय से अधिक चोरी से कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त).** (क) १ नवम्बर, १९५८ को इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :

मान्य पारपत्र के बिना रहने वाले लोग	२५,०५६
दृष्टांक समाप्त हो जाने के बाद भी रहन वाले लोग . . .	३८,७६८

(ख) भारतीय पारपत्र अधिनियम के अधीन अथवा विदेशी अधिनियम जो भी लागू हो, अवैध रूप से प्रवेश करने अथवा अधिकृत रूप से रहने के लिये अभियोग चलाये गये हैं। दोष सिद्ध हो जाने के बाद भी जो लोग नहीं जाते उनको देश से निकालना पड़ता है ।

जीवन बीमा निगम

†२६६८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जीवन बीमा निगम द्वारा अध्यापकों के लिये रियायती प्रीमियम की दर पर बीमा की योजना लागू करने पर विचार कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जी, नहीं ।

मद्रास राज्य में राजनीतिक पीड़ित

†२६६९. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास राज्य में राजनीतिक पीड़ितों के पास से कोइ ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जिला राजनीतिक पीड़ित संघम के पास से कुछ संकल्प, और लगभग २० व्यक्तियों के पास से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) ये मामले प्रमुख रूप से राज्य सरकार से संबंध रखते हैं, अतः वे मद्रास राज्य सरकार को भेज दिये गये थे।

मद्रास राज्य में इस्पात संयंत्र की स्थापना

†२६७०. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) परीक्षा

†२६७१. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के ३९ उम्मीदवारों की पदोन्नति भारतीय प्रशासन सेवा में कर दी है; और

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन ४० उम्मीदवारों को लेने का विचार त्याग दिया है जो भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती परीक्षा, १९५६) में उत्तीर्ण हो गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के राज्य सेवाओं के ३९ पदाधिकारियों में से जो विशेष भर्ती योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा के लिये उपयुक्त समझे गये थे उनमें से ६ की पदोन्नति कर दी गई है।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) परीक्षा १९५६ में से लगभग ३० उम्मीदवारों की भर्ती केन्द्रीय सचिवालय सेवा की तृतीय श्रेणी में करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मल का सर पर ढोना

†२६७२. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को नगरपालिका वाले नगरों में लगे भंगियों द्वारा मल को सर पर ढोने की प्रथा को समाप्त करने के बारे में योजनायें कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**गृह-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां ।

(ख) ३०,००० रुपये ।

असिस्टेण्ट के स्थानों के लिए विभागीय परीक्षा, १९५८

†२६७३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, १९५८ में असिस्टेण्ट के स्थानों के लिये जो विभागीय परीक्षा ली गई थी उसमें कितने लोग सम्मिलित हुये थे ;

(ख) लिखित परीक्षा में कितने व्यक्ति सफल घोषित किये गये थे ;

(ग) आचरणवलि की जांच कर लेने के पश्चात् उनमें से कितने व्यक्ति अन्तिम रूप से सफल घोषित किये गये थे ;

(घ) क्या यह सच है कि लिखित परीक्षा में ४५ प्रतिशत अंक और अन्तिम परिणाम में ५० प्रतिशत तथा उससे अधिक अंश रखे गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रतिशत को अधिक रखने के क्या कारण थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) ५,५०५ ।

(ख) ४९०

(ग) ३४३

(घ) और (ङ). ये मामले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपने स्वविवेक पर कार्य करने के ऊपर निर्भर करते हैं ।

दिल्ली में जोती जाने वाली भमि

†२६७४. **श्री नरदेव स्नातक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम १९५४ जिन क्षेत्रों में लागू है उनमें मालिकों द्वारा स्वयं २० जुलाई, १९५४ से २७ अक्तूबर, १९५६ तक भूमि पर खेती की गई; और

(ख) उनमें से ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास ३० निर्धारित एकड़ अथवा उससे कम जोत है तथा उन के पास कुल इस प्रकार की कितनी भूमि है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र करने के लिये पटवारियों को कम से कम तीन सप्ताह के लिये भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य से मुक्त करना होगा। भूमि सुधार को कार्यान्वित करने का काम लगभग पूरा होने पर है। अतः मांगी गई जानकारी एकत्र करने के लिये पटवारियों को उस काम से रोक देने से भूमि सुधार के कार्य में बाधा पहुंचेगी। ऐसी परिस्थितियों में इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह निकलने वाले परिणाम की तुलना में बहुत कम होगा।

मनीपुर के हाई स्कूलों के हिन्दी अध्यापक

†२६७५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा हिन्दी पढ़ाने के लिये जितनी निधि की व्यवस्था की गई है उससे मनीपुर के हाई स्कूलों में १९५७–५८ और १९५८–५९ में कितने हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: १९५७–५८ में २४ और १९५८–५९ में ३० हिन्दी अध्यापक नियुक्त किये गये हैं।

भारत में ईसाई प्रचारक

†२६७६. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत के ईसाई प्रचारकों को विदेशों से १९५८ के उत्तरार्द्ध में प्रत्येक देश से अलग-अलग कितनी राशि प्राप्त हुई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)**: मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा - पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

संग्रहालय

†२६७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों और राज्य संग्रहालयों के संग्रहाध्यक्षों के पास से संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास सम्बन्धी योजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) २८–२–५९ को सभी राज्य सरकारों और संग्रहालय प्राधिकारियों से निवेदन किया गया था कि फरवरी, १९५९ में केन्द्रीय संग्रहालय मंत्रणा बोर्ड की अन्तिम वार्षिक बैठक द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित प्राथमिकताओं के आधार पर संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास के सम्बन्ध में अपने नये प्रस्ताव भेज दें। अब तक गैर-सरकारी संग्रहालयों के पास से दो निवेदन प्राप्त हुये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्योरा नीचे दिया है :—

क्रम संख्या	संस्था का नाम	जिन मदों के लिये सहायता की आवश्यकता है					
		सामान	गवेषणा और प्रयोग-शालायें	पुस्तकालय	प्रकाशन तथा सूची	अधिग्रहण जिसमें चन्दा भी शामिल है।	कुल जितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१.	गया संग्रहालय, गया	३,२००	५००	१,०००	१,५००	३,०००	९,२००
२.	केलिकोम्यूज़ियम आफ टेक्सटाइल्स	..	..	..	१,००,०००	१,००,०००	२,००,०००

स्थगन प्रस्ताव

चीनी दूतावास द्वारा "पीपुल्स डेली" में लेख का प्रकाशित करवाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा जारी रखेगी। मैंने कल उसकी अनुमति इसलिये नहीं दी थी कि अनुमति देने से पहले मैं जान लेना चाहता था कि उसके पीछे दृष्टिकोण क्या है। मैंने उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार सुन लिये हैं। कल उस पर कोई निर्णय इसलिये नहीं किया गया था कि प्रधान मंत्री उपस्थित नहीं थे। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसके बारे में अपने विचार भी प्रकट करें।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : क्या गृह-कार्य मंत्री मेरे कल के प्रश्न का उत्तर देंगे ? (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** (कलकत्ता-मध्य) : प्रधान मंत्री के बोलने से पहले, मैं कुछ चीजें सभा के सामने रखना चाहता हूं। यह इसलिये जरूरी है कि कल हमारे पास इस विषय से सम्बन्धित पूरी सामग्री नहीं थी और कल पूरी परिस्थिति को ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया था। अब प्रधान मंत्री का वक्तव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इस विषय के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और चीन के साथ हमारे देश के सम्बन्धों का हवाला देंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देने से पहले, और आप स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने से पहले, हमारी पूरी बात सुन लें।

†**अध्यक्ष महोदय :** कल मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की एक प्रति मांगी थी। यदि माननीय सदस्य के पास वह हो, तो मुझे दे दें। कल उसी के सिलसिले में कुछ मतभेद सामने आये थे। श्री नागी रेड्डी ने कल कहा था कि वह मुझे उस वक्तव्य की एक सही प्रति दे देंगे। उसके अलावा, मैं अब इस विषय में और आगे चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। हां, स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय करने से पहले, मैं प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण अवश्य जानना चाहता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : कल मैंने यही कहा था कि उस संकल्प की अधिकृत प्रति देखे बिना ही कुछ माननीय सदस्यों ने कम्युनिस्ट पार्टी पर कुछ आक्षेप किये थे ।..... (**अन्तर्बाधायें**)

मैं यही चाहता हूं कि पार्टी के उस वक्तव्य के सम्बन्ध में हमें अपनी स्थिति का पूरी तौर पर स्पष्टीकरण करने दिया जाये । सभा ने अभी हमारी पार्टी के सम्बन्ध में अन्य लोगों की ही बात सुनी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कम्मुनिस्ट पार्टी की ओर से श्री ही० ना० मुकर्जी को स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया था । अब मैं उस पार्टी के अन्य किसी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दे सकता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं अपनी कुछ बातें इसलिये कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देने से पहले उनको जान लें, जिससे कि वह एक ऐसे दूषित बातावरण में अपना वक्तव्य न दें कि वह देश के हितों के विरुद्ध पड़े ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल इस सम्बन्ध में काफी कुछ कहा जा चुका है । मैं उस पेचीदगी को और बढ़ाना नहीं चाहता ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं एक विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई नई बात होगी तो हम उस पर बाद में विचार करेंगे । विशेषाधिकार प्रश्न के लिये मेरे पास पहले से लिखित सूचना आनी चाहिये थी । उसके बाद ही, मैं उस पर विचार करूंगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैंने कल एक प्रश्न पूछा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को इस प्रकार बाधा नहीं डालने दूंगा । माननीय सदस्य ने गृह-कार्य मंत्री से प्रश्न पूछा था । उन्होंने उसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक नहीं समझा होगा । यदि प्रधान मंत्री के वक्तव्य में भी उन्हें उसका उत्तर न मिले, तो भी माननीय सदस्य को संतोष करना चाहिये । माननीय प्रधान मंत्री ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे अफसोस है कि मैं कल सभा में हाजिर नहीं हो सका था । मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था । दिल्ली लौटकर, मैंने अभी तक कोई भी अखबार नहीं देखा । हां, लेकिन मैंने सभा में कल जो भी कुछ हुआ था उसकी सरकारी रिपोर्ट पढ़ली है और मेरा ख्याल है कि उस पर ज्यादा एतबार, किया जा सकता है । उस रिपोर्ट से पता चला है कि कल सभा में किस ढंग की बातें कही गई थीं । उससे मैंने अन्दाजा लगा लिया है कि कल यहां क्या कुछ हुआ होगा । मैं किसी की भी शान के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि कल जो भी कुछ हुआ उससे पता चलता है कि विचारों को व्यक्त करते समय, संयम से काम नहीं लिया गया कुछ गरमागरमी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सभा उस मामले पर ठीक से विचार ही नहीं कर पाई जो कि उसके सामने पेश था ।

यह एक अहम मामला है । मैं इससे पैदा होने वाली गरमागरमी को भी समझ सकता हूं । यह मामला इसलिये अहम नहीं बन गया है कि इसके बारे में दो से ज्यादा स्थगन प्रस्ताव

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आये हैं, बल्कि इसलिये कि उन प्रस्तावों के पीछे कौन सी बात है। और उसी की वजह से देश में और सभा में इस मामले को लेकर काफी गरमागरमी हो गई है। शायद वे प्रस्ताव अपने-आप में उतने अहम नहीं हैं। लेकिन चूंकि उन प्रस्तावों की तह में एक इतनी अहम बात है, इसलिये और भी जरूरी है कि हम उस अहम मसले पर ही गौर करें और दूसरे छोटे-मोटे मसलों को उसमें न उलझायें, या कुछ कम अहम ऐसी बातों के झमेले में न पड़े जिनका असर उस अहम मसले पर भी पड़ सके। यह मामला ऐसा है कि इससे कई बड़े-बड़े और अहम मसले जुड़े हुये हैं, और उन सभी के बारे में सभा के हरेक सदस्य की एक ही राय नहीं है। लेकिन हम सभी एक मोटे तौर पर यह मानते हैं कि इस मामले में जो कुछ भी हो रहा है और उसके जो नतीजे हैं, उन की बड़ी अहमियत है। जाहिर है कि इस मामले में हम जो भी नीति अपनायें उसे हमारे देश की इज्जत और उसके बड़प्पन और उसके हितों से पूरा मेल खाना चाहिये। उसे हमारे उन उसूलों से भी मेल खाना चाहिये। जिन्हें हम सामने रखते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जिन मसलों पर तमाम लोगों में कुछ टकराव पैदा हों, लोगों में कुछ गरमागरमी हो, उन मसलों के बारे में हमें काफी सोच समझकर ही कुछ कहना या करना चाहिये। और खासतौर से हमारी संसद् को तो और भी सोच-समझकर चलना चाहिये, क्योंकि उसकी बात सारी दुनिया में सुनी जाती है। ऐसी मुश्किल के वक्त हमें सावधानी से, अक्लमंदी से काम करना चाहिये। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपनी नीति में नरमी पैदा करलें। हम उसी नीति पर चलेंगे जो यह सभा आखिर में तय कर देगी।

कल पेश किये जाने वाले दो स्थगन-प्रस्तावों में दो मामलों का जिक्र किया गया था। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जारी किये गये बयान के बारे में था, और दूसरा मामला था पीकिंग के "पीपुल्स डेली" के एक लेख के बारे में, जिसे हमारे यहां के चीनी दूतावास की किसी एजेन्सी ने प्रकाशित करवाया है।

शायद आज भी एक स्थगन-प्रस्ताव आया है। मुझे उसका नोटिस मिला है। पता नहीं आपने अभी उस पर गौर किया है, या नहीं। एक, असल में दो, स्थगन-प्रस्ताव आये हैं। उनमें सबसे पहले तो मुझ से यह बात पूछी गई है कि इस बात में कितनी सचाई है कि चीनी अधिकारियों ने तिब्बत में हमारे भारतीय मिशन की इमारत की तलाशी लेनी चाही है या हमसे उसको खाली कर देने के लिये कहा है। अखबारों में तरह तरह की अफवाहों की भरमार रहती है। इन सवालों से पता चलता है कि उन अफवाहों का लोगों पर कितना ज्यादा असर पड़ता है और उनकी बिना पर सभा में स्थगन-प्रस्ताव तक रख दिये जाते हैं। इसमें कोई सचाई नहीं है। न किसी ने हमसे तलाशी की बात कही है, और न इमारतें खाली करने की। फिर भी उसके बारे में स्थगन-प्रस्ताव रखे जा रहे हैं और मुझसे वक्तव्य देने के लिये कहा जा रहा है। आजकल अखबारों में जितने वक्तव्य छप रहे हैं, खासतौर से कालिम्पोंग या हांगकांग से ऐसी खबरों की जो बाढ़ सी आ रही है, उन सबके साथ क़दम मिला कर चलना बहुत मुश्किल है। जो भी हो, इस खबर में कोई भी सचाई नहीं है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव में मुझ से यह पूछा गया है कि क्या चीनी दूतावासों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता को कुछ मसलों पर बात करने के लिये अपने यहां बुलाया है। मुझे इसकी जानकारी कैसे हो सकती है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम।

फिर, एक-दो दिन पहले तिब्बत के रहने वाले कुछ लोग जो मुझसे मिलने आये थे, उसके बारे में मुझ से वक्तव्य देने के लिये कहा गया है। परसों तिब्बत के करीब १२५ निवासी मुझसे

मिलने आये थे। मेरे यहां तो रोज सुबह कई सौ आदमी मुझसे मिलने आते हैं। उनमें किसान भी होते हैं और विद्यार्थी भी, तरह तरह के लोग आते हैं। इसलिये कि बदकिस्मती से मुझे भी दिल्ली के दर्शनीय स्थानों में शुमार कर लिया जाता है !

तिब्बत के इन १२५ लोगों ने कहा था कि वे मेरी इज्जत करते हैं और उसी का इजहार करने के लिये मुझ से मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें इजाजत दे दी। उनमें से ज्यादातर लोग भारत के राष्ट्रजन थे, खास तौर से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और उत्तरी इलाक़ों के रहने वाले। उनमें से कुछ तिब्बती उद्भव के भारतीय राष्ट्रजन थे, और कलकत्ते से आये थे, वे कलकत्ता, बनारस, कालिम्पोंग वगैरह की किसी संस्था के नुमाइन्दे थे। कुछ लोग खास तिब्बत के भी थे। और कुछ दिन पहले ही हमारे मुल्क में आये थे। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मुझे ज्ञापन की तरह का एक काग़ज़ दिया। इसके बाद, वे चले गये। इससे ज्यादा और कुछ हुआ ही नहीं था।

कल जिन दो मामलों का जिक्र किया गया था, उनमें से एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बयान के बारे में था। मैंने भी उसकी एक कापी हासिल करके, उसे बड़े गौर से पढ़ा है। मैं पक्कीतौर पर तो नहीं कह सकता, फिर भी समझता हूं कि वह कापी सही ही होगी।

मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पास उसकी सही कापी ही है। मैं उस बयान में कही गई बातों से सहमत नहीं हूं। उसमें कुछ चीज़ों को एक खास ढंग से मरोड़ने की कोशिश की गई है। मैं उसे ठीक नहीं समझता। लेकिन हमारे समाने यह सवाल तो है ही नहीं कि हम उस बयान से इतिफाक रखते हैं या नहीं। यह सवाल है ही नहीं। सवाल तो यह है कि क्या इस बयान को जारी करने से कोई बड़ा अनौचित्य हुआ है। मैं खुद भी अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाया हूं कि यदि कोई राजनैतिक पार्टी आमतौर पर अपना कोई बयान संसद् के बाहर जारी करता है, उसको लेकर संसद् में कोई स्थगन-प्रस्ताव कैसे रखा जा सकता है। वैसे तो हर मामला अपने ढंग का होता है और उसे पूरी तौर से देखने समझने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आम तौर पर, राजनैतिक पार्टियां एक दूसरे की नुक्ताचीनी करती ही हैं, एक-दूसरे की आलोचना करती ही हैं, जो एक-दूसरे के लिये कभी कभी नागवार हो सकती हैं। पर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उसको लेकर यहां कोई स्थगन-प्रस्ताव कैसे रखा जा सकता है।

दलील यह दी गई है कि मामले को उठाने की वजह यह है कि उस बयान में मेरी नेकनीयती, कालिम्पोंग के बारे में दो दिन पहले कही गई मेरी बातों की नेकनीयती पर शक जाहिर किया गया है। मैंने भी उस बयान को बड़े गौर से पढ़ा है। मेरा ख्याल है कि उस बयान में मेरी बात की नेकनीयती पर, खुलासा तौर पर ठीक-ठीक शक तो जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन हां यह इशारा जरूर किया गया है कि मैंने जो कुछ कहा था हो सकता है सही न हो, और उसकी वजह चाहे मुझे मिलने वाली ग़लत खबरें हों या कुछ और।

इसलिये, मैंने कालिम्पोंग के बारे में पहले जो भी कुछ कहा था, उसे मैं फिर से आपके सामने जरा और पूरी तरह से रख रहा हूं। आपको याद होगा कि चीन सरकार के कुछ बयानों में कहा गया था कि तिब्बत में होने वाले विद्रोह का संचालन-केन्द्र कालिम्पोंग है। मैंने कहा था कि यह बिलकुल ग़लत है, और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने भी इससे इन्कार किया था। साथ ही, मैंने यह भी कहा था कि मैंने अक्सर बताया है कि कालिम्पोंग में कुछ न कुछ गड़बड़ होती रही है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कालिम्पोंग को अक्सर जासूसों का अड्डा बताया गया है। अक्सर कहा गया है कि वहां हर तरह के, हर मुल्क और हर रंग के जासूस—एशिया, अमरीका यूरोप, कम्मुनिस्ट, मुल्कों और उनके विरोधी मुल्कों के जासूस—मौजूद हैं। एक बार तो कालिम्पोंगि में रहने वाले, और इस मामले की थोड़ी-बहुत जानकारी रखने वाले, एक महाशय ने मुझसे यहां तक कहा था कि कालिम्पोंग में रहने वाली जनता से कहीं ज्यादा तादाद तो वहां जासूसों की है। खैर, यह बात बहुत बढ़ा कर कही गयी है। लेकिन कालिम्पोंग की ऐसी हालत पिछले कुछ सालों, खास तौर से पिछले सात या आठ साल, में ही हुई है। चूंकि कालिम्पोंग बिल्कुल हमारे देश की सीमा पर है, और चूंकि तिब्बत में कुछ साल पहले कुछ तब्दीलियां हुई थीं, इसलिये, उसी वक्त से, हमारे मुल्क से बाहर के लोगों की दिलचस्पी उसमें काफी बढ़ गई है। वहां तरह तरह के लोग, तरह-तरह के भेष में पहुंचने लगे। कुछ लोग टेकनीशियन बन कर आये, तो कुछ परिन्दों की जानकारी हासिल करने ; कुछ पत्रकार बन कर आये तो कुछ पहाड़ और नदियां देखने के लिये। लेकिन असल में उनकी दिलचस्पी खुद कालिम्पोंग के बारे में ही थी।

जाहिर है कि हमने भी उसमें दिचस्पी ली और हमें लेनी पड़ी। हम यह दावा तो नहीं करते कि हमें कालिम्पोंग की सभी बातों के बारे में बिल्कुल ठीक-ठीक जानकारी है, लेकिन हां, एक मोटे तौर पर हमें उनकी जानकारी रहती है। हमने ऐसे लोगों के वहां रहने पर बार-बार आपत्ति उठाई है और हमने उन लोगों के दूतावासों का बार-बार इस तरफ़ ध्यान दिलाया है और यहां तक इशारा किया है कि कुछ लोग कालिम्पोंग से चले जायें तो अच्छा हो। ऐसे कुछ लोग वहां से चले भी गये हैं। यह हालत पिछले कई साल से चल रही है। इसलिये कालिम्पोंग कई तरह की जासूसियों का अड्डा रहा है। वहां हर मुल्क और हर ढंग के जासूस रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी हालत में कुछ ऐसे उपन्यासकारों को कालिम्पोंग में काफी मसाला मिल सकता है जो जासूसी ढंग के उपन्यास लिख रहे हों।

†**श्री नाथ पाई** : गृह-कार्य मंत्रालय इसके लिये क्या कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : गृह-कार्य मंत्रालय या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : वे जासूसी होने देते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिलकुल। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें जब भी किसी पर शक़ होता है तो हम पहले उसके कामों पर नजर रखते हैं। यदि कोई आदमी बहुत ही ग़लत ढंग का काम करता है तो उसके खिलाफ़ कदम उठाये जाते हैं। सभा अच्छी तरह समझती है कि सिर्फ शक की बिना पर हम किसी के खिलाफ़ कानून कोई कदम ने नहीं उठा सकते। हम ने कुछ लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही भी की है। कितने लोगों के खिलाफ़—यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हां, कई तरह की कार्यवाहियां की गई हैं।

इस मामले में, चीन सरकार ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि "तिब्बत में होने वाले विद्रोह का संचालन-केन्द्र कालिम्पोंग है।" इस सिलसिले में मैं यह तो नहीं कह सकता कि कालिम्पोंग में चीन सरकार या किसी भी दूसरी सरकार के खिलाफ़ जासूसी की ही नहीं गई है। लेकिन मैंने तब भी इस बात से इन्कार किया था और आज भी उससे इन्कार करता हूं कि कालिम्पोंग तिब्बत में होने वाले विद्रोह का संचालन-केन्द्र है। यह बिलकुल ग़लत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने पिछली बार भी कहा था कि पिछले कुछ सालों में चीन सरकार ने कालिम्पोंग में, उसके कथनानुसार, उसके खिलाफ़ की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में हमारा ध्यान दिलाया है। हमने बार-बार उनकी जांच कराई है, खास तौर पर जांचें कराई हैं। यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के बयान में भी जांच-पड़ताल की मांग की गई है। हमने कई बार जासूसी कार्यवाहियों की जांचें कराई हैं। ऐसी जांचें खुफियागिरी के तरीकों से ही कराई जा सकती हैं। हमें उसकी पूरी-पूरी रिपोर्टें भी मिल चुकी हैं। चीन सरकार ने इसके खिलाफ जिस वक्त लिखा था, उसके बारे में मेरे पास एक काफ़ी लम्बा नोट है। तीन-चार साल पहले मुझसे इसका जिक्र किया गया था। कुछ साल पहले हमारे राजदूत से भी उसका जिक्र किया गया था। उस वक्त भी हमने उसकी जांच की थी और कुछ कार्यवाही की थी। कभी-कभी हमें यह भी पता चला था कि चीन सरकार की शिकायतें कुछ हद तक बेबुनियाद भी थीं। चीन सरकार ने एक बार लिखा था कि कालिम्पोंग में एक कोई संस्था थी, जो उसके खिलाफ़ कुछ कर रही थी। लेकिन हमने मालूम किया कि कालिम्पोंग में वैसी कोई संस्था थी ही नहीं। वैसे तो कालिम्पोंग में लोग रहते हैं और उनकी कई संस्थायें भी हैं। वहां तिब्बत से आये हुये कुछ लोग भी रहते हैं। वे कई पुश्तों से वहीं बसे हुये हैं। हो सकता है कि उनके ख्यालात चीन सरकार के खिलाफ़ हों। ऐसा हो सकता है और उसके लिये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी आम नीति के मुताबिक उन्हें साफ-साफ जता दिया है कि उन्हें प्रोपेगेण्डा या प्रचार का कोई काम नहीं करना चाहिये और न विध्वसंक कामों में कोई हाथ बंटाना चाहिये।

वैसे उनकी हालत भी ऐसी है कि अगर वे चाहें भी तो कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं मचा सकते। वे ज्यादा से ज्यादा कुछ खबरें भेज या पा सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ; लेकिन वह भी बड़े छोटे पैमाने पर। और उसे रोकना भी बड़ा मुश्किल है। हमारे मुल्क में वे किसी दूसरे के कानों में कुछ फुस फुसा देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और, मैं उसे रोक भी नहीं सकता। लेकिन यह बात साफ़ है कि वे न तो ज्यादा कुछ गड़बड़ी मचा सकते हैं, और न उन्होंने मचाई ही है। एक या दो मौकों पर कोई इश्तिहार वगैरह जारी किया गया था; हमने उसी वक्त उसका पता लगाने की कोशिश की थी और उनसे कह दिया था कि वैसा नहीं होना चाहिये। ऐसा तीन-चार बार हुआ था। लेकिन बयान में तो हम पर आरोप लगाया गया है। कहा यह गया है है कि कालिम्पोंग ही तिब्बत में होने वाले विद्रोह का संचालन-केन्द्र है। मैंने इसी बात से इन्कार किया है। कालिम्पोंग में कुछ इश्तिहार जारी करने, या निजी तौर पर किसी के किसी से मिलने की बातें तो हो सकती हैं, और हमेशा होती रह सकती हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। खासतौर से, पिछले पांच छैः महीनों में तो नहीं ही हुआ। पिछले पांच-छैः महीनों की बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि चीन सराकार ने उसके बारे में हमें आखिरी बार पिछले साल अगस्त में लिखा था। हमने उस वक्त भी उसकी खास तौर पर जांच कराई थी। उसके बाद चीन सरकार ने वैसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं भेजी। पिछले पांच-छैः महीनों में तो हमने और भी ज्यादा सावधानी बरती है। इसलिये अगर उससे पहले वहां कुछ कार्यवाहीयां हुई भी होंगी, तो बहुत छोटे पैमाने पर हुई होंगी। हो सकता है कुछ लोगों की मुलाकातें हुई हों, लेकिन हम उनको रोक भी कैसे सकते हैं? जासूसों से भरे शहर में वैसी मुलाकातें हो ही सकती हैं। लेकिन पिछले छैः महीनों में तो हमने खास तौर पर कड़ी नजर रखी है और मैं समझता हूं कि इस बीच में वैसी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है, जैसा कि चीन सरकार ने कहा है, कि कालिम्पोंग तिब्बत में होने वाले विद्रोह का संचालन-केन्द्र है। क्या हमें, उसका पता भी न चलता? मेरी समझ में यह नहीं आता। हां यह माना जा सकता है कि वहां से कुछ पैगाम भेजे गये हों, और कुछ वहां आये हों। लेकिन संचालन-केन्द्र होने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : क्या चीन सरकार ने अगस्त में यह शिकायत की थी कि कोई वहां से विद्रोह का संगठन कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। उसमें विद्रोह की कोई बात नहीं थी। लेकिन हमारे रिकार्ड में यह है कि १९५६–५७ में जब प्रधान मंत्री, चाऊ-एन-लाई भारत आये थे, तो उन्होंने मुझ से इसका जिक्र किया था और मैंने उन्हें जवाब दिया था कि हमारी नीति यह है कि हमारे मुल्क की जमीन का हमारे किसी दोस्ताना मुल्क के खिलाफ़ कोई साजिशें करने के लिये इस्तेमाल न किया जाये। लेकिन मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि हम सिर्फ शक की बिना पर किसी के खिलाफ़ कदम नहीं उठा सकते। मैंने उनसे कहा था कि चीन सरकार अगर हमारे पास ऐसे कुछ खास मामले भेजे तो हम तुरंत ही उनकी जांच करायेंगे और जरूरी होगा तो कार्यवाही भी करेंगे। उसके करीब डेढ़ साल बाद पीकिंग में हमारे राजदूत से इसी चीज़ का फिर जिक्र किया गया था। उस वक्त यानी जनवरी, १९५८ में हमारे पास एक इश्तहार की फोटो-सेट कॉपी भी भेजी गई थी। यह इश्तहार कालिम्पोंग में बांटा गया था। बेशक वह इश्तहार चीन के खिलाफ था। लेकिन उसकी जांच करने के बाद हमें पता यह चला कि उस इश्तहार में जिस संस्था का जिक्र किया गया था वैसी कोई संस्था कालिम्पोंग में नहीं थी। असल में वह इश्तहार खुद भी दो साल पुराना था और १९५६ में जारी किया गया था। इस में कोई शक नहीं कि हमारे नज़रिये से भी वह एक बुरा इश्तहार था। कोई झूठा नाम देकर, उसे जारी किया गया था।

असल में, कालिम्पोंग में दो एसोसियेशन थे—'तिब्बत एसोसिएशन' और 'इण्डो-तिब्बत एसोसियेशन'। पहली एसोसिएशन २५ साल से भी कुछ पहले कायम हुई थी। दूसरी एसोसिएशन १९५४ में कायम की गई थी। इन दोनों के पदाधिकारी तिब्बत से आकर वहां बसने वाले लोग ही थे। लेकिन यह समझा जाता था कि उन दोनों का काम राजनीति में भाग लेना नहीं था। पीकिंग के वैदेशिक कार्यालय ने जुलाई १९५८ में हमारे पास एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें कालिम्पोंग को विध्वंसकारी कार्यवाहियों का अड्डा बनाने के लिये इस्तेमाल करने के बारे में विरोध प्रकट किया गया था और उसमें पांच बातें कही गई थीं। कुछ लोगों के नाम भी दिये गये थे। हमने फौरन ही उन लोगों के कामों की जांच कराई थी और काफी ब्योरेवार रिपोर्टें हमें मिलीं थीं। हमें पता चला था कि उन लोगों के ख्यालात तो वाकई कुछ ऐसे थे जिन्हें चीन के खिलाफ़ माना जा सकता था, लेकिन हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि वे कोई प्रोपेगेण्डा करते हों या विध्वंसकारी कार्यों में लगे हों

उन लोगों पर जुर्म यह लगाया गया था कि वे अमरीका और फारमोसा के कोमिंगतांगी अफसरों या उनके नुमाइन्दों के साथ साठ-गांठ किये हुये हैं। तिब्बत से आकर कालिम्पोंग में बसने वाले कुछ लोग अमरीका में कुछ दिनों तक रह चुके थे और इसमें भी शक नहीं कि अमरीका में उनके कुछ मिलने वाले भी थे। चीन के बारे में उनके ख्यालात तो हमें मालूम ही थे। और जब वे हमारे मुल्क में बसने आये थे, तो हमने उनसे साफ-साफ कह दिया था कि हमारे मुल्क की जमीन का विध्वंसकारी कामों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहियें। बाद में जब फिर चीन सरकार की ओर से इसका जिक्र किया गया था तो हमने फिर से उन छैः आदमियों की खासतौर पर जांच की थी, जिनके नाम चीन सरकार के नोट में थे। हमने १४ अगस्त को उन सभी छैः आदमियों को दार्जिलिंग के डिप्टीकमिश्नर के जरिये साफ-साफ चेतावनी दे दी थी; उन्हें

---

†मूल अंग्रेजी में

आगाह कर दिया था। हमारी जानकारी तो यह है कि उसके बाद से उन्होंने वैसा कोई काम नहीं किया है। अगर छिपा-चोरी से कुछ किया गया हो, तो मैं नहीं जानता।

चीन सरकार के नोट में तीन संस्थाओं का जिक्र किया गया है जो यह है : "तिब्बत फ्रीडम लीग", "कालिम्पोंग-तिब्बत वेलफ़ेयर कॉन्फ्रेंस" और "बुद्धिस्ट एसोसिएशन"। उसमें कहा गया है कि ये तीनों संस्थायें तिब्बत से गुप्त रूप से खबरें इकट्ठी करने का काम करती हैं। लेकिन हमें तो वहां इन संस्थाओं का कोई भी नाम-निशान नहीं मिला। पहले जिन दो संस्थाओं का मैंने जिक्र किया था, वे राजनैतिक कामों में हिस्सा नहीं लेतीं।

चीन सरकार के नोट में तीसरी जिस बात पर एतराज किया गया था, वह थी एक मासिक पत्र, "तिब्बत मिरर" के प्रतिक्रियावादी विचारों के बारे में। उसके सम्पादक लद्दाखी उद्भव के एक भारतीय राष्ट्रजन थे। हमने उन्हें ख़बरदार कर दिया था, पर साथ ही चीन सरकार को भी यह बता दिया था कि हमारे मुल्क में ही कई ऐसे अखबार हैं जो भारत सरकार का उससे कहीं ज्यादा विरोध करते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ़ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते।

चीन सरकार के नोट में यह भी कहा गया था कि तिब्बत में एजेण्टों और तीड़फोड़ करने वालों को भेजा जा रहा है और विद्रोहियों को हथियार पहुंचाये जा रहे हैं। लेकिन उसका कोई भी सबूत नहीं दिया गया था, और न हमारी जानकारी में वैसा कुछ हुआ भी था। भारत और तिब्बत की सीमा को पार करना कोई खेल नहीं है। इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता, लेकिन हां हथियार लेकर जाना बहुत मुश्किल है, और हमारी जानकारी के बिना हथियार लेकर जाना तो नामुमकिन है।

फिर, चीन सरकार ने कालिम्पोंग में कोमिंगतांग के एजेण्टों की कार्यवाहियों की शिकायत की और एक महाशय का नाम भी बताया। हमने उसकी भी जांच की थी।

मैं मानता हूं कि इतना सारा ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लेकर काफ़ी बहस हो चुकी है। तो, उस मामले की जांच करने पर हमें पता चला कि वह महाशय दो साल पहले ही कलकत्ता चले गये थे। शायद वे कलकत्ता से भी तब तक वापिस जा चुके थे, क्योंकि हमें वहां भी उनका कोई पता नहीं चला।

उसके बाद, ४ अगस्त को चीन के राजदूत ने हमें एक दूसरा नोट दिया। उस नोट में कहा गया था कि कालिम्पोंग में एक समिति बनी है, जिसका मंशा है हिंसा का विरोध करने में सहायता करना। वह समिति तिब्बत के प्रतिक्रिया वादी लोगों ने बनाई थी। नोट में कहा गया था कि वह समिति लोगों से ज़बरदस्ती दस्तखत करा रही है। उसमें यह भी बताया गया था कि १५ बड़े-बड़े अमीर लोगों की एक बैठक हुई है और वे तिब्बत की सहायता के लिये अपील करना चाहते हैं। हमने इस मामले की भी जांच कराई थी और चीन सरकार को जबाब दे दिया था कि उनके नेताओं को चेतावनी दी जा चुकी है।

यह सब अगस्त में हुआ था। उसके बाद से अब तक, हमारी जानकारी में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिस पर कि एतराज किया जा सके। इस बीच में अगर किसी ने निजी तौर पर कोई विरोधी राय जाहिर की हो, तो मैं नहीं जानता। इसीलिये मैं कह सकता हूं कि कालिम्पोंग को तिब्बत में होने वाले विद्रोह का संचालन केन्द्र बताने वाला बयान ग़लत है। यह सही है कि कालिम्पोंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो चीन सरकार की नीति के खिलाफ़ हैं, जिन पर चीन सरकार को आपत्ति हो सकती है, वहां जासूस भी हैं, ये सच हैं लेकिन वे बहुत छोटी-मोटी चीजें हैं और उनके आधार पर कालिम्पोंग को विद्रोह का संचालन-केन्द्र कहना ग़लत होगा।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : क्या यह सही है कि १९५६ में जब दलाई लामा और श्री चाउ-एन-लाई दोनों भारत आये थे, तब दलाई लामा तिब्बत लौटने से हिचक रहे थे और हमारे प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से श्री चाउ-एन-लाई का आश्वासन पाने के बाद ही वे तिब्बत लौटे थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य जो भी कह रहे हैं, वह सही नहीं है। प्रधान मंत्री, चाऊ एन लाई से कोई आश्वासन मांगने या मेरे उसे पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। हां, एक सवाल यह उठा था कि दलाई लामा को कालिम्पोंग जाना चाहिये या नहीं। जाहिर है कि हमें यह फिक्र थी कि दलाई लामा जहां भी जायें उनके लिये कोई खतरा पैदा न हो। इसी के बारे में, मैंने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई से बात की थी और आखिर में दलाई लामा ने वहां जाने का फैसला कर लिया था। हमने कालिम्पोंग में तिब्बत से आकर बसे हुये लोगों को हिदायत करदी थी कि उन्हें दलाई लामा के साथ ठीक ढंग से पेश आना चाहिये। और ऐसा ही हुआ था : इसलिये प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई से ऐसी किसी बात की गारंटी लेने का सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं माननीय सदस्य को ऐसी खबर कहां से मिली।

†**श्री खाडिलकर** : "थॉट" नामक पत्रिका से।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उस पत्रिका के बारे में कुछ नहीं कहुंगा, लेकिन उसकी यह खबर बिलकुल बे बुनियाद है। हो सकता है कि उसके एक दो जुमले सही हों, लेकिन ज्यादातर खबर ग़लत है। मैंने उसे देखा नहीं है।

जहां तक पीकिंग के "पीपुल्स डेली" में जो लेख छपा था उसका संबंध है हम उस पर कोई एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह तो दुनिया के कई मुल्कों के अखबारों में ऐसे कई लेख निकलते रहते हैंजिनसे हम सहमत नहीं होते और जिनमें हमारे मुल्क और उसकी नीति की बड़ी नुक्ताचीनी रहती है। हम उनका जवाब दे सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे मुल्क म उस लेख को इस तरह छप कर बंटवाना ठीक था, या नहीं ? असल सवाल यही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वह लेख जिस वक्त पीकिंग में छापा गया था, उस वक्त तक उनके पास मेरे बयान की कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची थी। वह दो दिन बाद यहां पहुंचा था। लेकिन जब यह पीकिंग में छापा गया था, तो उससे मेरे बयान का कोई भी ताल्लुक नहीं था। शायद वह मेरे बयान के चन्द घंटे पहले छप चुका था। लेकिन अगर उन्हें मेरा बयान मिल भी जाता तो क्या ? वे उसके बाद भी इसे छाप सकते थे।

सभा में एक सवाल यह भी उठाया गया था कि हमारे मुल्क में चीन के दूतावास ने उस लेख को यहां छापकर एक ऐसा काम किया है जो दूतावासों को दिये गये विशेषाधिकार का उल्लंघन करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि उसे किस ढंग से किया जाता है। उनके अपने मुल्क के किसी अखबार के एक लेख को फिर से छापने में वैसी कोई बात नहीं होती, भले ही ऐसा करना ठीक बात न समझी जाये। दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। हम अपने मुल्क में रहने वाले कई राज दूतावासों से बार बार यही कहते आये हैं कि हम अपने मुल्क में तनातनी और शीत युद्ध नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ऐसे लेख छापे जायें, बंटवाये जायें जिनमें भारत के साथ साथ कुछ दूसरे मुल्कों पर भी आरोप लगाये गये हैं। हमें इसमें पूरी तो नहीं लेकिन काफी कामयाबी मिली है। गैर-मुल्कों के राज दूतावास हमारे यहां वह सब कुछ नहीं करते जो वे दूसरों मुल्कों में 'शीतयुद्ध' के सिलसिले में करते हैं। मैं उन मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक

†मूल अंग्रेजी में

मुल्क का नाम मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी अखबारों में अक्सर जिस ढंग के लेख छपा करते हैं, अगर उनको यहां कोई छापकर बांटे तो हम उसे पसन्द नहीं करेंगे, हमने पहले भी उससे अपनी नापसन्दगी जाहिर की है। उन लेखों में कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमें एतराज होता है। हम उनका छपना तो नहीं रोक सकते, लेकिन हां, अपने मुल्क में उनको किसी राजदूतावास के जरिये छापा जाना पसन्द नहीं कर सकते। मैं ऐसी कई मिसालें दे सकता हूं। पाकिस्तान और हमारे मुल्क के बीच चलने वाले 'शीतयुद्ध' की यह मिसाल बड़े अफसोस की चीज है। लेकिन दुनियां में जो शीत युद्ध चल रहा है, उस सिलसिले में कई ऐसे लेख छापे जाते हैं जिनमें एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त शब्द रहते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है हमारे मुल्क में उनको परिचालित न किया जाये। इस मामले में दूसरे मुल्कों के राजदूतावासों ने हमारे साथ सहयोग किया है। इस खास मामले में लोगों की अपनी अपनी रायें हो सकती हैं कि उस लेख को यहां छापना ठीक था या नहीं। यहां शायद जिन शब्दों पर एतराज किया गया है मैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वे शब्द चीन सरकार के नोट के उन शब्दों से नहीं मिलते जिनमें कालिम्पोंग का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि तिब्बत के प्रतिक्रियावादी लोग "गैर मुल्क में स्थित एक जगह, कालिम्पोंग का इस्तेमाल साम्राज्यवादियों के साथ साठ गांठ करने के एक अड्डे के रूप में कर रहे हैं।" इन शब्दों और उन शब्दों में कुछ अ तर है जिनमें कहा गया है कि कालिम्पोंग तिब्बत के विद्रोह का संचालन केन्द्र बना हुआ है। हो सकता है कि इसको इस तरह समझाया जाये कि कुछ लोगों ने आपस में बैठकर कुछ कानाफूसी की और इसलिये वह भी तो साठ गांठ ही हुई।

मैं आपके सामने इस मामले के तमाम पहलू रख रहा हूं। यह पूरा मामला कुछ ऐसा है जिस पर बहस करना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि सभा इस पूरे मामले पर संयम से, बिना किसी गरमागरमी के साथ विचार करे। इसलिये कि इन छोट छोटे मसलों के पीछे इनसे कहीं बड़े बड़े मसले हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इन छोटे छोटे मसलों में उलझकर, हमें उन बड़े बड़े मसलों को नहीं भूलना चाहिये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य में जासूसी से संबंधित हमारे आरोपों की जांच कराने की बात अगस्त १९५८ तक ही रहती है। मेरे पास ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि इसी वर्ष जनवरी से मार्च तक के बीच इस क्षेत्र में ऐसी बहुत सी कार्यवाहियां हुई हैं। समाचारपत्रों में इससे संबंधित तथ्य आ रहे हैं जहां तक शीत-युद्ध की बात का संबंध है, कल इस सभा में ही चीनी जनतंत्र के बारे में इतना कीचड़ उछाला गया था, कांग्रेस सरकार के एक उपमंत्री तक ने चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थीं जिनसे कांग्रेस सरकार के चेहरे का नकाब उठ जाता है और जिनका समर्थन हमारे प्रधान मंत्री नहीं करेंगे (**अन्तर बाधायें**)

मैं प्रधान मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि वह समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली चीजों की जांच करा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: कम्युनिस्ट पार्टी के ब्यान में और आगे जांच कराने की मांग की गई है। माननीय सदस्य उसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं यही चाहता हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च १९५९ के दौरान में होने वाली कार्यवाहियों की भी जांच कराई जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : माननीय सदस्य ने कांग्रेस सरकार के चेहरें का नकाब उठने की बात भी कही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : बड़े दुःख की बात है कि माननीय सदस्य ऐसे कटाक्ष करते हैं। (**अन्तर-बाधायें**) यह गलत है। ऐसे कटाक्ष नहीं करने चाहिये। उनके कथन का अर्थ तो यह होता है कि प्रधान मंत्री के चेहरे पर भी वही नकाब है। यह अनुचित है। (**अन्तरबाधा**)

†**श्री नागी रेड्डी** : कल इससे बड़ी-बड़ी चीजें कही गई थीं, पर उन पर कोई आपत्ति नहीं की गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन पर भी आपत्ति की थी।

इस स्थगन प्रस्ताव के संबंध में, मैं दोनों पक्षों के विचार जानना चाहता था, और उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहता था। अभी कुछ दिन पहले, माननीय प्रधान मंत्री ने तिब्बत की घटनाओं के बारे में हमारे देश का अपना दृष्टिकोण पेश किया था। इससे दो मसले जुड़े हुये हैं—एक तो यह कि तिब्बत में जो कुछ भी हुआ है वह बड़ा चिन्ताजनक है, दूसरा यह कि एक दूसरे देश के साथ हमारे संबंधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

मैं इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करने की अनुमति दे देता। यह स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा का प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक इन दो पहलूओं का संबंध है, आज प्रधान मंत्री ने काफी विस्तार से उनकी व्याख्या कर दी है। इसके जरिये कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के अपने मंशों पर शक नहीं करना चाहता। यदि श्री ही० ना० मुकर्जी कुछ चीजों की और अधिक जांच कराना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है इस देश के रहने वालों को, देश का भला चाहने वालों को, यह कोशिश नहीं करनी चाहिये कि ऐसे अवसर पर हमारे देश और किसी पड़ौसी देश के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो जाये। अपने देश का हित सभी को सामने रखकर चलना चाहिये। इसीलिये, ऐसी गलतफहमी पैदा न होने देने के लिये ही, मैंने प्रधान मंत्री से इस पूरी परिस्थिति का स्पष्टीकरण कराया है। लोग यह भी कह सकते हैं कि उनकी सूचना प्रधान मंत्री के वक्तव्य में छपाई गई सूचना से मेल नहीं खाती। लेकिन उसके लिये इस प्रकार का वक्तव्य तो नहीं दिया जाना चाहिये। मैंने दोनों देशों के संबंधों का हित देखकर ही यह सारा स्पष्टीकरण कराना आवश्यक समझा।

"पीपुल्स डेली" के एक लेख की प्रतियां यदि प्रधान मंत्री के वक्तव्य से पहले परिचालित की गई होतीं, तो दूसरी ही बात थी। प्रधान मत्री के वक्तव्य के बाद, चीन के राजदूतावास ने उनको बंटवाकर अच्छा नहीं किया। लेकिन इससे राजनार्यक विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ मालूम नहीं देता। मैं आशा करता हूं कि सभी राजदूतावास इस ओर समुचित ध्यान दिया करेंगे। इस विषय पर अब और अधिक चर्चा की जरूरत नहीं है, इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

दूसरी चीज यह है कि सभी माननीय मंत्रियों को यह जानना चाहिये कि स्थगन प्रस्तावों की प्रतियां मेरे साथ ही उनको और सचिव को दे दी जाती हैं। वे प्रतियां माननीय मंत्रियों को देने के लिये, संसद कार्य मंत्री को दे दी जाती हैं। माननीय मंत्रियों से आशा की जाती है कि वे सभा में आने से पहले उन प्रतियों को देख लेंगे। नियमों में व्यवस्था यही है कि वे प्रतियां माननीय मंत्रियों को इसीलिये दी जाती हैं कि यदि मैं उनका कोई स्पष्टीकरण उनसे मांगू तो वे मुझे दे सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने एक उल्लेख यह भी किया था कि ल्हासा स्थित राजदूतावास पर आक्रमण हुआ था। मैंने प्रधान मंत्री से पूछ लिया है कि वह समाचार बिलकुल निराधार है। इसीलिये मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

पाकिस्तान से बेरुबाड़ी यूनियन और कूच बिहार बस्तियों की अदला-बदली के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने अपनी सरकार की सलाह से कुछ प्रश्नों को उच्चतम न्यायालय के पास, उसकी राय जानने के लिये भेजने का फैसला किया है। ये प्रश्न बेरुबाड़ी यूनियन और कूच बहार बस्तियों के बारे में की जाने वाली कार्यवाही से ताल्लुक रखते हैं।

उच्चतम न्यायालय की राय इसके बारे में पूछी जा रही है कि :

(१) क्या बेरुबाड़ी यूनियन के बारे में किये गये करार को व्यवहारिक रूप देने के लिये कोई वैधानिक कार्यवाही जरूरी है ?

(२) यदि हां, तो क्या संविधान के अनुच्छेद, ३ से सम्बद्ध संसदीय विधि से प्रयोजन के लिये पर्याप्त है, या उसके अतिरिक्त अथवा विकल्प-स्वरूप, संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अनुसार संविधान में संशोधन करना आवश्यक है ?

(३) क्या बस्तियों की अदला-बदली से संबंधित करार को व्यवहारिक रूप देने के लिये संविधान के अनुच्छेद ३ से सम्बद्ध संसदीय विधि पर्याप्त है, या उसके अतिरिक्त अथवा विकल्प स्वरूप संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अनुसार संविधान में संशोधन करना आवश्यक है ?

अभी कुछ नक्शों वगैरह के तैयार न हो पाने के कारण उच्चतम न्यायालय के पास इन प्रश्नों को नहीं भेजा गया है। मैं सभा को उससे पहले ही यह बता देना चाहता था। जल्द ही, मैं उसकी एक नकल सभा-पटल पर रखूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४० की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १३३१/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(१) उत्तर-पूर्वी भारत नमक नियम, १९३९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ३३९ ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ३५० ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १३३२/५९]

खाद्यन्नों में राज्य-व्यापार की योजना के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राष्ट्रीय विकास परिषद् की अन्तिम बैठक ८ और ९ नवम्बर, १९५८ को हुई थी, और उस में यह निश्चय किया गया था कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार राज्य को अपने हाथों में ले लेना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वक्तव्य बहुत बड़ा है । माननीय मंत्री इसको पढ़ने की बजाये सभा-पटल पर रख दें ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य का शेष भाग, जो सभा-पटल पर रखा गया

यह भी निश्चय किया गया कि पर्याप्त संख्या में आरम्भिक क्रय-विक्रय (मारकेटिंग) समितियां स्थापित की जानी चाहिए और उन्हें गांव की सहकारी समितियों के साथ संबद्ध कर दिया जाना चाहिए, जो कि ग्राम्य स्तर पर सुनिश्चित मुल्यों पर संग्रह तथा बिक्री के अभिकरण के रूप में कार्य करेंगी । राष्ट्रीय विकास परिषद् के इस सुझाव पर कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग को खाद्यान्नों के राज्य व्यापार की एक योजना तैयार करनी चाहिए, खाद्यान्नों के थोक व्यापार को समाजवादी ढंग पर चलाने तथा योजना के ब्यौरे तैयार करने सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद् के निश्चय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए खाद्य सचिव के सभापतित्व में वित्त मंत्रालय, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, योजना आयोग तथा रक्षित बैंक व भारत के राज्य बैंक के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल बना दिया गया ।

इस कार्यकारी दल का प्रतिवेदन सरकार को जनवरी, १९५९ में मिला था और सरकार के निश्चय के अनुसार प्रतिवेदन की प्रतियां राज्यों के मुख्य मंत्रियों के पास, उनकी राय जानने के लिए भेज दी गयी थीं । फरवरी के अन्त तक केरल तथा आन्ध्र को छोड़कर अन्य राज्यों की रायें हमारे पास आ गयी थीं । कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर योजना आयोग ने भी विचार किया था । राज्य सरकारों से प्राप्त रायों तथा योजना आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर कार्यकारी दल ने राज्य व्यापार के लिए जो योजना बनाई थी, उस पर अभी हाल में सरकार ने विस्तृत रूप से विचार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि खाद्यान्नों के राज्य व्यापार का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि ऐसा मूल्य-स्तर कायम रखा जाये, जो उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के लिए न्यायोचित हो और किसान को अपने उत्पादन का जो मिले और उपभोक्ता को उसका जो मूल्य देना पड़े, उसमें अन्तर कम-से-कम कर दिया जाये । सरकार ने मोटे तौर पर इस उद्देश्य को स्वीकार कर लिया है ।

कार्यकारी दल की अन्य प्रस्थापनाओं का उद्देश्य यह है कि राज्य शीघ्र ही अनाज के थोक व्यापार को हस्तगत करने की दिशा में संक्रमण करें, लेकिन इससे व्यापार की मौजूदा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी पैदा न हो तथा केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों पर कोई अतिरिक्त प्रशासन भार भी न पड़े । सरकार उत्तरोत्तर अनाज खरीदने के काम में विस्तार करेगी, ताकि बाजार पर उसका नियंत्रण हो सके और मौजूदा तरीके अधिक प्रभावशाली बन सकें । मौजूदा तरीके निम्नलिखित हैं : थोक व्यापारियों को लाइसेंस देना और उनके कर्त्तव्य निश्चित करना, सस्ते अनाजों की दुकानों के जरिये फुटकल रूप में अनाज का वितरण और थोक भावों पर कानूनी नियंत्रण । योजना के अनुसार धीरे-धीरे अनाज की सहकारी समितियां भी बनाई जायेंगी इस प्रकार अनाज की क्रय-विक्रय व्यवस्था की जा सकेगी ।

तुरन्त ही पूरी तरह से सरकार खाद्यान्नों का राज्य व्यापार शुरू नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें कई कठिनाइयां हैं, जैसे पर्याप्त प्रशासकीय संगठन का न होना, अनाज भर कर रखने की पर्याप्त व्यवस्था न होना आदि । अतः इस योजना को दो भागों में बांट दिया गया है (१) अन्तिम स्वरूप तथा (२) पूर्ण राज्य व्यापार हस्तगत करने की स्थिति के समय तक अन्तरिम योजना ।

खाद्यान्नों के राज्य व्यापार की अन्तिम योजना के अनुसार, ग्राम्य स्तर पर सेवा सहकारिता समितियों द्वारा अनाज खरीदना, अतिरिक्त अनाज को विक्रय सहकारी समितियों द्वारा बेचवाना, तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा फुटकल विक्रेताओं द्वारा अनाज का वितरण करना आदि कार्य होंगे । उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । सरकार ने निश्चय कर लिया है कि अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किये जायें और इस बीच की अवधि में धीरे-धीरे करके अनाज का थोक व्यापार सहकारियों समितियों द्वारा अपने हाथों में लिया जाना चाहिए ।

सरकार तुरन्त ही सम्पूर्ण अतिरिक्त अनाज का क्रय करना शुरू नहीं करेगी क्योंकि इससे सरकार पर सम्पूर्ण नागरिक व ग्रामीण जनता को अनाज देने की जिम्मेदारी आ जायेगी । अतः सरकार धीरे-धीरे खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय उत्तरोत्तर बढ़ाती जायेगी और अन्ततः पूर्ण व्यापार अपने अधीन कर लेगी । इस बीच की अवधि में थोक व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की भांति व्यापार करने की अनुमति होगी, जो सरकार की तरफ से अनाज खरीदेंगे, लेकिन किसानों को निर्धारित न्यूनतम मूल्य अवश्य देंगे । सरकार को इन व्यापारियों से सारा या कुछ अनाज निर्धारित नियंत्रित मूल्य पर खरीदने का हक होगा, पर व्यापारियों को अधिकार होगा कि वह बचा हुआ अनाज फुटकल रूप से नियत्रित मूल्य पर बेच सकें । उनसे यह भी कहा जायेगा कि वह अपने क्रय-विक्रय तथा भाण्डार का पूरा हिसाब-किताब रखें तथा समय-समय पर सरकार के समक्ष उपस्थित करें ।

अनाज के राज्य व्यापार के सम्बन्ध में राज्य ने कुछ अन्य मामलों पर भी विचार किया है तथा निश्चय किये हैं :

(१) शुरू में अनाज का राज्य व्यापार केवल गेहूं व चावल तक सीमित रहेगा । किसानों को न्यूनतम रकम देने के लिए सरकार किसानों से सीधे अनाज खरीदने की व्यवस्था करेगी । इस प्रकार जो किसान सरकार को अनाज बेचना चाहेंगे, वे बेच सकेंगे ।

[श्री अ० प्र० जैन]

(२) अनाज के खरीद बेच की व्यवस्था का आधार न तो मुनाफा कमाना होगा और न ही घाटे में रहना ।

(३) साधारणतया समूचे राज्य अथवा क्षेत्र के लिए अनाज खरीदने का एक जैसा भाव निश्चित कर दिया जाये । कुछ अनुमत क्षेत्रों के लिए शायद कुछ अन्य भाव निश्चित करने पड़ें । घाटे के क्षेत्रोंके लिए भी निम्नभाव निर्धारित करने पड़ेंगे । थोक व्यापारियों के लिए क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न भाव निर्धारित किये जायेंगे ।

(४) अनाज के खुदरा भावों को नियंत्रित करना शायद वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहारिक न होगा । लेकिन इन भावों पर असर डालने के लिए सस्ते अनाज की दुकानें खुली रहेंगी । और जरूरत पड़ी तो उनका और भी विस्तार किया जायेगा । उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां भी कायम की जायेंगी । यदि कोई राज्य अपने यहां अनाज का खुदरा भाव निश्चित करना चाहेगी, तो कर सकेगी, मगर उसे यह देख लेना होगा कि वह इन भावों पर अमल दरामद भी कर सकेगी या नहीं । ऐसा करते हुए उसे यह भी सोचना पड़ेगा कि पूर्ति में किसी किस्म की अड़चन पैदा न हो ।

(५) इस प्रश्न पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जायेगा कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष कोटि के अनाज का क्रय प्रयोगात्मक आधार पर किया जाये या नहीं । यदि किसी क्षेत्र का सारा अतिरिक्त अनाज सरकार खरीद लेगी, तो उस सारे क्षेत्र तथा उस क्षेत्र पर निर्भर क्षेत्रों की सम्पूर्ण जनता को अनाज देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ जायेगी । इस प्रकार प्रयोग करके सरकार जान लेगी कि खाद्यान्नों के पूर्ण व्यापार का अपने हाथों में लेने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां आयेंगी और उनका सामना करने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए ।

(६) राज्य व्यापार का कार्य चलाने के लिए राज्यों में निगम बनाने के मामले पर दो पहलू विचारणीय हैं । पहली बात तो यह है कि क्या अन्तिम अवस्था में ऐसे निगम की आवश्यकता पड़ेगी । उद्देश्य यह है कि ग्राम्य स्तर पर सहकारी समितियां बनाई जायें तथा सम्पूर्ण राज्य में उनका जाल तैयार कर दिया जाय । अतः अन्तिम स्वरूप में निगमों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । अतः अभी से निगम बनाना उचित न होगा क्योंकि इनके बनने से स्वार्थी हितों का बोलबाला हो जायेगा और सहकारी समितियों के बनने में बाधा पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि निगम का ठीक प्रकार संचालन भी नहीं हो पायेगा क्योंकि निगम के पास नियंत्रण लागू करने के लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं होगी । अतः निगम स्थापित करने की योजना स्थगित कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद इस सम्बन्ध में पुनः विचार किया जायेगा ।

यह योजना राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक में, जो ३ और ४ अप्रैल, १९५९ को होने वाली है, रखी जायेगी ।

अनुदानों की मांगें

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी।

वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७४	१०६५	श्री बि० दास गुप्त .	बंगाल की सीमा के निकट बिहार की बंगाली भाषी जनता के सांस्कृतिक जीवन की रक्षा, तथा समृद्धि की आवश्यकता	१०० रु०
७४	१०६६	श्री बि० दास गुप्त .	बिहार के अहिन्दी भाषी लोगों की सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों की जांच करने की आवश्यकता	१०० रु०
७४	१०६७	श्री बि० दास गुप्त .	भारत के आदिवासियों की संस्कृति के विकास तथा समृद्धि की आवश्यकता	१०० रु०
७४	१२१८	श्री प्र० के० देव .	सरायकेला के चाऊ नृत्य को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रु०
७४	१२१९	श्री प्र० के० देव .	कोहनूर हीरे को भारत को दिये जाने के लिए ब्रिटिश सरकार से वार्ता करने की आवश्यकता	१०० रु०
७४	१२२०	श्री प्र० के० देव .	इण्डिया आफिस लाइब्रेरी को लन्दन से भारत लाने की आवश्यकता	१०० रु०
७५	२०८	श्री बै० चं० मलिक	उड़ीसा में पुरातत्व विभाग का एक अलग खण्ड बनाने की आवश्यकता	१०० रु०

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
७५	२०९	श्री बै० चं० मलिक	उड़ीसा के संरक्षित दस्तावेजों की रक्षा के लिए पर्याप्त धन दिये जाने की आवश्यकता	१०० रु०
७५	५०१	श्री शि० ला० सक्सेना	करिया, सारनाथ तथा बुद्धकाल के अन्य स्थानों की खुदाई के लिए एक नियमित नीति बनाने में असफलता	१०० रु०
७५	१०६८	श्री बि० दास गुप्त	पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में बुद्धपुर के पुरातत्वीय अवशेषों की रक्षा करने में असफलता	१०० रु०
७५	१०६९	श्री बि० दास गुप्त	बिहार में सिंहभूम जिले में जोयदा में पुरातत्वीय खोज को बढ़ाने में असफलता	१०० रु०
७५	१०७०	श्री बि० दास गुप्त	भारत की एक विस्तृत पुरातत्वीय दर्शक पुस्तक बनाने की आवश्यकता	१०० रु०
७५	१२२१	श्री प्र० के० देव	कश्मीर में लद्दाख में मठों में रखे विभिन्न हस्तलेखों को प्रकाशित करने की आवश्यकता	१०० रु०
७५	१२२२	श्री प्र० के० देव	तिब्बत के मठों में तिब्बती ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्वानों के एक दल को भेजने की आवश्यकता	१०० रु०
७५	१२२३	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा के पुरातत्वीय विभाग का एक नया विभाग खोलने की आवश्यकता	१०० रु०
७५	१२२४	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में रत्नगिरि में खुदाई	१०० रु०
७५	१२२५	श्री प्र० के० देव	बोलनगिरि जिले के रानीपुर-झरिया के तथा चौसानाथ जोगिनी मन्दिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मरण घोषित करने की आवश्यकता	१०० रु०

१	२	३	४	५
७६	१२२६	श्री प्र० के० देव	अंग्रेजी में राष्ट्रीय एटलस शीघ्र तैयार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१२२७	श्री प्र० के० देव	बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	२१०	श्री ब० चं० मलिक	उड़ीसा के रत्नागिरि में पुरातत्वीय वस्तुओं का संग्रहालय खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	२११	श्री ब० चं० मलिक	उड़ीसी नृत्य के विकास के लिए पर्याप्त निधि देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	१०७१	श्री बि० दास गुप्त	सामान्य जनता में पर्याप्त वैज्ञानिक व टैक्निकल ज्ञान सम्बन्धी जानकारी पहुंचाने में असफलता	१०० रुपये
७९	१०७२	श्री बि० दास गुप्त	वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को गवेषणा के लिए समुचित अवसर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	१०७३	श्री बि० दास गुप्त	वैज्ञानिक तथा टैक्निकल कर्मचारियों को अच्छे वेतन की नौकरी देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१२२८	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में समुद्र शास्त्र सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१२२९	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में जिला गजेटियर का संकलन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१२३०	श्री० प्र० के० देव	उड़ीसी नृत्य को एक राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य मानने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं विज्ञान मन्दिरों की बात पर कह रहा था। विज्ञान मन्दिरों में सुधार की काफी गुंजाइश है। इनका उद्देश्य यह है कि देहातों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जाय। इसके साथ ही मैंने माननीय मंत्री महोदय को उनकी इस घोषणा के लिए मुबारकबाद दिया है कि इंजीनियरिंग संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन क्रमों में सुधार किया जायेगा। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि मंत्री महोदय को उन कर्मचारियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो कि वैज्ञानिक संस्थाओं में विज्ञान-कार्य में लगे हुये हैं। हमें यह पता है कि बहुत से हमारे वैज्ञानिक देश से इसलिये चले गये कि देश में उन्हें ठीक वेतन नहीं मिल पा रहा था। हमें किसी प्रकार उन्हें प्रोत्साहित कर देश में वापिस बुलाना चाहिये। इससे वैज्ञानिकों का जो अभाव हम अनुभव करते हैं, वह दूर हो जायेगा।

मैं तीन अकादमियों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस प्रसंग में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत के अन्य नृत्यों की भांति उड़ीसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में जांच के लिये जो समिति नियुक्त की गयी है उसमें जो सदस्य लिए गये हैं उनमें न तो उस विषय का कोई विशेषज्ञ है और न ही कोई उड़ीसा का ही है। मेरे विचार में आजकल नौकर-शाही ढंगों से काम नहीं लेना चाहिए।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है मैं पुरातत्व विभाग का उल्लेख करना चाहता हूं। हाल ही में माननीय मंत्री श्री कबीर उड़ीसा गये थे। उन्होंने कोणार्क के प्रसिद्ध मन्दिर को देखने की भी कृपा की। १९५० में एक समिति इस मन्दिर की मरम्मत के लिये नियुक्त हुई थी। समिति ने इस मन्दिर की रक्षा करने के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत कीं। परन्तु आज तक उन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। यदि ऐसी ही हालत रही तो आने वाले ५० वर्षों में मन्दिर गिर जायेगा। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि उड़ीसा के लिए पुरातत्व विभाग का एक अलग सर्किल कायम किया जाना चाहिए क्योंकि उड़ीसा में मन्दिरों और स्मारकों की संख्या अधिक है। ५४ मन्दिरों को तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

माननीय मन्त्री भुवनेश्वर भी गये थे; राज्य सरकार ने वहां अजायब घर बनाने के लिए १५ लाख रुपये की मांग की थी। माननीय मंत्री भी मान गये थे परन्तु पता नहीं उसका क्या हुआ।

राष्ट्रपति की ओर से जो पुरस्कार दिये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें हैं कि ये योग्य व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते ? इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह योग्य व्यक्तियों को ही प्राप्त हो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि उड़ीसा के कटक जिले में एक इंजीनियरिंग कालिज होना चाहिये और बिरला इंजीनियरिंग कालिज का समुचित संगठन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुरी गंजम, कोरापट और कटक में पोलीटैकनिक संस्थोयें भी खोली जानी चाहियें, ताकि लोगों को प्राविधिक प्रशिक्षण के समुचित अवसर प्राप्त हों। आज तो देश का सारा वातावरण ही प्राविधिक शिक्षा के लिये निर्माण कर दिया जाना चाहिये। प्राविधिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के साथ ही चालू कर देनी चाहिये। इससे बच्चों की वैज्ञानिक वृत्ति का विकास होगा और भविष्य में हमारे देश की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। आज हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इस कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को तैयार करना इसी मंत्रालय का काम है। प्रत्येक जिले में एक प्राविधिक संस्था की स्थापना करके इस दिशा में, मन्त्री महोदय द्वारा जो उत्साह लोगों में उत्पन्न किया जा रहा है, वह बहुत प्रशंसनीय है। इस प्रसंग

†मूल अंग्रेजी में

में मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह कि आजकल इन प्राविधिक संस्थाओं की ओर लोगों का ध्यान अधिक मात्रा में आकृष्ट हो रहा है । अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षकों का स्तर नीचा न होन पायें । शिक्षकों को केवल योग्यता के आधार पर ही लिया जाना चाहिए । जो चीजें दूसरे स्थानों पर सुनी जाती हैं, वे इस मामले में नहीं आनी चाहियें । इसी प्रकार विद्यार्थियों का चुनाव भी योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए । बहुत से विश्वविद्यालयों में इस मामले में कुछ पिछड़े वर्गों को छोड़े और किसी के साथ कोई लिहाज नहीं होता। प्राविधिक मामलों में किसी भी प्रकार के लिहाज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इन्हीं लोगों को ही आगे चल कर देश के विकास कार्यों को चलाना है । यदि वे यहीं कच्चे रह गये तो आगे चल कर बड़े भयानक परिणाम निकल सकते हैं । यदि हम ठीक लोगों का चुनाव करें तो अफसल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम हो जायेगी । अमेरिका में ९९ प्रतिशत लोग पास होत हैं, क्योंकि प्रविष्ट करते समय बड़ा ध्यान रखा जाता है ।

इस बात पर विचार हो सकता है कि पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रविष्ट करते समय कुछ विशेष सुविधा दी जायें । परन्तु परीक्षा में नम्बर देने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये । वह कार्य केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसके बिना हम अपने स्तर को कायम नहीं रख सकेंगे । इसके साथ में इस बात पर भी जोर दूंगा कि इन प्राविधिक संस्थाओं को दिन के अतिरिक्त रात को भी काम करना चाहिए । इस से जो लोग दिन के समय अपनी आजीविका कमाने जाते हैं, वे भी रात को शिक्षा का लाभ उठा सकें ।

इन संस्थाओं का, जो कि प्रायः नगरों में है कुछ फैलाव भी होना चाहिए । यह भी आवश्यक है कि यह प्राविधिक शिक्षा विद्युत् इंजीनियरिंग इत्यादि विषयों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए । विदेशों में ५० से ७० प्राविधिक विषयों में लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है । हमें भी इस प्रकार की व्यवस्था अपने देश में करनी चाहिए ।

इन शब्दों से मैं मंत्रालय के कार्य कलापों की प्रशंसा करता हुआ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मंत्रालय के कर्मचारियों को इस जिम्मेदारी को पूरा करने की क्षमता दे और राष्ट्र को इन कार्यों के लिए समुचित धन दे ।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : सभी मंत्रालय अधिक धन की मांग कर रहेहैं । कारण यह है कि राष्ट्रीय विकास के लिए धन की आवश्यकता है । परन्तु देखना यह चाहिये कि जो कुछ राशि किसी मंत्रालय को दी जाये वह ठीक ढंग से खर्च हो और अन्ततः हम योजना में निहित लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाये । मुझे हर्ष है कि वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ने अच्छा काम किया है और उसके लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं ।

यह बहुत अच्छी बात है कि कोणार्क के मन्दिर में पुरातत्व विभाग ने काफी सुधार कर दिये हैं । कोणार्क के अजायब घर में उन अवशेषों को भी रखा जाना चाहिये जिन्हें कोणार्क से कहीं और ले जाया गया था । चन्द्रेश्वर के मंदिर के गिर जाने के कारण कुछ अवशेष खराब हो गये थे उन्हें भी वहां रख दिया जाना चाहिए । रत्नागिरि में जो खुदाई का कार्य हो रहा है उन से भी कुछ बौद्ध अवशेष उपलब्ध होने की आशा है ।

मैं इस बात का समर्थक हूं कि उड़ीसी नृत्य को एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संगीत नाटक एकादमी द्वारा नृत्य समारोह में जिन लोगों को बुलाया गया था उन से ठीक व्यवहार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सामन्त सिंहार]

विज्ञान-मन्दिर चालू करने के मामले का सर्वग सर्वत्र स्वागत किया जाना चाहिए। इस प्रकार के मन्दिर सभी स्थानों पर सामुदायिच विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों के क्षेत्रों में खोले जाने चाहिए। यदि इस में शिल्प और देहाती संगीत भी सम्मिलित किये जाये तो बहुत अच्छी बात होगी।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरि) : देश में आज जो गवेषणा संस्थायें इस मंत्रालय द्वाराच लाई जा रही है, वे बड़ा उत्साह जनक कार्य कर रही हैं। वहां का वातावरण बड़ा आशाजनक है। हमें निरन्तर इन संस्थाओं का सुधार करना चाहिए और विभिन्न संस्थाओं के समुचित समन्वय की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन संस्थाओं के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गयी है? ऐसा करने से लोगों में काफी विश्वास उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है। बंगलौर की विज्ञान संस्था को एक व्यापारी ने आगामी पांच वर्षों के लिए ५० हजार रुपये वार्षिक का दान दिया है। वह एक आटा मिल का मालिक है और संस्था का पुराना विद्यार्थी है। इस से लोगों के उत्साह का पता चलता है। मुझे इस प्रकार की संस्थाओं में जाकर काफी हर्ष होता है।

इस मंत्रालय के अधीन कई प्रयोगशालायें हैं और यह आवश्यक है कि इन के काम की बीच बीच में जांच की जाये। मूल्यांकन निकायों की स्थापना होनी चाहिये और अनावश्यक दोहरा काम न हो। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। विभिन्न संस्थाओं के परस्पर लाभ उठाये जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गणित शास्त्र को समुचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। रामानुज गणित स्कुल को सरकार कुछ सहायता दे रही थी। गणित शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान रामानुज के नाम से यह संस्था चल रही थी। अब उसके हालत कुछ खराब हो गई है और उसे मद्रास विश्वविद्यालय के सपुर्द किया गया है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और मंत्रालय द्वारा गणित शास्त्र को प्रोत्साहन देने के लिए समुचित ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार जमशेद पुर की धातु शोधन शाला भी टेकनोलोजी के क्षेत्र में काफी लाभदायक सिद्ध होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति से हम विभिन्न प्रकार के काम न ले। दक्षिण में एक प्रसिद्ध इमारत थिरुमलाई नायकर महल है। इस में विभिन्न प्रकार की अदालतें काम कर रही हैं। बहुत देशी और विदेशी लोग यहां आते रहते हैं, परन्तु इस के आस पास की सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब है, इसका समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

†**श्री बै० चं० मलिक** (केन्द्रपाड़ा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं मांग संख्या ७४ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और खर्च करते जाना सरकार की आदत हो गयी है। १० मास हुये इस मंत्रालय का निर्णय निर्माण हुआ था और इसके लिए २९ लाख ३१ हजार रुपये की मांग की जा रही है। कहा गया है कि कर्मचारियों के भत्ते के लिए धन को व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इस मनोवृति को रोका जाना चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उड़ीसा में शिशुपाल-गढ़ की जो खुदाई हो रही है उसका प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुआ। इसको दस वर्ष व्यतीत हो गये हैं। पूर्वी सर्किल के स्मारकों की रक्षा के लिए काफी धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली के लिए इस मामले में धन की व्यवस्था करने का मैं औचित्य स्वीकार नहीं करता। यहां १० से अधिक ऐसे स्मारक नहीं जो कि राष्ट्रीय महत्व के हों। इस मामले में

†मूल अंग्रेजी में

धन का ठीक और उचित वितरण होना चाहिए। उड़ीसा में यह संरक्षित स्मारकों की संख्या केवल ५४ रखी है, हालां कि की यह सब जानते हैं कि केवल भुवनेश्वर में ही १०० स्थान ऐसे हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है। जयपुर के लिए भी कुछ नहीं किया गया। उड़ीसा के कुछ पुरान स्मारकों के सर्वेक्षण के लिए भी कुछ नहीं किया गया। इनकी काफी उपेक्षा की गयी है। इस लिए मेरी मांग है कि इस कार्य के लिये उड़ीसा का एक अलग सर्किल बना दिया जाये।

"२५०० इयर्स आफ बु ज्म" (बौद्ध मत के २५०० वर्ष) पुस्तक में एक शब्द भी उड़ीसा के लिए नहीं कहा गया, हालांकि वहां बौद्ध मत से संबंधित कई एक स्थान हैं। रत्नागिरि से भी कई बौद्ध-मत सम्बन्धी महत्व पूर्ण चीजों का पता चला है। इन सब चीजों के लिए एक अजायब घर की आवश्यकता है। इसके लिए राज रानी मन्दिर के पास भुवनेश्वर में एक पुरातत्वीय उद्यान बनाया जाना चाहिए।

हमारे देश में शिक्षा सम्बन्धी गति विधियां काफी नहीं है। सांस्कृतिक कार्य-कलाप केवल नगरों तक ही सीमित रहते हैं। हमारी ८० प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, अतः इन गतिविधियों को देहातों में भी फैलाना चाहिए। मैं इस बात को भी समझ नहीं सका कि उड़ीसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य मानने में क्यों आपत्ति की जा रही है।

देश में प्राविधिक कर्मचारियों की कमी है। उड़ीसा में इसी कारण ही कई योजनायें कार्यान्वित नहीं हो सकी।

मैं मंत्री महोदय पर इस बात का जोर दूंगा कि उन्हें उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार द्वितीय योजना के अन्तर्गत ६१ प्राविधिक स्कूल खोल रही है। इन राज्यों में एक एक स्कूल खुलेगा जबकि बंगाल और केरल में यह संख्या क्रमशः १० और १८ होगी। अतः पिछड़े हुये राज्यों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। और इन में जो स्थान अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का सुरक्षित है उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उनको इसका पूरा लाभ प्राप्त होना चाहिये।

विज्ञान मन्दिरों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें देहाती क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए ताकि लोग प्राविधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री ने हमारे सामने अपने मंत्रालय की सफलताओं की एक बड़ी सूची रखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिये और अधिकारियों की व्यर्थ ही आलोचना नहीं करनी चाहिये। श्रीमान्, हम सदा से अच्छे कार्य की प्रशंसा करते आये हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस सभा के समर्थन और प्रोत्साहन से ही देश में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का एक संग्रह (पूल) तैयार हो सका है और अध्यापकों को अच्छे वेतन क्रम प्राप्त हो सके हैं।

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकारियों को संसद् की आलोचना से भयभीत नहीं होना चाहिये। उन्हें अपने आप को तथा सरकारी मशीनरी को जनता की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार ढालना चाहिये। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्हें तुरन्त प्रशासन को छोड़ देना चाहिये।

वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय को देश के निर्माण के लिये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि यह आशा के अनुकूल कार्य नहीं कर पाया है। महान मौलाना आज़ाद की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

मृत्यु के पश्चात् शिक्षा मंत्रालय के दो भागों में बंट जाने से इस मंत्रालय की कार्य पटुता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। मुझे आज तक इस बटवारे का आधार नहीं समझ आया। मुझे यह बड़ा अप्राकृतिक मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है कि देश के हित की चिन्ता न करके केवल कुछ लोगों की स्वार्थकामनाओं की सिद्धि के लिये ही यह सब कुछ किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारा मंत्री मंडल तथा प्रधान मंत्री इस पर फिर से ध्यानपूर्वक सोच विचार करें।

यद्यपि इस मंत्रालय का नाम वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय रखा गया है तथापि इसके मंत्री का विश्वविद्यालयों से कोई सम्बन्ध नहीं। उन्हें कुछ पता नहीं बी० एस० सी० और एम० एस० सी० में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। मेडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों की क्या दशा है। शिल्पिक विज्ञान की वृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि सभी शिल्पिक संस्थाओं को सीधे विश्वविद्यालयों के अधीन रखा जाये और विश्वविद्यालय मंत्रिमंडल के दज के एक मंत्री के अधीन रहें।

मंत्री महोदय ने मेरे पूर्ववक्ता के एक प्रश्न के स्पष्टीकरण में यह कहा है कि मंत्रालय के बटवारे से सचिवालय के कर्मचारियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह बात सर्वथा ग़लत है। यदि हम मंत्रालय की मांगों के पृष्ठ १ तथा २ को देखें तो हमें स्पष्ट पता चल जायेगा कि इसमें एक संयुक्त सचिव, दो सह सचिव, दो उप शिक्षा अधिकारी, ९ अवर सचिवों की वृद्धि हुई है। यदि यह वृद्धि वैज्ञानिकों अथवा शिल्पियों की होती तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती।

मंत्री महोदय ने बताया है कि हमें इंजीनियरिंग कासूजों में ६००० की बजाये अब ११,००० विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था है तथा देश में अनेक पालीटेकनीक संस्थायें और डिप्लोमा कोर्स खोले गये हैं। इन सब के लिये मैं मंत्रालय की सराहना करता हूं किन्तु हम विस्तार के साथ साथ इन संस्थाओं के शिक्षा के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिये। इन में से अनेक संस्थाओं में अभी तक कोई साज सामान व उपकरण नहीं है। इसके लिये यह कहा गया है कि उचित मात्रा में विदेशी मुद्रा न मिल सकने के कारण यह स्थिति है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा मिलने की व्यवस्था थी उसमें से कितनी मुद्रा उपलब्ध हुई। बकाया क्यों नहीं मिल सकी और जो मद्रा मिली उसमें से कितनी मुद्रा का उपयोग हुआ है। सारी रकम का क्यों उपयोग नहीं किया गया इत्यादि।

मेरे मित्र श्री पाणिग्रही ने यह कहा है कि इन संस्थाओं से निकले हुये ५०० से अधिक इंजीनियरिंग व अन्य कोर्सों के विद्यार्थी अभी तक रोज़गार की तलाश में हैं। हमें प्रविधिक शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के साथ यह ध्यान भी रखना चाहिये कि इन में से निकलने वाले विद्यार्थियों को उचित कार्य मिल सके। हमें अपने देश की शिल्पिक संस्थाओं और उद्योगों के मालिकों के बीच विशेष सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये। हमें अपने देश की शिक्षा संस्थाओं और औद्योगिक प्रयोगशालाओं में हो रहे वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य के बीच समन्वय और सम्पर्क स्थापित करने चाहिये। इस दिशा में काम करने के लिये किसी अभिकरण का न होना बड़ा खटकता है।

हमारे विज्ञान मन्दिर क्या कर रहे हैं? यदि यह लोग गांवों में जाकर लोगों को नयी नयी वैज्ञानिक खोजों से परिचित करा पायें तो कितना अच्छा रहे। यदि यह लोगों को वनस्पति घी की पहचान का तरीका ही बता दें तो भी यह लोगों का काफ़ी परोपकार कर सकते हैं।

सांस्कृतिक कार्यों के लिये मंत्रालय ने तीन अकादमियां खोली हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सभी कार्य राजधानी में ही क्यों संकेन्द्रित कर दिये गये हैं। क्या भारत की संस्कृति दिल्ली,

कलकत्ता और बम्बई की संस्कृति है ? हमें सांस्कृतिक कार्यों का कार्यक्षेत्र गांवों में बढाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि उनसे अधिकाधिक जनता लाभ उठा सके ।

छात्रवृत्तियों के बांटने के सम्बन्ध में भी मंत्रालय का कार्य बड़ा धीमा रहा है। मुझे पता चला है कि अभी १९५७–५८ के वर्ष के लिये छात्रवृत्तियों का भी पूरा पूरा उपयोग नहीं हुआ है । १९५८–५९ और १९५९–६० की अनेक छात्रवृत्तियां वैसी ही पड़ी हैं । इस सम्बन्ध में यदा कदा यह शिकायत भी सुनने को आती है कि सरकार योग्यता के अनुसार छात्रवृत्तियां नहीं देती है । लोगों में ऐसी धारणा का फैलना बड़ा अहितकर है । मंत्रालय को अपने चुनाव में बड़ा निष्पक्ष रहने का सबूत देना चाहिये और केवल योग्यता के आधार पर ही छात्रवृत्तियां बांटनी चाहिये ।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : उपाध्यक्ष महोदय लोगों की सामान्य शिकायत है कि सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यों को सही महत्व नहीं दिया जा रहा है । सामान्य बजट में इसके लिये १ प्रतिशत से भी कम व्यय की व्यवस्था की गई है । सरकार का उद्देश्य देश की संस्कृति के संरक्षण, संधारण और प्रोत्साहन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये प्रत्युत उसे विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों में एकता स्थापित करने का भी प्रयत्न करना चाहिये । इस दृष्टि से देखने पर कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारी संस्कृति सम्बन्धी नीति का ठीक रूप से तथा सही दिशा में संचालन हो रहा है ।

किसी भी संस्कृति को जीवित रखने के लिये उसकी भाषा तथा लिपि का संरक्षण तथा प्रोत्साहन बड़ा आवश्यक है । हमारे संविधान में प्रत्येक भाषा के उचित विकास की सुविधायें देने की प्रत्याभूति दी गई है । किन्तु हिन्दी को छोड़ कर शेष सभी भाषाओं और लिपियों के प्रचार व प्रसार के लिये सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है ।

अभी तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा तक नहीं दी जा सकी । हमें संस्कृति को केवल कठपुतलियों के नाच, संगीत और गानों तक ही सीमित नहीं मानना चाहिये । इसके लिये हमें उसके साहित्य, भाषा और लिपि को पूरा संरक्षण प्रदान करना चाहिये ।

सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित पुराने सांस्कृतिक खंडहरों की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान नहीं दे रही है । पश्चिमी बंगाल में पुरुलिया जिले में अनेक पुराने खंडहर हैं जैसे बुधपुर और पकबीरा के जैन कालीन खंडहर । वहां की स्थानीय सरकार ने आज तक उनके संरक्षण के लिये कुछ नहीं किया । हाल ही में सिंहभूम क्षेत्र में कुछ ग्रामीणों को कुआं खोदते समय कोई ६०० वर्ष पुरानी वस्तुयें मिली हैं । मगर अभी तक सरकार की ओर से उस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ ।

हमारे देश के प्राचीन स्मारकों और खंडहरों के सम्बन्ध में एक बृहद् गाईड बुक (प्रदर्शिका) की आवश्यकता है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र ही ऐसी पुस्तक छपवाने का प्रयत्न करें जिससे सारे भारत के सभी महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों एवं पुरातत्वों के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई हो ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय मंत्रालय की रिपोर्ट से हमें सांस्कृतिक कार्यों का कुछ पता नहीं चलता जो कि मंत्रालय द्वारा किये जा रहे हैं । रिपोर्ट के अध्याय ४ से जिस में कि भारत में किये जा रहे सांस्कृतिक कार्यों का उल्लेख है केवल इतना ही पता चलता है कि मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्य केवल कुछ संस्थाओं की स्थापना करने और अनुदान देने तक ही सीमित हैं । हमें इन संस्थाओं के कार्यक्षेत्र और कार्यक्रम का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हमें देश तथा विदेशों में किये जा रहे वास्तविक सांस्कृतिक कार्यों का विशद ब्योरा देने की कृपा करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० पी० नायर]

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय मथुरा और अयोध्या में खुदाई करके कृष्ण और राम की कहानियों के बारे में कुछ नये तथ्यों की खोज नहीं कर सकता है? हमें इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने चाहिऐं।

विज्ञान के क्षेत्र में भी मंत्रालय ने कुछ अधिक सफलता नहीं दिखाई है। हमारी नीति देश में हज़ारों की संख्या में वैज्ञानिक पैदा करना है। किन्तु हम इस दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाये हैं। यह सच है कि हमने इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को कुछ वित्तीय सहायता दी है। जिस से उनको वैज्ञानिक गवेषणा में बड़ा प्रोत्साहन मिला है। हमें यह नीति इंजीनियरिंग के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक विषयों के लिए भी अपनानी चाहिए। हमारी वर्तमान वैज्ञानिक नीति केवल चोटी के कुछ वैज्ञानिकों को मान्यता और प्रोत्साहन देने तक ही सीमित है। मंत्रालय ने अभी तक निम्न स्तर पर विज्ञान की शिक्षा बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। हमें देश के बच्चों की रूचि विज्ञान की ओर बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। इस के लिए किन्डरगार्डन अवस्था से ही उनकी जिज्ञासा विज्ञान भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मंत्रालय को पाठ्य क्रम में यथोचित सुधार करके इस दिशा में शीघ्र ही कोई कदम उठाना चाहिए।

मैं मानता हूं कि इस में अनेक समस्याऐं अन्तर्निहित हैं। उन में सब से बड़ी समस्या है भारतीय भाषाओं में शब्दों की खोज। मैं समझता हूं कि जब तक हम एक सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हम विज्ञान में कोई प्रगति नहीं कर सकते। साथ ही यह बात भी निश्चित है कि "हम अंग्रेजी भाषा से शब्दावलि उधार ले कर, जिस में अधिकांश शब्दों का मूल्य ग्रीक और लैटिन भाषा में है, अपने देशवासियों में विज्ञान के अध्ययन की जिज्ञासा नहीं पैदा कर सकते। मेरे अनेक मित्रों ने मुझ से कहा है कि भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण नितान्त दुःसाध्य और असम्भव है। मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। इस के प्रमाण में हमारे सन्मुख डा० रघुबीर का कोष है। आप को उस में 'एन्सरीफारमिस[1]' 'बेसीलस रेडीसीकोला[2]' इत्यादि जीव विज्ञान के अनेक परिभाषिक शब्दों के बड़े सरल और सुगम पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जिन्हें कोई भी देशवासी बड़ी सरलता से समझ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि "यदि हम अपने देश वासियों की वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में रूचि बढ़ाना चाहते हैं और देश में सहस्त्रों की संख्या में वैज्ञानिक पैदा करना चाहते हैं, तब हम को इस ढंग के विज्ञान की शिक्षा को इस ढंग से बदलना होगा कि हमारे विद्यार्थी उसकी शब्दावली के मूल को भली भांति समझ सकें, और यह नीति हमें पहले दर्जे से ऊंची से ऊंची कक्षा तक अपनानी होगी तथा इस नीति का सफलता पूर्वक अनुसरण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम किसी भारतीय भाषा में से ऐसी सामान्य शब्दावली तैयार करें कि जिसे कि भारत का कोई भी भाषा भाषी व्यक्ति सुगमता से समझ सके?" मैं मंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करूंगा कि वह इस उद्देश्य से एक ऐसी क्षमता वान समिति की नियुक्ति करें जो कि हमारे देश के विद्यार्थियों को प्रत्येक स्तर पर अधिकाधिक विज्ञानोन्मुखि बनाने की व्यापक योजना तैयार करे।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि मंत्रालय को अपना कार्य करने के लिए और धन राशि दी जा सके। मैं मंत्रालय का ध्यान प्रमुख रूप से पुरातत्व के क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्रालय को सब से पहले कश्मीर में लदाख स्थित बौद्धविहार में बौध धर्म संबंधी अनेक पांडुलिपियां तथा प्राचीन साहित्य की एक सूची तैयार करके उस साहित्य के संरक्षण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और फिर उसके प्रकाशन की व्यवस्था करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Anseri formes. [2]Bacillus radicicola.

आज जब कि चीनी लोग तिब्बत में सांस्कृतिक स्थानों का विनाश कर रहे हैं यह कार्य और भी महत्व-पूर्ण हो जाता है। अन्यथा हम लोग सहस्रों वर्षों से संरक्षित इस अमूल्य साहित्यिक निधि से बंचित हो जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इतिहासिक प्रलेख आयोग को तत्काल यह कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए।

दूसरा कार्य मंत्रालय को यह करना चाहिये कि वह इंगलैंड स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी तथा कोहेनूर हीरे को वापस लेने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को "उड़िया" नृत्य की गवेषणा और विकास के लिए, जिस पर कि मेरे उड़ीसा के मित्र ने काफ़ी प्रकाश डाला है, अधिक धन राशि दी जाय विशेष कर इस नृत्य कला संबंधी ऐसे ग्रन्थों की खोज के लिए जिन की पांडुलिपियां अभी तक भोज पत्रों पर लिखी हुई हैं। इस नृत्य में चारों प्रकार के भारतीय नृत्य की विशेषताऐं हैं जिनका दिग्दर्शन हमें इस नृत्य की प्रमुख कलानेत्री श्रीमती इन्दरानी रहमान की नृत्य कला में होता है। इस नृत्य कला की विदेशी आलोचकों ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस नृत्य को राष्ट्रीय नृत्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। इसके बाद में कुछ शब्द 'छऊ नृत्य, के संबंध में कहना चाहता हूं। यह नृत्य बिहार और उड़ीसा की सीमा पर स्थित सरायकेला में प्रमुख रूप से प्रचलित है। यह उड़िया भाषा और संस्कृति का द्योतक है। बिहार की सरकार ने इसके विकास में कोई योगदान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय इसके विकास का भार अपने हाथ में ले। अन्त में मैं उडिया स्थित 'चौसठ योगिनी' के मन्दिर के जीर्णोद्धार की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्रालय को इस मन्दिर तथा बोलागीर जिले में रानीपुर झारियल को अन्य प्राचीन मन्दिरों के संरक्षण के लिये जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं। शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : मुझे इस मंत्रालय के संबंध में अधिक नहीं कहना है। केवल दो एक बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कानपुर नगर के निकट एक प्रविधिक शिक्षण संस्था दो करोड़ रुपये से खुलने जा रही है। उस संस्था के बारे में मुझे सब से बड़ी बात यह कहनी है कि ११०० एकड़ भूमि पर उसका निर्माण होगा, जिस में से ५०० एकड़ भूमि ले ली गई है और बाकी ज़मीन लेने का विचार हो रहा है। लेकिन इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक शिक्षण संस्था खोलने का संबंध है, वह उचित है, परन्तु उसे जो कृषक लोग गृहविहीन और भूमिहीन हो रहे हैं, उनके संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को लिखे कि यह बहुत अन्यायपूर्ण काम होगा कि जिन कृषकों की भूमि को लिया जा रहा है, उनको जिविका की कोई गारण्टी न दी जाये और उनके संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था न की जाय, जिस से उनको कोई सुविधा प्राप्त हो सके और उन में निश्चिन्तता आ सके कि जो हमारी भूमि ली जा रही है, उस के बदले में हम को भूमि मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में जब प्रश्न उठाया गया, तो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि जिन कृषकों की भूमि ली जायेगी, अगर वे चाहेंगे, तो उन को चपरासी अथवा माली बनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी अपमानजनक स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार का नैतिक दृष्टि से यह उत्तर-

दायित्व है कि जिन कृषकों की भूमि ली जा रही है, उन को भूमि दी जाये ताकि उन लोगों को संतोष हो आज हम आवाज उठा कर कह रहे हैं कि उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम को उन्हें भमिहीन नहीं बनाना चाहिए। कानपुर नगर में कृषि महाविद्यालय में एक एग्रीकल्जर फ़ार्म है, जो कि प्रत्येक वर्ष घाटे में चल रहा है। वह कई सौ एकड़ भूमि है। अगर केन्द्रीय सरकार चाहे, तो शिक्षण संस्था को वहां खोला जा सकता है। इस प्रकार एक ही शिक्षण संस्था की ज़मीन जायगी, जब कि आज हज़ारों कृषकों की ज़मीन जा रही है, जिस के परिणाम स्वरूप बड़ा असंतोष फैल रहा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिख कर कोई उचित व्यवस्था करें।

कानपुर नगर के निकट दो ऐतिहासिक स्थान हैं, जाजमऊ और बिठूर। जाजमऊ पौराणिक काल से प्रसिद्ध रहा है। उस के संबंध में किंवदन्तियां मौजूद हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा टीला है। अगर पुरातत्व विभाग उसका सर्वेक्षण करे, तो बहुत से ऐतिहासिक सामग्री जो कि इस समय भूग र्भ में पड़ी हुई है, सामने लाई जा सकती है।

इसी प्रकार बिठूर भी एक ऐतिहासिक स्थान है। कहा जाता है कि सीता जी ने बनवास में बहुत समय वहां व्यतीत किया। लव कुश के बहुत चिह्न वहां पड़े हुए हैं। १८५७ में भी वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केन्द्र रहा और वहां भी बहुत से ऐतिहासिक तथ्य पड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्रालय बिठूर का भी सर्वेक्षण कराए, ताकि जो ऐतिहासिक तथ्य सामने आयें, उन को ठीक से सुरक्षित रखा जा सके।

मैं ने इस रिपोर्ट में पढ़ा है कि हमारे देश से बहुत से प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को जाते हैं, ताकि विदेशों से हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हों। मैं ने रिपोर्ट में पढ़ा कि इस पर साढ़े बारह लाख रुपया गत वर्ष खर्च किया गया और करीब तेईस प्रतिनिधि मण्डल यहां से विदेश गये। मैं ने देखा है कि उन में से कुछ प्रतिनिधि मण्डल नाच-गाने से सम्बन्धित थे। मैं चाहता हूं कि यदि किसी देश से हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हों, तो वे केवल नाच-गाने तक ही सीमित नहीं होने चाहिए—कुछ नृत्यकारों वगैरह को भेज दिया जाये, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि हमारे देश की पुरानी संस्कृति प्रकाशनों और पुस्तकों के द्वारा विदेशों में जाये और वहां के लोग उन को पढ़ें। तभी उन का स्थायी प्रभाव होगा। केवल नाच-गाना, तमाशा ले जा कर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पचास हज़ार, एक लाख रुपये एक डेलीगेशन पर खर्च कये जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रुपया व्यर्थ ही जाता है और उस का स्थायी प्रभाव विदेशों पर नहीं पड़ सकता है। हमारी यह परम्परा चली आ रही है कि प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये खर्च कर के विदेशों में प्रतिनिधि मण्डल भेजते हैं। उस में कमी होनी चाहिए और इस तरह कार्य करना चाहिए कि हमारी संस्कृति का प्रभाव स्थायी रूप से विदेशों पर पड़े।

मैं ने रिपोर्ट में एक जगह देखा कि भारतीय भाषाओं में कुछ क्लासिक्स का अनुवाद किया जा रहा है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि भारतीय भाषाओं में अंग्रेज़ी भाषा को भी जोड़ लिया गया है। पेज ६६ पर लिखा हुआ है कि श्री जयरामदास दौलतराम जी को तीन हज़ार रुपये

सिन्धी की कहानियों और कविताओं का अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करने के लिए दिये गये । जहां तक रुपये का सम्बन्ध है, वह तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है । अगर सिन्धी भाषा की कहानियों और कविताओं को हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाता, तो उचित होता । एक विदेशी भाषा में उन का अनुवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा । ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए ।

मैं ने उसी रिपोर्ट में देखा कि पंडित नेहरू द्वारा लिखी हुई पुस्तक "विश्व इतिहास की झलक", जिस को अंग्रेज़ी में "गलिमसिज़ आफ वर्ड हिस्ट्री" कहते हैं, का फारसी में अनुवाद किया गया है और उन पुस्तकों को मंत्रालय खरीदेगा । मैं उस पुस्तक के गुण-दोष में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रश्न यह है कि इस देश में कितने लोग फ़ारसी के अनुवाद को पढ़ेंगे । बहुत से माननीय सदस्यों ने उस को पढ़ा होगा । उस पुस्तक के खरीदने पर कितना खर्चा होगा, यह नहीं कहा गया है । मैं चाहूंगा कि इस पर मंत्रालय विचार करे । यहां के कई माननीय लेखकों की पुस्तकें हैं । उन को प्रोत्साहित किया जाये, न कि विदेशी भाषा की पुस्तकों को यहां लाया जाये । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं ने जो प्रश्न उठाये हैं, उन पर विचार किया जाये ।

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये हैं । कुछ आलोचना भी की गयी है । परन्तु मैं ऐसी आलोचना का स्वागत करता हूं प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ मतभेद होना आवश्यक है । सभा ने इस मंत्रालय की समस्याओं पर जिस भावना से विचार किया है और जो सुझाव दिये हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं ।

अब मैं कुछ बड़ी आलोचनाओं को लूंगा । कल मैंने यह बताया था कि मंत्रालय ने गत वर्ष कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किये और अगले वर्ष क्या किया जायेगा । मुझे खुशी है कि अगले वर्ष के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव दिये थे उनके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है वरन् कुछ प्रस्तावों का काफ़ी स्वागत किया गया है ।

श्री पाणिग्रही, जिन्होंने यह चर्चा प्रारम्भ की थी, बहुत अच्छे और शिक्षाप्रद वक्ता हैं परन्तु कल मुझे कुछ निराशा हुई क्योंकि वह अपने सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच सके और उन्होंने अपना अधिकांश समय एक ऐसी समस्या की चर्चा करने में खर्च कर दिया जिसका इस मंत्रालय से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है कि उनकी बातें ठीक थी या नहीं । जब सम्बन्धित मांगें आयेंगी तब संभवतः इस प्रश्न की चर्चा की जायेगी । परन्तु मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस मंत्रालय के सम्बन्ध में १९५५ के कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में कम स्थानों और उनमें प्रवेश के सम्बन्ध में शिकायत की जब कि उसके कुछ मिनट पूर्व ही मैंने सभा को यह सूचना दी थी कि गत दो वर्षों में इंजीनियरिंग कालेजों पालीटेकनीक्स में प्रवेश पाने वालों की संख्या दुगुनी हो गयी है और १९५६ की संख्या भी १९५५ की संख्या से बहुत बढ़ गई है जिसका उन्होंने उल्लेख किया । इसलिये इस प्रकार की आलोचना पर मुझ को बहुत आश्चर्य हुआ । जैसा माननीय श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने बाद में संकेत किया था श्री पाणिग्रही के भाषण के दो भाग आपस में मेल नहीं खाते । एक ओर तो वह चाहते हैं कि प्रवेश की संख्या और भी तेज़ी से बढ़नी चाहिये और दूसरी ओर उन्होंने इस बात के सम्बन्ध में भी चिन्ता प्रकट की कि लगभग ५१८ इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों ने अपने नाम काम दिलाऊ दफ्तर में रजिस्टर कराये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि देश में जितने प्रविधिज्ञ हैं उन्हें ठीक तरह काम नहीं मिल पाता है । इसके लिये विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय होना चाहिये ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** हम अपने देश की जैसी उन्नति करना चाहते हैं उसके लिये केवल विभिन्न मंत्रालयों में ही नहीं वरन् शैक्षिक संस्थाओं और उद्योग और सभा के विभिन्न दलों के बीच भी समन्वय आवश्यक है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मित्र ने इन ५१८ व्यक्तियों के स्तर के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है । हमें यह नहीं मालूम कि उन्हें ग्रैजुएट हुये कितना समय बीता है ? अथवा क्या वे ग्रैजुएट होने पर भी एक वर्ष से बेकार हैं ? मुझे इसकी जानकारी नहीं है । यदि ब्यौरा देखा जाय तो ज्ञात होगा कि ऐसे ग्रैजुएट बहुत कम हैं जिन्हें एक वर्ष से अधिक का अनुभव था । इसके अतिरिक्त इन ५१८ में से भी कुछ को अवश्य ही काम मिल चुका होगा परन्तु उन्होंने अपने नाम इसलिये रजिस्टर कराये होंगे कि वे जिस प्रकार का कार्य कर रहे थे उससे सन्तुष्ट नहीं होंगे और अधिक अच्छा काम चाहते होंगे । जहां तक इंजीनियरिंग ग्रैजुएटों का सम्बन्ध है अगले कुछ वर्षों में चिन्ता की कोई बात नहीं है । इंजीनियरों की इतनी अधिक मांग होगी कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे ।

मेरे माननीय मित्र ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि वह मुझे कुछ कागजात देंगे । जैसे ही मुझे वे कागजात मिल जायेंगे मैं विस्तारपूर्वक उस मामले की जांच करूंगा । उन्होंने जो बातें कही थीं उनके आधार पर कल रात को मैंने कुछ प्रारम्भिक जांच की थी । मुझे ज्ञात हुआ कि फरवरी, १९५५ में ४०० रुपये के ताम्र पिण्डकों की चोरी हुई थी । वे एक भंगी के यहां से बरामद हुये थे जिसने उस चोरी को स्वीकार भी किया । मुझे बताया गया है कि और कोई चोरी नहीं हुई है । जहां तक प्लेटीनम का सम्बन्ध है, उसकी चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं है । जहां तक पारे का सम्बन्ध है, हानि का कारण आसवन (डिस्टिलेशन) भी हो सकता है क्योंकि वह तरल धातु है । इसके सम्बन्ध में भी चोरी की हमें कोई सूचना नहीं है । यदि मेरे माननीय मित्र ठोस जानकारी दें सकें तो मैं निश्चय ही उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा ।

माननीय मित्र ने ऊंचे वेतन वाली प्रशासकीय सेवाओं का उल्लेख भी किया । स्पष्टतः उन्होंने मेरी बात पूरी तरह नहीं सुनी । मैंने कहा था कि जहां तक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में शिक्षण पदों का सम्बन्ध है, हम उन्हें देश की उच्चतम प्रशासकीय सेवाओं की बराबरी पर लाने में सफल हुये हैं । उच्चतम प्रशासकीय सेवा में निम्न वेतन क्रम ३५० रुपये से ८५० रुपये तक है । हमने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय कालेजों में समान वेतन क्रम स्वीकृत किये हैं । असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिये हमने ६०० रुपये से ११५० रुपये का वेतन क्रम स्वीकृत किया गया है । शिक्षण कर्मचारियों के वेतनक्रमों में इस वृद्धि के कारण हमारे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय कालेजों में शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की समस्या मेरे विचार से खत्म हो जायेगी ।

माननीय मित्र ने उड़ीसा संग्रहालय का उल्लेख किया । हमने गत वर्ष उसे १ लाख रुपये का अनुदान दिया था ।

†**श्री पाणिग्रही :** १५ लाख की मांग की गई थी ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** उड़ीसा पहला राज्य है जिसे अनुदान मिला है । यह अनुदान उड़ीसा को अपना संग्रहालय बनाने के लिये दिया गया था । अनुदान के सम्बन्ध में उसकी कोई शिकायत उचित नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा नृत्य के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया। अनेक माननीय मित्रों ने उसकी चर्चा की। मैं यही कह सकता हूं कि संगीत नाटक अकादमी उसे मान्यता दे चुकी है। उसे भारतीय नृत्य की प्राचीन पद्धति के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। उसे शास्त्रीय पद्धति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। विशेष जानकारी न होने के कारण मैं शास्त्रीय और प्राचीन पद्धति का अन्तर नहीं समझता हूं। लेकिन अब यह मामला एक समिति के विचाराधीन है जिसमें विशेषज्ञ हैं और वे ही इसके पक्ष अथवा विपक्ष मे निर्णय करेंगे।

श्री प्र० के० देव ने जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में हमने श्री काली चरण पटनायक से उड़ीसी नृत्य की हस्तलिपियों की एक तालिका बनाने के लिये कहा है। जैसे ही वह तैयार हो जायेगी उड़ीसी नृत्य पर पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ किया जायेगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने कोर्णार्क के सम्बन्ध में भी कहा। मुझे खुशी है कि वे उस कार्य की प्रशंसा करते हैं जो किया गया है और किया जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने यह विचार प्रकट किया कि कोर्णार्क का मन्दिर गिर जायेगा। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक हमारी शक्ति में होगा, जहां तक हम उपलब्ध वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग ज्ञान के अनुसार कार्य कर सकते हैं, कोर्णार्क की ओर प्रत्येक संभव ध्यान दिया जायेगा। वह भारतीय वास्तुलकला का का श्रेष्ठतम नमूना समझा जाता है। इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये जिससे भावी सन्ततियों के लिये उसका महत्व कम हो जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि उड़ीसा को एक पृथक सर्किल बनाया जाये। इस समय ९ सर्किल हैं। उड़ीसा जिस सर्किल में है वह भी उन में से एक है जिसमें ५४ ऐतिहासिक स्मारक हैं। इसके विपरीत पश्चिमी बंगाल में १०३ और आसाम में ५६ ऐतिहासिक स्मारक हैं। मैं समझता हूं कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं जब भारत के प्रत्येक राज्य के लिये एक सर्किल बना सकें। बहुत से ऐतिहासिक स्मारकों को एक समूह में रखने से अनेक लाभ होते हैं। फिर भी यदि आगे चल कर वैसा करना आवश्यक हो जायेगा तो हम समय आने पर इस मामले की जांच करेंगे।

डा० मेलकोटे ने कहा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इंजीनियरिंग शिक्षा की सुविधायें के विस्तार के परिणाम स्वरूप उसके स्तर में गिरावट न आने पाये। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक परीक्षा और डिगरियों का सम्बन्ध है स्तर के सम्बन्ध में कोई ढील नहीं की गई है। प्रवेश के समय हम अवश्य कुछ ढील दे देते हैं। देश के विभिन्न भागों और विभिन्न जातियों में असमानता होने के कारण इस प्रकार की कुछ ढील आवश्यक हो सकती है। अन्ततः भारतीय राष्ट्र की शक्ति श्रृंखला के दुर्बलतम व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर होगी। इसलिये प्रवेश के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के रूप में उनके लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये जाते हैं। यदि आवश्यक योग्यता के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होते तो ऐसे स्थान सामान्य प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही भरे जाते हैं। यही कारण है कि दिल्ली पालीटेकनीक में हमने बीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित कर दी हैं। वह कोटा हमेशा पूरा नहीं हो पाता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह पसन्द नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति को बिना योग्यता का विचार किये प्रविधिक संस्था में भर्ती कर लिया जाये। अपेक्षाकृत पिछड़ी जातियों के लिये कुछ कम योग्यतायें निर्धारित की गई हैं। संभवतः उनके लिये पांच अंकों की रियायत है। मेरे विचार से यह रियायत अनुचित नहीं है। कुछ वर्षों में इन जातियों के विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की बराबरी कर लेंगे। यहां मैं एक उदहाहरण उपस्थित करना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विदेशी

छात्रवृत्तियां पुनः प्रारम्भ की गईं थीं तो हमने एक यह शर्त रखी थी कि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक उसे स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी न मिली हो। तब इस सभा के कुछ सदस्यों ने मुझ से मिल कर यह कहा था कि इन शर्तों के अन्तर्गत इन जातियों से कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल सकेगा परन्तु हमारा अनुभव यह रहा है कि हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के अनेक उम्मीदवार ऐसे मिले जिन्हें अपने अध्ययन काल में सदा प्रथम श्रेणी ही मिली थी। इसलिये हम उन में से चुनाव कर सके। मुझे विश्वास है कि यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के नवयुवकों और नवयुवतियों को अवसर दिये जायें तो वे अन्य जातियों के विद्यार्थियों का मुकाबला बराबरी के आधार पर कर सकगें। हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे।

डा० मेलकोटे ने अपव्यय के प्रश्न की भी चर्चा की। मुझे खुशी है कि आम तौर से हमारी प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में अपव्यय ज्यादा नहीं होता है और अन्य देशों की संस्थाओं की तुलना में वह अधिक नहीं कहा जा सकता। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की दो-तीन इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के संबंध में जानता हूं और मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां जो अपव्यय होता है वह इनमें से कुछ संस्थाओं से बहुत कम है। जहां तक इंजीनियरिंग कालेजों का संबंध है, मैं समझता हूं सफलता का प्रतिशत ६० से भी अधिक है और कुछ मामलों में ८० प्रतिशत तक है जबकि पश्चिमी देशों की इंजीनियरिंग संस्थाओं में सफलता का प्रतिशत इतना नहीं है। परन्तु फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में ढील की बिलकुल भी गुंजाइश नहीं है और हमें स्तर सुधारने का प्रयत्न सदा करते रहना चाहिये।

डा० मेलकोट ने नौकरी में लगे लोगों के लिये शाम की कक्षाओं के प्रश्न का उल्लेख भी किया। इस सुझाव का शिक्षाविदों द्वारा स्वागत किया गया है और मैं सभा को यह सूचना दे सकता हूं कि दिल्ली पालीटेकनीक तथा देश की कई अन्य संस्थाओं में शाम की कक्षायें लगती ही हैं। हम इस बात की जांच करेंगे कि बड़े बड़े नगरों में इन सुविधाओं का विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है। जिस प्रकार का यह मामला है उसको देखते हुये इस प्रकार की रियायत की आवश्यकता पहले बड़े नगरों में होगी और तभी संभवतः छोटे नगरों में।

मेरे माननीय मित्र डा० सामन्त सिंहार ने पूछा कि धन उचित रूप से व्यय किया जा रहा है या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देना मेरा कार्य नहीं है। हम धन को सर्वोत्तम ढंग से खर्च करने का प्रयत्न करते हैं और गत वर्ष हमारा जैसा कार्य रहा है उसको देखते हुये सभा को यह मानना होगा कि धन उचित रूप से व्यय किया गया है।

जहां तक लक्ष्यों का संबंध है, हमने न केवल उन्हें प्राप्त कर लिया है वरन् कुछ मामलों मे उनसे भी आगे बढ़ गये हैं। १९६१ के लिये निर्धारित लक्ष्यों को पार किया जा चुका है और हमने नए लक्ष्य निर्धारित किये हैं तथा हम उन्हें भी पूरा करने की आशा करते हैं।

मैं माननीय मित्र डा० सामन्त सिंहार को यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि एक संग्रहालय कोणार्क में और एक रत्नगिरि में स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यदि इसे भी उड़ीसा की उपेक्षा कहा जाये तो मैं नहीं समझता कि हम उड़ीसा का ख्याल किस प्रकार कर सकेंगे ?

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के पूर्व उड़ीसा और आसाम में एक भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं था। अब आसाम में दो इंजीनियरिंग कालेज खुल गये हैं और उड़ीसा में भी दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व दो इंजीनियरिंग कालेज हो जायेंगे, एक कालेज तो चल रहा है और दूसरा शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा।

माननीय श्री नरसिंहन् ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य के मूल्यांकन के संबंध में कहा। कुछ मूल्यांकन कार्य उस समय किया गया था जब श्री एल्फ्रेड एगर्टन यहां आये थे। उनके सभापतित्व में एक समिति ने प्रयोगशालाओं के कार्य की जांच की थी। सब से अच्छी कसौटी प्रयोगशालाओं का प्रकाशन कार्यक्रम है। हमें उनके कार्य की जानकारी निरन्तर होती रहती है। और प्रकाशनों की संख्या में वृद्धि तथा प्रयोगशालाओं के कार्य के परिणामस्वरूप लिये गये लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि और देश में उद्योगों की स्थापना द्वारा विदेशी मुद्रा में निरन्तर बचत, जिसका मैंने कल संक्षेप में वर्णन किया था, स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में यथासंभव अच्छा कार्य हो रहा है। परन्तु यह ठीक है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और मुझे विश्वास है कि इन प्रयोगशालाओं के प्रभारी वैज्ञानिक अपने कार्य को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे।

श्री नरसिंहन् ने गवेषणा कार्य में दोहरेपन का भी उल्लेख किया। मैं इस बात को नहीं समझ सका। वास्तव में गवेषणा कार्य में दोहरेपन की संभावना के लिये स्थान ही नहीं है। यदि दो व्यक्ति एक ही समस्या भी ले लें तो भी उनके प्रशिक्षण, वैज्ञानिक उपकरण और दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण गवेषणा में दोहरापन नहीं हो सकता। दूसरी ओर, ऐसे मामलों में कुछ दोहरापन वांछनीय भी है क्योंकि यदि दो या तीन और व्यक्ति एक ही समस्या पर विचार करेंगे तो नये सत्य के प्रकट होने की संभावना रहेगी। हम जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में गवेषणा में विभिन्न शिष्यों और विज्ञानों के बीच सम्पर्क के परिणामस्वरूप जब कभी प्रतिनिर्देश होता है तो बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। फिर भी, हम इस बात का भरसक प्रयत्न करते हैं कि अपव्यय न हो और प्रविधि की पुनरावृत्ति न हो जिसके लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य का समुचित समन्वय किया जाता है। यह कार्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद करती है। हम इसके लिये विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के संचालकों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

माननीय मित्र ने रामानुजम् संस्था और गणित के अध्ययन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता का उल्लेख किया। मैं देश में गणित के स्तर को सुधारने की आवश्यकता के प्रति सचेत हूं और उसके लिये कुछ उपाय किये जा रहे हैं। हाल में गणित के विषय पर एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है जिसके सभापति डाक्टर भाभा हैं और जिसके संयोजक प्रोफेसर चन्द्रशेखर हैं। यह समिति इस प्रश्न की जांच करेगी और हम देखेंगे कि क्या सहायता दी जा सकती है। परन्तु यह रामानुजम् संस्था एक गैर-सरकारी संगठन था और वह चल नहीं सका इसलिये हमने सुझाव दिया कि उसको नष्ट हो जाने देने के बजाय यह कहीं अच्छा होगा कि उसे मद्रास विश्वविद्यालय का अंग बना दिया जाये और उसमें एक 'चेयर' की स्थापना कर दी जाये ताकि गणित और भौतिक शास्त्र के प्रोफेसरों तथा अन्य रुचि रखने वाले लोगों के सम्पर्क के परिणामस्वरूप संस्था का भली प्रकार विकास हो सके।

माननीय मित्र ने चार उच्चतर संस्थाओं के संबंध में भी पूछा। वे उसी प्रकार की होंगी। यद्यपि स्थानीय भिन्नतायें हो सकती हैं और कुछ विशेष विषयों की व्यवस्था में अन्तर होंगे फिर भी चारों संस्थाओं का सामान्य स्वरूप एक सा ही होगा।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह इस बात के लियें उत्सुक हैं कि हमारी समितियों और आयोगों में नये लोगों को लाया जाना चाहिये। हमने ऐसा करना प्रारम्भ कर दिया है। यदि वह विज्ञान के क्षेत्र की विभिन्न गवेषणा समितियों का गठन देखें, जो इस वर्ष स्थापित की गई हैं, तो

[श्री हुमायून कबीर]

उन्हें ज्ञात होगा कि हमने पुरानी सूचियों को छोड़कर विश्वविद्यालयों से नये रक्त के आदमियों को लिया है।

इस प्रकार हम इस संबंध में कार्यवाही कर चुके हैं। बहुत से नई उम्र के लोगों को लिया जा रहा है और हम उन लोगों को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं जो बार बार उनमें आये हैं। निस्सन्देह उनमें से कुछ इतने विख्यात और लाभकारी हैं जिनकी सेवाओं, परामर्श और अनुभव की हमें आवश्यकता है; परन्तु साथ ही हम नये लोगों को उनमें लाना चाहते हैं और विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, गवेषणा समितियों तथा अन्य समितियों में, जिन्हें हम स्थापित करते हैं, नये लोग लाए भी जा रहे हैं।

श्री वै० च० मलिक ने इस मंत्रालय के अतिरिक्त पदों की चर्चा की। मैंने इस प्रश्न पर पुनः विचार किया है। भ्रांति का कारण बजट मांग में उनके उपस्थापन का ढंग है। उसमें एक संयुक्त सचिव का पद दिखाया गया है परन्तु उसका निर्माण भूतपूर्व शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के विभाजन के पूर्व किया गया था और विभाजन के पश्चात् यह पद वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में दिखाया गया है। पहले ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था इसलिये उस मंत्रालय के अन्तर्गत कोई भी पद नहीं दिखाया जा सकता था। इसी प्रकार उस सूची में दो उप सचिवों की वृद्धि दिखाई गई है। वे शिक्षा मंत्रालय से अपने कार्य सहित हमारे यहां आये थे। कोई अतिरिक्त पद नहीं निर्मित किये गये थे। शिक्षा उपसलाहकार के स्तर पर गत वर्ष दो पदों का निर्माण किया गया था। एक प्रविधिक शिक्षा के लिये और एक प्रकाशन कार्य के लिये। परन्तु जैसा मैंने बहस में हस्तक्षेप करते समय कहा था कि १९५९–६० में किन्हीं नये पदों के निर्माण के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। जिन पदों का निर्देश किया गया है वे सब १९५८–५९ में निर्मित किये गये थे। परन्तु मैं समझता हूं कि चूंकि पहले इस मंत्रालय का अस्तित्व ही नहीं था इसलिये उसे बजट विवरण में नहीं दिखाया गया था और इसी कारण यह गलती उत्पन्न हुई है।

श्री वै० च० मलिक ने लोक कला और ग्राम्य संस्कृति की चर्चा भी की। हमने लोक नृत्यों तथा अन्य कार्यों का सूत्रपात ग्राम्य क्षेत्रों की कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही नहीं किया है वरन् इसलिये भी कि नागरिक और ग्राम्य क्षेत्रों के बीच की खाई खत्म हो जाये। हम ग्राम्य कला का संदेश नागरिक क्षेत्रों में भेजना चाहते हैं और नागरिक कला की गहनता और गतिशीलता का ग्राम्य क्षेत्रों में समावेश करना चाहते हैं और इस प्रकार ग्राम्य और नागरिक क्षेत्रों में जो असमानता अभी फैली हुई है वह कम हो जायेगी।

मैं आसाम और उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेजों के प्रश्न का निर्देश कर चुका हूं और पाली-टेकनीक्स का उल्लेख भी कर चुका हूं। मैं अपने माननीय मित्र की एक भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूं। उन्होंने यह अपील की कि विज्ञान मन्दिर जिले के मुख्यालय में न खोले जायें। मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है। विज्ञान मन्दिर कभी भी जिले के मुख्यालय में नहीं होते हैं। वे सदा ग्राम्य क्षेत्रों में खोले जाते हैं।

मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर का बहुत कतज्ञ हूं। उन्होंने मेरे मंत्रालय का बड़ी उदारता से समर्थन किया। उनकी बहुत सी आलोचना इस मंत्रालय के प्रति नहीं वरन् किसी अन्य उच्चतर क्षेत्र के प्रति थी। यदि वह उसके संबंध में गम्भीर हैं तो संबंधित प्राधिकारियों से लिखा पढ़ी कर सकते हैं, इस मंत्रालय की चर्चा में उसका उल्लेख नहीं करना चाहिये।

मेरे मित्र ने शैक्षिक संस्थाओं और नियोजकों के बीच अधिक सम्पर्क की आवश्यकता का निर्देश किया। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि इन इंजीनियरिंग कालेजों में ऐसा सम्पर्क है और

कुछ कालेजों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि एक व्यक्ति को उस समय तक डिगरी नहीं मिलेगी जब तक वह कुछ समय तक अप्रेंटिस का काम न कर ले। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद में उद्योगपतियों और शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हम इन सम्पर्कों को अधिकाधिक निकट रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि जब कभी किसी नये कोर्स को चालू करने का विचार किया जाता है तो उसके लिये उद्योगपतियों से रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। स्पष्ट है कि सब कोर्सों के संबंध में ऐसा नहीं हो सकता। कुछ आधारभूत कोर्स इतने आवश्यक हैं कि रोजगार की संभावना का ख्याल न करके शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक रूप से रखे ही जाने चाहियें परन्तु बहुत से प्रविधिक विषयों में यह निकट सम्पर्क रखा जाता है और हम इन सम्पर्कों को अधिकाधिक निकट बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं।

माननीय मित्र ने तीनों अकादमियों का उल्लेख किया और इस बात पर खेद प्रकट किया कि उनके मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं। यदि माननीय सदस्य सब चीजों को ग्राम्य क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं तो संसद को सबसे पहले यहां से हटाना चाहिय क्योंकि वह राष्ट्र का सर्वोच्च निकाय है। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कारण संसद ग्राम्य क्षेत्रों में नहीं ले जाई जा सकती और वैसी ही बातों के कारण इन अकादमियों के मुख्यालय भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ले जाये जा सकते। परन्तु हम ग्राम्य क्षेत्रों से सम्पर्क रखने का प्रयत्न करते हैं और चाहते हैं कि ग्राम्य क्षेत्रों में जो कुछ होता है उसका प्रतिविम्ब अकादमी में मिले और जो कुछ अकादमी में होता है उसका प्रतिविम्ब ग्राम्य क्षेत्रों में मिल सके।

संभवतः माननीय मित्र ने अकादमियों के प्रतिवेदनों को नहीं देखा है। ये प्रतिवेदन प्रकाशित किये जाते हैं और संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। यदि वह उन्हें पढ़ें तो मालूम होगा कि संगीत नाटक अकादमी ने ग्राम्य कला और ग्राम्य संगीत के सर्वेक्षण किये हैं, साहित्य अकादमी लोग गीतों के संग्रह में सहायता करने का प्रयत्न करती है और ललित कला अकादमी ने भी विभिन्न ग्राम्य कलाओं के संग्रह का प्रयत्न किया है। इस प्रकार से यह सम्पर्क रखा जाता है।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या आप इन अकादमियों के कार्य से संतुष्ट हैं?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जहां तक संतोष का प्रश्न है, मैं उन आदमियों में से हूं जो सदा बहुत सी चीजों से असन्तुष्ट रहते हैं। परन्तु साथ ही इतना असन्तुष्ट भी नहीं हूं कि इस बात को भी स्वीकार न करूं कि वे अपनी सीमाओं के अन्तर्गत बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।

मेरे माननीय मित्र ने छात्रवृत्तियों के उपयोग का प्रश्न उठाया। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वे योग्यताओं के आधार पर नहीं दी जा रही हैं। इस प्रकार की बात मैंने पहली ही बार सुनी है। उन्होंने स्वयं यह भी कहा कि उनके पास उसकी न कोई सूचना है और न रिपोर्ट। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब न कोई सूचना है और न रिपोर्ट ही तो क्या उन जैसे वरिष्ठ सदस्य को इस प्रकार की बात कहनी चाहिये जिससे गलतफहमी उत्पन्न हो? मैं समझता हूं कि जहां तक योग्यता की छात्रवृत्तियों के लिये प्रवरण का संबंध है, प्रायः कभी कोई शिकायत नहीं आई है। इसके लिये उच्च शक्ति प्राप्त प्रवरण समितियां हैं जिनमें मंत्रालय के अधिकाधिक एक या दो प्रतिनिधि होते हैं। शेष सब बाहर के व्यक्ति होते हैं। कुछ मामलों में ये प्रवरण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाते हैं। और मुझे यह कहते हुये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास कभी कोई शिकायत नहीं आई। इसलिये जब माननीय मित्र ने ऐसी बात कही और तुरन्त ही

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हमायून कबीर]

उसमें संशोधन भी किया कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है तो वास्तव में मुझे बहुत धक्का पहुंचा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका मुझे संशोधन करना पड़ा हो । मैंने केवल यह कहा था कि आपको अधिक विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : विश्वास तो हमें प्राप्त है और इन प्रवरणों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है और मैं इसका गर्व भी कर सकता हूं क्योंकि हमारी छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत अधिक है और उनके लिये प्रवरणों के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है। माननीय सदस्यों से मुझे प्रायः पत्र मिलते रहते हैं और हर मामले में उन्होंने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया है कि सब से अच्छे उम्मीदवार को ही चुना गया है । फिर भी यदि माननीय सदस्य ऐसा कोई मामला उपस्थित करें जिसमें ठीक प्रवरण न किया गया हो तो मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं इस बात का निश्चय ही प्रयत्न करूंगा कि वैसा फिर न हो ।

माननीय श्री दास गुप्त ने देश की विभिन्न संस्कृतियों के रक्षण की आवश्यकता की बात कही और इस पर भी बल दिया कि हमारे क्षेत्र की एकता सुरक्षित रहे । मेरा विचार है कि मंत्रालय का समस्त कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है और इसी कारण हमने यह कहा है कि हम प्रत्येक भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और प्रत्येक संभव सहायता देना चाहते हैं और इस मामले में कुछ कदम उठाये भी जा चुके हैं ।

कुछ अन्य बातें जो उन्होंने कहीं, इस मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं । मैं उनके संबंध में तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु यह अवश्य कह सकता हूं कि यदि कोई वास्तविक कठिनाइयां हैं और संबंधित अधिकारियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि उनकी जाँच की जायेगी । जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, हम भारत की प्रत्येक भाषा के विकास का प्रयत्न करेंगे और इसके लिये कार्यवाही का सूत्रपात किया जा चुका है । मैंने स्वयं इस वाद-विवाद का प्रारम्भ करते समय अपने भाषण में यह कहा था कि यह ऐसा विषय है जिसको मैं आन्तरिक संस्कृति के क्षेत्र में अधिकतम महत्व देता हूं ।

माननीय मित्र ने पुरातत्व स्मारकों के संबंध में कहा कि उनमें से कुछ की देखरेख भली प्रकार नहीं हो रही है । हमारे देश में राष्ट्रीय महत्व के ५००० ऐतिहासिक स्मारक हैं और उनकी देखभाल प्रायः ठीक ही हो रही है । जैसा मैंने कल कहा था हमें भारत तथा बाहर के लोगों से उसके संबंध में प्रशंसा ही सुनने को मिली है और इस क्षेत्र के विशेशज्ञों का कथन है कि इस देश का पुरातत्व विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । विदेशी और भारतीय दोनों ही ऐसा कहते हैं । इस सभा में भी आज बहुत से माननीय सदस्यों ने, जिनमें से कुछ विरोधी पक्ष के भी थे, पुरातत्व विभाग के कार्य की प्रशंसा की थी परन्तु माननीय सदस्य उस समय उपस्थित न होने के कारण वह नहीं सुन सके । मैं यह स्वीकार करता हूं कि एक व्यापक पुरातत्वीय निर्देशिका अभी तक तैयार नहीं की गई है, परन्तु हम उस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं और उसे यथाशीघ्र प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे ।

अब मैं माननीय श्री नायर के भाषण पर आता हूं । मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह क्यों कहा कि उन्हें इस मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्यों का ब्यौरा नहीं मिल सका जबकि प्रतिवेदन में उनका उल्लेख है और तीनों अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में विस्तृत विवरण दिये गये हैं । यदि माननीय मित्र तीनों अकादमियों के प्रतिवेदन भी पढ़ने का कष्ट करें तो उन्हें मालूम होगा कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया है। अधिक कार्य भी किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्र में कोई सीमा हो भी नहीं सकती। परन्तु अपने सीमित संसाधनों में हमने अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयत्न किया है। इसलिये मंत्रालय को इस सभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। यदि वैसा न किया गया होता तब माननीय सदस्य हमारे कार्य की आलोचना कर सकते थे।

माननीय सदस्य ने मथुरा की खुदाई का उल्लेख किया जो श्री राम और श्री कृष्ण के इतिहास का पता लगाने के लिये की जा रही है। मैं समझता हूं कि मथुरा में एक बार खुदाई का प्रयत्न किया गया था परन्तु प्रारम्भिक परिणाम उत्साहजनक नहीं निकले थे। यदि माननीय सदस्य यह बता सकें कि श्री राम और श्री कृष्ण के इतिहास का पता लगाने के लिये कहां पर खुदाई की जानी चाहिये तो हम उस पर निश्चय ही विचार करेंगे। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा के संबंध में भी कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं सका। यह विषय मेरे मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आता।

जहां तक वैज्ञानिक पदावली का संबंध है, यह मामला भी ऐसा है जिसका कार्य शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। उसने एक वैज्ञानिक पदावली बोर्ड बनाया है जो वैज्ञानिक शब्द तैयार कर रहा है।

माननीय श्री प्र० के० देव ने लद्दाख की पांडुलिपियों और इंडिया आफिस लाइब्रेरी का उल्लेख किया। जहां तक लद्दाख की पांडुलिपियों का संबंध है, यदि वे हमें मिल जायेंगी तो हम निश्चय ही उन्हें सुरक्षित रखेंगे। परन्तु यहां फिर यह कार्य इस मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के बीच बटा हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय अभिलेखागार उस मंत्रालय के अन्तर्गत है।

जहां तक इंडिया आफिस लाइब्रेरी का संबंध है, मैं पहले कह चुका हूं कि कानूनी तौर से और नैतिक दृष्टि से वह पुस्तकालय हमारा है जैसा कि ब्रिटेन की सरकार को भेजे गये विस्तृत टिप्पण में सर्वथा स्पष्ट कर दिया गया है। स्वयं यह तथ्य कि ब्रिटेन की सरकार हमारे प्रश्नों का अभी तक कोई उत्तर नहीं दे सकी है इस बात का प्रमाण है कि वे अपने पक्ष में कोई कानूनी दलील नहीं दे सकते हैं। संभवतः वह उस दिन को टलाने का प्रयत्न कर रहे हैं जब उन्हें वह पुस्तकालय हमें देना होगा। मैं सभा को एक बार पहले बता चुका हूं और अब फिर दुहराए देता हूं कि हम इंडिया आफिस लाइब्रेरी की अपनी मांग छोड़ेंगे नहीं। हम उन्हें लिखते ही रहेंगे और अपने प्रयत्न को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे स्वामित्व को मान नहीं लिया जाता और वह हमारे हाथ में न आ जाये।

जहां तक कोहीनूर का संबंध है, मैं उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता जो स्वर्गीय मौलाना आजाद ने इस सभा में कहा था कि इस मामले पर कोई चर्चा नहीं की गई है। इस प्रश्न के उठाये जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

अब मैं श्री जगदीश अवस्थी के भाषण पर आता हूं। उन्होंने कानपुर की संस्था के लिये भूमि की बात कही। मैंने एक बार पहले भी इस सभा में यह कहा था कि यह प्रश्न उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रखना चाहिये। वह भूमि कहां है अथवा उसका अर्जन कैसे किया जाता है उससे हमारा कोई संबंध है। जब हमें राज्य से भूमि साधिकार मिल जायेगी तभी हम संस्था की स्थापना करेंगे। इसलिये भूमि मिलने से पूर्व के संबंध में जो भी प्रश्न हो वह उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, इस सरकार से नहीं।

[श्री हुमायून कबिर]

बिठूर और जगमान में खुदाई के संबंध में मैं जांच करूंगा। बिना जानकारी के मैं यह नहीं कह सकता कि वहां क्या संभावनायें हैं।

माननीय मित्र ने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का उल्लेख किया। मैं यह बता देना चाहता हूं कि नर्तकों और संगीतज्ञों के अतिरिक्त अन्य लोग भी बाहर जाते हैं। हमारे अनेक प्राध्यापक दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति, इतिहास अथवा संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं। हम लेखकों के दल भी भेजते हैं। परन्तु जब हम किसी को थोड़े से समय के लिये बाहर भेजते हैं तो वह उतने समय में अनेक क्षेत्रों में सम्पर्क नहीं स्थापित कर सकता। लेखक को समय की आवश्यकता होती है और भाषा का प्रश्न भी आता है। दार्शनिक अथवा प्राध्यापक को भी समय की आवश्यकता होती है। परन्तु जब हम किसी को सप्ताह या १५ दिन के लिये भेजते हैं तो नृत्य, चित्रकला अथवा संगीत में योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही अधिक प्रभावित कर सकते हैं और हमें उनका आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिये।

माननीय मित्र ने सिन्धी कहानियों के अंग्रेजी में अनुवाद का उल्लेख किया। उनका समस्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद की दिशा में यह पहला कदम है। उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराने का निर्णय दो बातों के कारण किया गया। एक कारण तो यह है कि अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा की समान योग्यता रखने वाले व्यक्ति अधिक सरलता से उपलब्ध हैं, दो भारतीय भाषाओं की समान योग्यता रखने वाले इतनी आसानी से नहीं मिलते। दूसरा कारण यह है कि वैसा करने से हमारे लेखकों की जानकारी न केवल भारतीय जनता को होती है वरन् बाहर के लोगों को भी हो जाती है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह चाहते होंगे कि भारत के लेखकों को बाहर के लोग भी जान सकें। इससे न केवल उन लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा वरन् हमारे देश का नाम भी फैलेगा।

जहां तक "डिस्कवरी आफ इंडिया" के फारसी अनुवाद का संबंध है वह बाहर के देशों के लिये किया जा रहा है। उसका प्रयोग देश में नहीं होगा। इस प्रकार के कार्य की अन्य देशों में बहुत तारीफ की जाती है। मैं समझता हूं कि जब कभी आवश्यक होगा हमें ऐसे अनुवाद अवश्य करने होंगे। केवल यही एक किताब नहीं है बहुत से अन्य किताबों के अनुवाद भी किये जा रहे हैं। हमने यूनेस्को के साथ परामर्श करके बहुत से भारतीय ग्रन्थों का विश्व की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद करने और विश्व की प्रमुख भाषाओं की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने और एक भारतीय भाषा का दूसरी में अनुवाद करने का एक नियमित कार्यक्रम बना रखा है।

इस प्रकार मैंने बहस में उठाये गये समस्त प्रश्नों का अपनी योग्यतानुसार उत्तर देने का प्रयत्न किया है और मैं सभा से उन्हें स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार जो भूतत्वीय, वानस्पतिक एवं प्राणिकीय सर्वेक्षण कर रही है उसमें क्या विश्वविद्यालयों को संबद्ध करने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह सर्वथा नया प्रश्न है। भूतत्वीय सर्वेक्षण से मेरा कोई संबंध है। प्राणिकीय एवं अन्य सर्वेक्षणों में हम विश्वविद्यालयों का सहयोग ले रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये जा रहे हैं ।

कटौती प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७४	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय .	२६,८८,०००
७५	पुरातत्व . .	९८,१३,०००
७६	भारत का सर्वेक्षण .	१,४७,७१,०००
७७	वानस्पतिक सर्वेक्षण	१४,०७,०००
७८	प्राणिकीय सर्वेक्षण	१०,४०,०००
७९	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य . .	११,९८,०६,०००
८०	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	**३३,७९,०००**
१२९	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,१८,०३,०००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब परिवहन तथा संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या ८५ से ९४ और १३१ से १३५ पर चर्चा होगी । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव करना चाहते हों वह उनकी संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर दे दें ।

वर्ष १९५९-६० के लिए परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८५	परिवहन तथा संचार मंत्रालय . .	५०,०१,०००
८६	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	६०,८१,६०,०००
८७	वणिक् नौवहन	६३,१९,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
८८	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	१,१८,१३,०००
८९	ऋतु विज्ञान विभाग	१,४८,९३,०००
९०	समुद्रपार संचार सेवा	१,१७,८३,०००
९१	उड्डयन	६,५०,२५,०००
९२	केन्द्रीय सड़क निधि	३,५६,२४,०००
९३	संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित)	६,०९,०१,०००
९४	परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	१,५६,९१,०००
१३१	भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया)	३१,३३,५४,०००
१३२	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	३,९७,१६,०००
१३३	पत्तनों पर पूंजी व्यय	२,७८,२१,०००
१३४	सड़कों पर पूंजी व्यय	१५,१२,५०,०००
१३५	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	८,०३,०९,०००

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज़ा) : मैं विशेषतया नौवहन तथा सामान्यतया सड़क परिवहन के बारे में ही कुछ कहूंगा। हमारे नौवहन उद्योग का विकास उत्साहवर्द्धक नहीं है। हमारे देश का तट ३८०० मील लम्बा है और इसके लिये बहुत अधिक नौवहन टनभार की आवश्यकता है। १९४७ में यह हिसाब लगाया गया था कि देश को २० लाख टन के नौवहन की ज़रूरत है। परन्तु तब से अब में बहुत परिवर्तन आ गया है और अब मामूली ढंग से हिसाब लगाने से पता लगता है कि हमें २५ लाख टन नौवहन चाहिये। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग १५०० करोड़ रुपये का विदेशी व्यापार होता है परन्तु भारतीय नौवहन को इसका १५ प्रतिशत से अधिक कभी नहीं मिलता। अधिकांशतः विदेशी ही भारत का नौवहन करते हैं।

१९४७ में नौवहन उद्योग पर गैर-सरकारी क्षेत्र का ही आधिपत्य समझा जाता था और इसीलिये सरकार ने इसको सहायता दे कर इसका विकास करना उचित समझा था। परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। तत्पश्चात् सरकार ने व्यापारियों के साथ भागीदारी के आधार पर इस उद्योग का विकास करने का निश्चय किया और इसीलिये दो अथवा तीन निगम बनाने की घोषणा की जिनमें ५१ प्रतिशत अंश सरकार के, २६, प्रतिशत अंश गैर-सरकारी समवायों के तथा २३ प्रतिशत अंश जनता के रखे। जनता में से किसी ने भी कोई अंश नहीं लिया और इसलिये ५१ प्रतिशत सरकार द्वारा लिये जाने अंशों में जनता के लिये निश्चित २३ प्रतिशत अंशों को सरकार ने मिलाकर तथा २६ प्रतिशत अंश सिंधिया को दे कर १९५० में ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन बनाया। परन्तु समवाय अधिनियम पारित हो जाने के पश्चात् सिंधिया को दिये २६ प्रतिशत अंश भी सरकार

†मूल अंग्रेजी में

ने ले लिये और ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन पूरी तरह सरकारी निगम बन गया। इसके पश्चात् एक दूसरा निगम वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन १९५४ में सरकार ने और बनाया। इस प्रकार नौवहन उद्योग पर गैर-सरकारी क्षेत्र का ही आधिपत्य नहीं रह गया। इतना सब कुछ किये जाने पर भी यह बड़े खेद की बात है कि द्वितीय योजना में हमने नौवहन को ९ लाख टन बढ़ाने का जो निश्चय किया था पूरा होता नज़र नहीं आता है।

यदि इन निगमों के कार्यवहन पर विचार करें तो मालूम होता है कि इनकी हालत बड़ी खराब है। जिन नौवहन मार्गों से अधिक धन की प्राप्ति होती है वह सभी मार्ग गैर-सरकारी क्षेत्र के पास हैं। और गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी जहाज़ों को किराये पर लेकर व्यापार किया जाता है। सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ संरक्षण दे सकती है लेकिन विदेशी जहाज़ों को आने ही क्यों दिया जाता है, जब गैर-सरकारी क्षेत्र अपना कर्तव्य नहीं निभा पाता। इस प्रकार जो धन भारत में ही रहना चाहिये वह विदेशों में चला जाता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि सरकार नौवहन के बारे में अपनी नीति स्पष्टतया हमें बताये। सरकारी क्षेत्र का जो हक़ है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये।

नौवहन के सरकारी निगमों के पास जहाज़ नहीं हैं। पूछने पर बताया गया कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता के लिये तो धन दे देती है परन्तु सरकारी क्षेत्र में जहाज़ खरीदने के लिये धन नहीं देती। मैं जानता हूं कि ऐसे भी जहाज़ बनाने के समवाय हैं जो सरकार को जहाज़ इस शर्त पर देने को तैयार है कि नौवहन के द्वारा आय होने पर उनको जहाज़ की कीमत देदी जाये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किन कारणों से उन समवायों से जहाज़ खरीदने को उत्सुक नहीं है।

नौवहन के मार्गों के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं करना चाहिये कि जिन मार्गों पर गैर-सरकारी जहाज़ चले उन मार्गों पर सरकारी जहाज़ न चलाये जायें। मेरा सुझाव है कि एक समन्वय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो इसके ब्योरे इकट्ठे करे और यदि उपयुक्त समझे तो जिन भागों पर गैर-सरकारी जहाज़ चलते हैं उन पर सरकारी जहाज चलाने अथवा सभी मार्गों पर दोनों प्रकार के जहाज चलाने की व्यवस्था करें।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

हिन्दुस्तान शिपिंग यार्ड को लीजिये। इस यार्ड में अब तक 'ड्राइ डॉक' (सूखी गोदी) नहीं बनाया गया है जिसके कारण यहां पर बनाये गये जहाज़ों को कलकत्ता के "ड्राइ डॉक" में ले जाया जाता है। इसलिये यहां पर एक सूखी गोदी बनायी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त इस यार्ड में बहुत थोड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

दूसरे शिपयार्ड की स्थापना का मामला अभी लटका हुआ है। उसके सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। ब्रिटिश मिशन आ कर प्रतिवेदन दे कर लौट गया। उसने अपने प्रतिवेदन में कोचीन की सिफारिश की है। परन्तु न जाने क्यों कोचीन में इस शिपयार्ड को बनाने में विलम्ब किया जा रहा है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि शिपयार्ड बनाने का ऐसा मामला है जिसके बारे में केरल के सभी राजनैतिक दल एकमत हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्ट शब्दों में इसके बारे में सभा को बतायें।

अब मैं सड़क परिवहन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ राज्य, जैसे केरल ऐसे हैं जहां पर भू-राजस्व के अतिरिक्त, वित्त प्राप्त करने का अन्य साधन सड़क परिवहन परन्तु

[श्री पुन्नूस]

इस उद्योग का विकास करने के लिये राज्य सरकारें जब भी वित्तीय सहायता मांगती हैं उनको वह सहायता नहीं दी जाती, जब कि बड़े-बड़े व्यापारियों को ऋण दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को भी ऋण दे कर उनकी सहायता करनी चाहिये। परन्तु केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन के लिये भी निगम बनाने को उत्सुक है। केन्द्रीय सर कार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। क्योंकि निगम बन जाने से राज्य सरकारों को बहुत हानि हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि आन्तरिक परिवहन के बारे में गोखले समिति के प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किया गया।

सरकार को राज्य सरकारों को जल परिवहन निगम बनाने के लिये ऋण दे कर प्रोत्साहित करना चाहिये। मेरा सुझाव है कि हिन्द महासागर के छोटे छोटे द्वीपों तक आवागमन नौवहन निगमों के जहाज़ों से आरंभ कर देना चाहिये।

†**श्री मनायन** (दार्जिलिंग) : श्रीमान, मेरा सुझाव है कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय का नाम परिवहन, संचार तथा पर्यटन मंत्रालय रखा जाना चाहिये। गत कुछ वर्षों में पर्यटन को कुछ महत्व दिया गया और इसका बड़ा खेद है कि महत्व दिये जाने पर भी इसको पूर्णतया विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

१९५१ में १६००० विदेशी पर्यटक आये। १९५७ में ८०,००० पर्यटक आये, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि पर्यटन के प्रचार के लिये ठोस क़दम उठाये जाते तो निश्चित रूप से अधिक विदेशी पर्यटक आते और विदेशी मुद्रा हमें मिलती। पर्यटन के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मनमुटाव दूर हो जाते हैं तथा विश्व को उस देश की ठीक स्थिति का पता लग जाता है जिसमें अधिक पर्यटक आते हैं। पर्यटन को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

समस्त विश्व में हमारा देश ऐसा है जिसमें पर्यटन के अधिक स्थान बनाये जा सकते हैं। यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं; ताजमहल है, अजन्ता, एलोरा की गुफायें हैं। हमें मालूम है कि हमारे देश में ५०० पर्यटन के स्थान हैं और मुझे विश्वास है कि यदि इन सभी स्थानों का विकास कर दिया जाये तो देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ सकती है। सरकार को ऋण की व्यवस्था करके इन पर्यटन स्थानों में निवास, खाने-पीने आदि की समुचित व्यवस्था करानी चाहिये। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था करने में बहुत दिन लगेंगे और तब तक के लिये मेरा सुझाव है कि 'पेइंग गेस्ट' पद्धति हमें लागू करनी चाहिये तथा विश्राम गृह बनाने चाहियें। पर्यटन स्थानों पर पर्यटकों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि पर्यटन के विकास के लिये वह क्या निश्चित उपाय करने वाले हैं।

मैं दार्जिलिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दार्जिलिंग में विदेशों से बहुत से लोग आते हैं और टाइगर हिल्स से उगते सूर्य का नज़ारा देखते हैं। परन्तु सरकार आज तक टाइगर हिल पर चढ़ने के लिये मोटर की सड़क नहीं बना पाई है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह दार्जिलिंग आयें और वहां के महत्व को देख कर उसका विकास करें। †विदेशी पर्यटकों के लिये अलग इन्तज़ाम होना चाहिये तथा देश के पर्यटकों के लिये अलग सस्ता इन्तजाम किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

योजना आयोग ने पर्यटन के लिये धनराशि कम करने का जो सुझाव दिया है, वह मुझे ठीक नहीं लगा; इससे पर्यटन पर बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि स्वयं श्री राज बहादुर भी इस सुझाव से खुश नहीं। खैर, हमें आशा है कि तीसरे आयोजन में पर्यटन के विकास के लिये और भी सुन्दर योजनायें बनाई जायेंगी।

अन्त में मैं कलकत्ता पत्तन के बारे में दो शब्द कहूंगा। कलकत्ता बन्दरगाह बड़ा ही महत्वपूर्ण बन्दरगाह है क्योंकि पूर्व में होने वाले व्यापार का आधार यही है। इसलिये इस बन्दरगाह का प्रशासन सरकार को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि यहां की हालत बहुत खराब है। यदि फर्राका बांध बना दिया जाये तो सारी स्थिति ठीक हो सकती है।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) जनाब चेयरमैन साहब मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशंस् की वज़ारत के मुताल्लिका खर्च की मांगों पर जो कि आज हाउस के सामने पेश हैं, बोलने का मौका बख्शा।

जहां तक ट्रासपोर्ट और कम्मुनिकेशंस् मिनिस्ट्री का ताल्लुक है मैं इसके एक शोयबे टूरिज्म के ऊपर अपनी तक़रीर को मखसूस कर लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहिले कि मैं इस वज़ारत के दो बड़े मुहकमों पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स् और ट्रान्सपोर्ट के बारे में चन्द नज़रिये आपके सामने रक्खूं, मैं इस टेलीफ़ोन ट्रंक कालस के बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि टेलीफ़ोन ट्रंक कालस का जो सिलसिला है उससे आम लोगों को बड़ी दिक्क़त होती है। ट्रंक कालस के लिये हमने तीन क़िस्में मुक़र्रर की हुई हैं, आर्डिनेरी, अरजेंट, इम्मीजियेट और इम्पार्टेंट। अब हम आम लोगों के लिये सिर्फ़ आर्डिनेरी ट्रंक कालस ही मखसूस कर सकते हैं लेकिन सरकारी हलक़ों की वजह से और आम तिजारत की वजह से आम लोगों को आर्डिनेरी ट्रंक कालस का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उनको इसमें बड़ी दिक्क़त होती है क्योंकि वह इतना निर्ख और इतना अधिक दाम अदा नहीं कर सकते हैं कि वह अपनी काल को इम्पार्टेंट या अरजेंट करा लें क्योंकि इसके दाम बहुत ज्यादा होते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कुछ रिआयतें दी जायं और कुछ टाइम फ़िक्स किया जाय। इम्पार्टेंट ट्रंक कालस और अर्जेंट ट्रंक कालस के दरमियान कोई वक्त मुकर्रर हो कि ५ या १० अर्जेंट और इम्पार्टेंट ट्रंक कालस के बाद एक आर्डिनेरी ट्रंक काल को भी मौका दिया जाय।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि टेलीफ़ोन सुपरवाइज़र्स की रिहायश की तरफ और दूसरे मुहकमे के मुलाज़मीन की तरफ तवज्जह दी जाय। मेरे नोटिस में यह बात आई है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ के ज्यादातर मुलाज़मीन कई कई सालों से बग़ैर मकानों के हैं। इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह चाहता हूं और इसका कोई फ़ौरी इंतज़ाम किया जाय। उनकी तनख्वाह बहुत कम है और किराया ज्यादा अदा करना पड़ता है।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि वायरलस सिस्टम की तरफ थोड़ी सी तवज्जह दी जाय। पहाड़ी इलाकों मसलन् काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दूसरे इलाकों में वायरलैस का होना अज़हद ज़रूरी है। जिस इलाक़े से मैं आता हूं वहां पर बारिश और बर्फ़ पड़ने की वजह से १५-१५ और १६-१६ दिन के लिये कम्युनिकेशंस् का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, तार, हवाई-जहाज़ और टेलीफोन का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है और तब सिवाय वायरलैस के हमारे सामने और कोई दूसरी चीज़ नहीं रहती है जिससे कि हम वहां से कम्मुनिकेट कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं और यह मेरी मांग है कि पहाड़ी इलाकों के लिये वायरलैस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाय और उसकी तरफ़ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दी जाय।

[श्री अ० मु० तारिक]

इसके बाद जनाववाला, मैं टूरिज्म की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अब यह मेरी खुशक़िस्मती या बदक़िस्मती समझिये कि में खुद एक टूरिस्ट इलाक़े का रहने वाला हूं, वहीं की मेरी पैदायश और अल्लाह ने चाहा तो इन्शा अल्लाह वहीं पर मेरा इंतकाल भी होगा। अब सबसे पहले तो मैं टूरिज्म के वज़ीर और मुहकमा टूरिज्म के तमाम अफ़सरान और उनके कारिन्दों को मुबारिक़बाद देना अपना अख़लाकी फ़र्ज समझता हूं। टूरिज्म के मामले में हमने इस क़लील अर्से में निहायत मुख्तसर मुद्दत में जितनी तरक्की की है यक़ीनन् वह क़ाबिले तारीफ़ है। टूरिज्म के मामले में हमारा हिन्दुस्तान से बाहर के बहुत से मुल्कों के साथ वास्ता पड़ा है। हिन्दुस्तान में सिवाय चन्द इलाकों के टूरिज्म के कहीं मायने ही नहीं समझे जाते हैं लेकिन आज जब हम उस नक़शे की तरफ़ देखते हैं जो कि टूरिज्म का हमारे मुल्क में है तो हम उस पर फ़क्र कर सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने कुछ लोगों से यह अन्दाजा पाया है कि हमें इस साल तक़रीबन् इस मद से २० करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है और वाक़ई यह एक बहुत बड़ी रक़म है और यह हिन्दुस्तान को उसके मौजूदा प्लांस् में काफ़ी मदद दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही टूरिज्म के मायने यह भी हैं कि हम बाहर से आये हुये लोगों का और अपने लोगों का टूरिज्म से तारुफ़ करायें। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें, बाहर के लोगों को भी और अपने लोगों को भी। इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम बाहर के लोगों पर ही भरोसा करें बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि हम हिन्दुस्तान के रहने वालों को शुमाल से लेकर जनूब तक के और मशरिक़ से लेकर मगरिब तक के लोगों को हम टूरिज्म के मायने बतलायें। हिन्दुस्तान का हर वाशिन्दा हिन्दुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ हो। हम लोगों को उनकी आमदनी को मद्देनज़र रखते हुये और हिन्दुस्तान के आम अख़राजात को मद्देनज़र रखते हुये क़लील ख़र्चे पर उनको यह सहूलियत पहुंचाये। इसके लिये यह ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी सराये, छोटे छोटे रैस्ट हाउसेज़ और अच्छे और साफ़ सुथरे होटल्स् मुख्तलिफ़ पहाड़ी इलाकों पर जो कि टूरिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बनायें। हम लोगों को रसद और रसायल के मामले में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत पहुंचायें। मुझे अफ़सोस है कि शायद यह मुहकमा टूरिज्म का, वज़ारत ट्रान्सपोर्ट का या वज़ीर साहब का तगाफुल था कि वह बजट के मौक़े पर फ़ाइनेंस मिनिस्टर को क़ायल नहीं कर सके। अब टूरिज्म उन इलाकों के लोगों के रोज़गार की रीढ़ की हड्डी है और टूरिज्म उनका ज़रिया माश है। आपके डीज़ेल आयल पर टैक्स लगाने से उनको चोट पहुंची है। डीज़ेल आयल पर आपने टैक्स लगा करके लोगों को मजबूर कर दिया है कि टूरिस्ट्स लोग टूरिज्म के इलाके में बहुत कम तादाद में जांय। आपको चाहिये था कि जहां आपने डीज़ेल आयल का निर्ख बढ़ाया वहां आप पट्रोल का दाम कम करते। अब एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में टूरिज्म आम हो जाय और दूसरी तरफ आप ऐसी चीज़े पैदा करते हैं कि लोगों के लिये घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है।

जनाबवाला वज़ारत ट्रांन्सपोर्ट का यह फ़र्ज है कि वह चीप और छोटे छोटे मकान टूरिस्ट्स लोगों की रिहायश के लिये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही न बनाये बल्कि हिन्दुस्तान में हर जगह पर बनाये ताकि एक रिश्ता जो कि पिछले कई १०० सालों से जिसको कि बाहर के मुल्क की विदेशी ताक़त ने काट कर रख दिया था वह फिर से पैदा हो जाय और यह मालूम हो जाय कि हिन्दुस्तान के शुमाल में रहने वाले हिन्दुस्तान के मग़रिब में रहने वालों से मुख्तलिफ़ नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वज़ारत का फ़र्ज है कि वह इन तमाम सहूलियतों को बहम पहुंचाये।

जनाबवाला, मैं चन्द बातों की तरफ वज़ीर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस दिल्ली में जो कि मरकज़ है हिन्दुस्तान का, एक आलीशान क़िस्म का टूरिस्ट सेंटर क़ायम हो। टूरिस्ट सेंटर के मायने क्या हैं? टूरिस्ट सेंटर के मायने यह हैं कि एक ऐसी इमारत हो जहां कि टूरीज्म के मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें मुहैय्या हो। टेबिल एजेंट्स मुहैय्या हों। टूरिस्ट आफिसर्स मुहैय्या हों और टैक्सी स्टैंड मुहैय्या हों ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को यह ख़तरा न हो कि कहीं वह बुरे हाथों में तो नहीं पड़ने जा रहा है।

जनाबवाला, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज दिल्ली में हर इंसान को जिसके कि पास कोई रोज़गार नहीं है आप उसको टूरिस्ट गाइड की शक़ल में पायेंगे। चाहे उसको यह भी न मालूम हो कि कुतुब मीनार कहां है, लेकिन वह टूरिस्ट गाइड है। वह करता क्या है? टूरिस्ट गाइड का एक अज़ीम पेशा है लेकिन हिन्दुस्तान में वह एक दलाल की शक्ल में दिखाई देता है। वह चन्द दुकानदारों का एजेंट होता है और बजाये इसके कि वह टूरिस्टस को लाल किला दिखाये, कुतुब की लाट दिखाये, राष्ट्रपति भवन दिखाये, और दूसरी नई पुरानी इमारतें दिखाये वह उनको वह चन्द दुकानें दिखाना है और उन दुकानों से उसको कमीशन मिलता है। मैं ने सुना है कि यह कमीशन साल में २५ हजार तक हो जाता है। इस चीज़ को डाइरेक्टर जनरल आफ टूरिज्म को देखना चाहिये। मुहकमे को यह पावर्स होनी चाहिये ताकि इन चीज़ों पर नजर रखी जा सके। हमारा यह अव्वलीन फर्ज है कि हम एक मुल्क में आला किस्म के टूरिस्ट गाइड पैदा करें। इस स्कीम को देखने से मालूम होता है कि हमारे यहां टूरिस्ट गाइड्स के लिये एक स्कूल है। होगा, लेकिन मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं कर सकता कि वहां से सही किस्म के गाइड तैयार किये जाते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि इस ऐवान के मेम्बरान काश्मीर के वजीर आज़म को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने हुकूमत हिन्द की रजामन्दी से काश्मीर में परमिट सिस्टम को खत्म कर दिया है। यह उन्होंने एक बड़ी बात की है। साथ ही काश्मीर की नेशनल कानफरेंस का यह फैसला भी बहुत अहम है कि काश्मीर में एइलेक्शन कमीशन को वही दरजा दिया जायें जो कि बाकी हिन्दुस्तान में उसको हासिल है। मैं समझता हूं कि काश्मीर गवर्नमेंट के इस कदम से वजारत टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। और उनको चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को काश्मीर पहुंचाने का इन्तिजाम करें ताकि वह लोग जम्हूरी काश्मीर को देख सकें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इसके लिये हम धन्यवाद करते हैं।

श्री अ० मु० तारिक : शुक्रिया।

मैं एक जीज़ की तरफ और आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह हैं हमारे ट्रेविल एजेंट। जनाब वाला, जहां तक हमारे ट्रेविल एजेंटों का ताल्लुक है, यह बात शायद बहुत कम दोस्तों को मालूम होगी कि हिन्दुस्तान से बाहर उन्होंने अपने फरायज को पूरा करने में और अपनी दयानतदारी में जो मकान पैदा किया है यकीनन हर हिन्दुस्तानी उस पर फख्र कर सकता है। मैं चाहता हूं कि इन ट्रेविल एजेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मराआत और सहूलियत दी जायें क्योंकि अगर एक ट्रेविल एजेंट अच्छा और दयानतदार आदमी होगा और हर मामले को समझता होगा तो यकीनन यहां ज्यादा टूरिस्ट आयेंगे : एक टूरिस्ट एजेंट के खिलाफ़ शिकायत पर दस टूरिस्ट अपना प्रोग्राम मंसूख कर देते हैं। जनाबेवाला ट्रेडविंग्स, मर्करी ट्रेवल्स और जीन एण्ड को और ओरिएंट एक्सप्रैस और दूसरे एजेन्टस ने पिछले चन्द सालों में जो मकान हासिल किया है उसका सबूत यह है कि पिछले साल जब फ्रांस में एक अजीमुश्शान कानफरेंस हुई थी तो उसके लिये हमारे एक ट्रेविल एजेंट को इन्तिजाम करने के लिये बुलाया गया था। उसके बाद एक और कानफरेंस

[श्री अ० मु० तारिक]

टोकियों में हो रही है। उसके लिये भी एक हिन्दुस्तानी ट्रेविल एजेंट को बुलाया गया है। उससे दरख्वास्त की गयी कि वह इस कानफरेंस के तमाम इन्तिजामात करे। जब हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे बाहर के मुल्कों की हुकूमतें फायदा उठा रही हैं तो उनसे हम भी क्यों न फायदा उठायें। वह मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। हमें उनकी राय को ज्यादा से ज्यादा अहमियत देनी चाहिये। मर्करी ट्रेवल्स और ट्रेडविगंसने खासकर नीनुलइकवामी कानफ्रेंसों को इंतजाम जिस खुश असलूवी से किया है वह काबले तारीफ है।

मैं यह भी चाहता हूं कि हमें दिल्ली के, खासकर पुरानी दिल्ली के होटलों पर भी नजर रखनी चाहिये। हम अक्सर सुनते हैं कि एक आदमी शाम को होटल में ठहरा और सुबह उसका कत्ल हो जाता है। कभी यह बहाना किया जाता है कि होटल के कमरे में अचानक आग लग गयी और इससे वह आदमी मर गया, कभी यह बहाना किया जाता है कि उसने अपनी सिगरिटें पीं कि उनके धुयें की वजह से उसकी जान चली गई। कभी मालूम होता है कि होटल की बदइन्तजामी से ऐसा हुआ। मैं ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर से और डाइरेक्टर जनरल आफ टूरिज्म से दरखास्त करूंगा कि इन होटलों पर नजर रखी जाये। मैं यह तो नहीं चाहता कि इनका कारोबार बन्द कर दिया जाये लेकिन इन पर निगाह रखी जाये। होटलों के जो मुलाजिम हैं उनके बारे में मिनिस्ट्री आफ ट्रांस्पोर्ट पुलिस से तरख्वास्त करे कि उनकी ठीक से रिपोर्ट दी जाये कि वह इन होटलों में काम करने के काबिल हैं या नहीं।

मैं यह भी चाहता हूं कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जितने बाडीज़ हैं उनमें आफिशियल्स को ज्यादा नुमायन्दगी न दी जाये, नान आफिशियल्स को ज्यादा कानफिडेंस में लिया जाये।

इसके अलावा काश्मीर के लिये टूरिस्ट ट्रेफिक के मुताल्लिक मैं एक बात आपके नोटिस में लाना बहुत जरूरी समझता हूं। वह यह है कि दिल्ली और काश्मीर के दरम्यान जो एक मरकजी मुकाम पठानकोट का है वहां पर एक अच्छा टूरिस्ट सेंटर बनाया जाये। वजीर साहब ने फरमाया कि जो टनेल है वह आल वैदर टनेल हैं। लेकिन उस टनेल तक पहुंचने के लिये जो सड़क है वह तो आल वैदर सड़क नहीं है। उस सड़क के टूट जाने या कट जाने से अक्सर मुसाफिर को जम्मू या पठानकोट में ही रह जाना पड़ता है। यह पठानकोट हमारे शर्मा साहब की कस्टी-ट्यूएंसी में है। वहां पर न कोई अच्छा होटल है और न ठहरने के लिये दूसरी कोई अच्छी जगह है। मैं चाहता हूं कि आप मेहरवानी फरमाकर इस मामले को पहली अहमियत दें और पठानकोट में एक आला किस्म का टूरिस्ट सेंटर बनाया जाये।

इसके आलावा मैं आपकी तवज्जह एअर लाइन की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। पहले हमारी एअर लाइन में नर्ख कम थे और खिदमात ज्यादा थीं। अब निर्ख ज्यादा हैं पर खिदमात कम हो गई हैं। पहले यह था कि किराया कम लिया जाता था पर ब्रेकफ़ास्ट अच्छा मिलता था और टाफी और सुपारी मिलती थी। लेकिन अब सिर्फ सुपारी पर ही गुजारा करना पड़ता है और टाफी और ब्रेकफास्ट गायब हो गये। मैं दरखास्त करूंगा कि अगर इनको गायब ही करना है तो आहिस्ता-आहिस्ता कीजिये एक दम न गायब कीजिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दिल्ली से काश्मीर जाने में दिल्ली के अलावा अमृतसर, पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर के हावाई अड्डे पड़ते हैं। इनमें दिल्ली और अमृतसर को छोड़ कर, पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर के अड्डे ऐसे हैं कि वहां गरमी और सरदी में ठहरने के लिये कोई जगह नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि किस तरह आदमी श्रीनगर के

एअरपोर्ट पर वक्त गुजारते होंगे। इस बारे में कभी कहा जाता है कि यह डिफ़ेंस का मामला है, कभी कहा जाता है कि सिविल एवियेशन वाले नहीं मानते। मैं कहता हूं कि कोई न माने पर आप तो मान जाइये, मैं चाहता हूं कि कोई बेहतरीन कदम उठाकर इस मामले को तै किया जाये।

मैं एक चीज़ श्री राज बहादुर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह टूरिज्म को एक अवाम की चीज़ बनायें। मैं पाटिल साहब से भी यह दरखास्त करूंगा कि टूरिज्म लोगों की चीज है, अवाम की चीज है और इस चीज को हम हिन्दुस्तान के रहने वालों के लिये निहायत जरूरी करार देना चाहिये। हमको रास्ते बेहतर बनाने चाहिये ताकि लोगों को ज्यादा सहूलियत हो। इसमें हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है। हमारे यहां तारीखी मुकामात हैं जैसे ताज है, फतेहपुर सीकरी है, बनारस है, यहां पर कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम रखे जायें। पिछली मर्तबा हमने फतेह पुर सीकरी में एक जलसे का प्रोग्राम करना चाहा तो दूसरी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐतराज किया गया। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक ही हकूमत की सारी मिनिस्ट्री हैं तो फिर इस तरह का ऐतराज क्यों किया जाता है। ऐसा मालूम होता है कि हर फर्द यह समझता है कि यह मेरी मिनिस्ट्री है और यह दूसरी मिनिस्ट्री से अलाहिदा है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि साल में दस दफा फतेहपुर सीकरी में उर्स होता है, लाखों आदमी वहां जाते हैं, ताज में लाखों आदमी जाते हैं, लाल किले में हम कितने जलसे करते हैं और रिसेप्शन करते हैं उनमें लाखों आदमी आते हैं लेकिन उस वक्त ये मानूमेंट खराब नहीं होते लेकिन जब हम हिन्दुस्तान के लोगों को करीब लाने के लिये कोई ऐक्शन करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि मानूमेंट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म कर दें।

श्री अ० मु० तारिक : हजूरेवाला, मेरी एक दरख्वास्त है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : एक और मेम्बर साहब ने भी बाहर जाना है।

श्री अ० मु० तारिक : मेरी दरख्वास्त सुन लीजिये। हजूर की सदारत में मैं छः दफ़ा इस ऐवान को खताव कर चुका हूं। एक दफ़ा भी जनाव को घंटी बजाने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ी। आज मुझे दो मिनिट दे दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस में एतराज न होता, लेकिन एक और मेम्बर साहब ने भी बाहर चले जाना है और उन को भी वक्त देना है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं।

मेरी दरख्वास्त यह है कि इस मामले पर खास तौर पर तवज्जह दें कि बाहर के लोगों के अलावा हिन्दुस्तान के लोगों पर भी पूरा ध्यान दिया जाये और उन को हर तरह की सहूलियतें मुहैया की जायें।

इस के बाद मैं पब्लिसिटी के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। पब्लिसिटी के मायने ये हैं कि लोगों को हिन्दुस्तान के बारे में ज्यादा से ज्यादा इल्म हो। हमारे यहां बाहर के मुल्कों से जितने विज़िटर आते हैं उन को बाहर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को भेजने के लिये सस्ते दामों पर कार्ड मुहैया किये जायें, जिन पर हिन्दुस्तान की खूबसूरती के फोटो हों। यह तो हम करते नहीं हैं और बहाना यह करते हैं कि इस पर दाम ज्यादा लगते हैं। लेकिन जनाबे वाला

[श्री अ० मु० तारिक]

मेरे पास एक शीफ़र्ज कलम है एयर इंडिया इन्टरनेशनल वालों की। इस किस्म की कीमती कलम, जिस की किमत तीस, चालीस रुपये होती है, एक आदमी को हम दे सकते हैं और वह आदमी उस कलम को अपनी जेब में रख सकता है, लेकिन पांच छः रुपये के पोस्टकार्ड और फ़ोटो-कार्ड का सैट हम नहीं दे सकते हैं, जो कि सौ आदमियों के पास जायेंगे। उन पर लगाये जाने वाले टिकटों से हम को आमदनी होगी और साथ ही लोगों को हिन्दुस्तान के बारे में ज्यादा इल्म होगा। लेकिन यह हम नहीं कर सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इन काड्र्ज़, अल्बम और पब्लिसिटी पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दी जाय।

आखिर में मैं वज़ीर साहब और उन के महकमा टूरिज्म के डाइरेक्टर-जनरल को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस कद्र का काम किया है। मुझे फ़ख्र है कि वह वैनल-कवामी टूरिज्म के चेयरमैन हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहां ये दिक्कतें हैं और हम दुनिया के टूरिस्ट्स को किसी तरह कनविन्स नहीं कर सकते हैं। बनावे वाला, मैं आप का मशकूर हूं।

मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर जैनरल टूरिज्म पब्लिसिटी की तरफ तवज्जह देंगे।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : उपाध्यक्ष महोदय देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिये परिवहन तथा संचार की सुविकसित पद्धति आवश्यक है। परिवहन में सड़क, रेलवे, तथा उड्डयन आते हैं तथा संचार में डाक और तार आते हैं।

आरम्भ में मैं अपने राज्य मैसूर में डाक तार विभाग के एक सर्किल के गठन के बारे में कुछ कहूंगा। यद्यपि माननीय मंत्री ने सर्किल बनाने के लिये शीघ्र कोई क़दम उठाने का निर्णय किया है, परन्तु मुझे पता है कि मंत्रालय इसको छोटा सर्किल अर्थात् डाक सर्किल बनाने का ही विचार कर रहा है परन्तु मेरा निवेदन है कि पुनर्गठन के पश्चात् मैसूर एक बड़ा राज्य बन गया है इसलिये डाक तथा तार दोनों का एक बड़ा सर्किल यहां पर बनाया जाना चाहिये।

असैनिक उड्डयन के बारे में मुझे यह कहना है इसमें दो कारपोरेशन हैं:— एयर इंडिया इंटरनेशनल तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन। एयर इंडिया इंटरनेशनल तो लाभ पर काम कर रहा है परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में हानि है, तथा प्रत्येक वर्ष सरकार को १.२० करोड़ रुपये तक सहायता इस निगम को देनी पड़ती है।

हाल में ही इस निगम की जांच करने के लिये सरकार ने लागत ढांचा समिति नियुक्त की थी। समिति ने प्रतिवेदन में बताया था कि निगम की योजना तथा व्यय पर नियंत्रण ठीक नहीं है। लागत लेखा पाल संगठन (कॉस्ट एकाउन्टिग आर्गनाइज़ेशन) काम नहीं कर रहा है। श्रम पर नियंत्रण नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि प्रबन्धकों ने अधिकार श्रम को सौंप दिये हैं। प्रशासन व्यय बढ़ गया है जब कि काम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन सभी कारणों से मेरा विचार है कि निगम में पूर्णतः परिवर्तन किया जाना चाहिये जिससे सभी प्रकार की बुराइयां इस निगम से निकाली जा सकें। माननीय मंत्री को यह भी बताना चाहिये कि हमने जो डकोटा खरीदे थे वह उड्डयन योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि यह शीघ्र ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और इसलिये जनता इनमें यात्रा करने से डरने लगी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उड्डयन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ सुविधायें दी जानी चाहिये । मैंने सुना है कि इनको कोई छुट्टी नहीं दी जाती है । नगरों से दूर रहने के कारण बाजारों से चीजें खरीदने में बड़ी कठिनाई होती है। जहां पर यह लोग रहते हैं, वहां पर बाजार बनाये जाने चाहियें, आवास तथा चिकित्सा सुविधायें दी जानी चाहियें। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ।

हमारे देश में केवल तीन बड़े बन्दरगाह हैं, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता । मेरा विचार है कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि व्यापार तथा उद्योग के विकास के लिये प्रत्येक राज्य में एक बन्दरगाह हो । मैंने सरकार को कई बार बताया है कि मैसूर में मंगलौर, मालवे अथवा भटकल में बड़ा बन्दरगाह बनाया जा सकता है । परन्तु अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे ।

मेरे मित्र श्री पुन्नूस ने दूसरे शिपयार्ड की स्थापना के बारे में कुछ कहा। मेरा भी मत है कि ब्रिटिश विशेषज्ञ समिति ने जिस स्थान की सिफारिश की है उस स्थान को स्वीकार कर लेना चाहिये। यह बड़ी अजीब बात है कि अब सरकार ने सचिवों आदि एक उपसमिति नियुक्त की है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है । इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं है, परन्तु फिर भी इसे नियुक्त किया गया है। मेरा विचार है कि हमें दूसरा शिपयार्ड पश्चिमी तट पर ही बनाना चाहिये ।

नौवहन का भी अभी उचित विकास नहीं हुआ है । इसका विकास करने के लिये उचित क़दम उठाये जाने चाहिये। तटीय व्यापार को देखने पर ऐसा मालूम होता है कि तटीय स्टीमरों तथा रेलवे में समन्वय नहीं है। स्टीमरों में मुख्यत: कोयला ही ढोया जाता है। मेरा सुझाव है कि तटीय नौवहन तथा रेलों में समन्वय किया जाना चाहिये जिससे तटीय स्टीमरों की हालत ढोने के लिये माल न मिलने पर खराब न हो जाये।

टेलीफोन व्यवस्था बड़ी ही खराब है । बाहर कहीं पर टेलीफोन करने के लिये घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी कभी लाइन मिलाने को मना करना पड़ता है जिसके लिये दण्डस्वरूप हमसे सवा रुपया लिया जाता है। मेरा सुझाव है कि ट्रंक काल की नियमित पद्धति लागू की जानी चाहिये ।

आज हमारे देश में लगभग ३,४०,००० मील सड़क है । देश के आकार को देखते हुये यह बहुत थोड़ी है । मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हजारों मील सड़क इसलिये बेकार पड़ी हैं क्योंकि उसकी देखभाल ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। सरकार को इनके सुधार की ओर ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि रेलवे लाइन के समानन्तर सड़कें बनाई जानी चाहिये जिन पर राष्ट्रीयकृत बस सर्विस चले और आन्तरिक भागों में जाने के लिये गैर सरकारी बसों को छूट दी जानी चाहिये ।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों को नौवहन के योग्य बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम अगला विषय लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिनाकुरी कोयला खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा चिनाकुरी कोयला खान दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन पर, जो १६ फरवरी, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

बड़े दु:ख का विषय है कि हम इतनी बड़ी दुर्घटना की चर्चा के लिये पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं । कोयला खान इतिहास में यह दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है । यह खान बहुत बड़ी है और इसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है । इस खान से इतना अधिक उत्पादन होता है कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि इस दुर्घटना के कारण वे कोयला उत्पादन के लाभ की प्राप्ति नहीं कर सके । यह खान बंगाल कोल कम्पनी की है । इसी कंपनी के अधीन १९३६ में भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी । उस समय जांच आयोग ने यह कहा था कि मृतकों के पूरे पूरे नाम उपलब्ध नहीं हो सके हैं क्योंकि उनके नाम सम्बन्धी रजिस्टर और रेकार्ड इत्यादि ठीक से नहीं रखे गये हैं । चिनाकुरी की दुर्घटना के सम्बन्ध में भी यही हुआ है मृतकों के नाम इत्यादि न दे कर केवल यह कहा गया है कि मृतकों की कम से कम संख्या इतनी और अधिक से अधिक संख्या इतनी हो सकती है ।

हमने कभी किसी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन को चुनौती नहीं दी है । लेकिन इस सम्बन्ध में हम जांच न्यायालय के प्रतिवेदन का विरोध करते हैं क्योंकि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय तो खान मजदूरों का भविष्य निराशाजनक हो जायेगा और जो दुर्घटना के लिये उत्तरदायी हैं वे बिना दंड पाये बच निकलेंगे ।

सब से दुख की बात यह है कि खान विभाग जो कि मजदूरों के हित का साधन है उसने बहुत लापरवाही से कार्य किया है । दुर्घटना के बाद से खान को मुहर बन्द करने तक निरीक्षण विभाग का कोई अधिकारी खान के अन्दर नहीं गया । जब कि सहायक दल तथा प्रबन्धकों के कर्मचारी खान के नीचे जाते रहे । इस प्रकार उन्हें तथ्यों की तोड़ फोड़ करने का पूरा अवसर दिया गया ।

जब मजदूरों के प्रतिनिधियों ने प्रबन्धकों से यह कहा कि खानों के मुख्य निदेशक तथा उप मुख्य निरीक्षक को खानों के अन्दर आने की अनुमति दी जाय तो इस सम्बन्ध में स्वयं न्यायाधीश ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है कि चिनाकुरी खान बनने के बाद से वे कभी उसके अन्दर नहीं गये इससे उनके कर्त्तव्य की उपेक्षा स्पष्ट हो जाती है ।

प्रादेशिक खान निरीक्षक ने लिखा है कि उन्होंने मुख्य निरीक्षक को नियमों के उल्लंघन इत्यादि के बारे में लिखा था । लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं दिया गया । खान विभाग ने यह बहाना बना कर प्राथमिक जांच नहीं की कि यह कार्य जांच न्यायालय करेगा और पहिले जो जांच की गई वह प्रबन्धकों के अधिकारियों के सामने की गई । फलस्वरूप मजदूरों ने डर के मारे गढ़े गढ़ाये उत्तर दिये । खानों के मुख्य निरीक्षक ने अपने विवरण में लिखा है कि उसने एजेन्ट और मैनेजरों से जिरह की है । जब जांच के दौरान उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि पहिले भी उनसे इस सम्बन्ध में जिरह को जा चुकी है । प्रतिवेदन में इस सारे मामले को ही स्थान नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभाग के मुख्य निरीक्षक ने खान को इस आधार पर बन्द कर दिया कि सहायता दल के अन्तिम सदस्य श्री कृष्णन् ने यह कहा था कि खान के अन्दर आग लगी हुई है और वहां कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तथापि श्री कृष्णन् ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा था ।

सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि विभाग ने घायलों या मृतकों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं दिये हैं न मजदूरों की नियुक्ति उपस्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में कोई आंकड़े रखे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करने का जघन्य अपराध किया है। वस्तुतः इसके लिये मुख्यतः मुख्य खान निरीक्षक जिम्मेदार हैं, मैंने सुना है कि वह मेरे प्रति सच्ची झूठी बातें कहते हैं तथापि मैं जानती हूं कि नियम विरुद्ध होने पर भी उसके साले, बहिनोई, भाई इत्यादि विभिन्न कोयला खानों में और निकटवर्ती क्षेत्रों में नौकर हैं। जब उसके अधिकांश निकट सम्बन्धी खान मालिकों के हितों से सम्बन्धित हैं तो उसके सम्बन्ध में भ्रांति पैदा हो जाना उचित ही है ।

अब मैं नियमों के उल्लंघन करने वाली बात पर आती हूं। ये नियम सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं और बहुत सोच विचार कर बनाये गये हैं। इनके जरा से उल्लंघन से भयंकर खतरा पैदा हो सकता है। प्रतिवेदन में भी इसे गैस वाली खान कहा गया है जहां कोयले की धूल को नीचे बिठलाना होता है अन्यथा जरा सी असावधानी से भयंकर परिणाम हो सकता है। प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि खान की गैस को साफ करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई। और गैस के बाहर निकलने की पूरी व्यवस्था न हो सकने के कारण ही खान में गैस की मात्रा में वृद्धि हो गई थी। जांच न्यायाधीश ने यह कहा है कि बारूद का उपयोग करने वाले अधिकांश मजदूर अशिक्षित होते हैं। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि इन त्रुटियों को प्रबन्धकों ने दूर कर दिया है। इसलिये इस संबंध में कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबसे दुख की बात यह है कि वहां कोई हाजरी रस्टिर नहीं है जब कि खान अधिनियम के अनुसार प्रत्येक खान में पृथक् रजिस्टर रखा जाना चाहिये। हाजिरी रजिस्टर के अभाव में लेम्प रजिस्टर से ही हाजिरी रजिस्टर का काम चलाया गया। प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि यह लैम्प रजिस्टर भी इन्सपेक्टर ने ६ महीने के बाद बिना खान के अन्दर घुसे हुये दिया था। अतः हम इसे सच्चा नहीं मान सकते हैं। लैम्प रजिस्टर की संख्याओं को मृतकों का आधार माना गया है। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है इसका कारण यह है कि यद्यपि नियमों के अनुसार खान में बारूद चलाने वाले (शाट फायरिंग) खानिकों को दो लेम्प मिलने चाहिये लेकिन रजिस्टर में खान सरदारों के नाम कोई लेम्प नहीं दिखाया गया है। इसलिये लैम्प रजिस्टर के आधार पर मृतकों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। विधि के नियमों के अनुसार जनशक्ति का वितरण बताने वाला नक्शा भी प्रस्तुत किया जाना था लेकिन जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसमें पर्याप्त गोढ़गाढ़ की गई है और वह बाद में प्रस्तुत किया गया है ।

नियमों का इस प्रकार उल्लंघन होने के बाद भी इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि खान विभाग और प्रबन्धक दोनों ही इस आरोप से बच जायें।

अब मैं मृतकों की संख्या को लेती हूं। स्वयं प्रबन्धक ने यह कहा है कि पहिली शिफ्ट में ३१० व्यक्ति थे। यह भी कहा गया है कि पहली और दूसरे शिफ्ट में लगभग बराबर ही व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार यह संख्या १७६ कही गई है। तथापि जांच न्यायालय किसी ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच सका। तो उसने खान विभाग को इस संख्या को प्रमाणित करने का काम सौंप दिया। किसी को ज्ञात नहीं कि खान विभाग ने यह जांच किस प्रकार की लेकिन उसके आधार पर जांच न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

वस्तुतः स्वयं प्रबन्धकों के कथनानुसार १७८ लाशें खान के अन्दर मिली हैं और ५ व्यक्ति धरातल में मरे थे। एक अन्य नोट में प्रबन्धकों ने २३ अन्य मृतकों की संख्या दी है। इस प्रकार कुल संख्या २०६ हुई। उनमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो आग में जल गये थे या मलवे के नीचे दब गये थे। तब प्रतिवेदन में यह कहना कि मृतकों की संख्या कम से कम ११५ और ज्यादा से ज्यादा १७६ थी गलत है। मृतकों के नाम भी नहीं दिये गये हैं। यह बहुत आपत्तिजनक बात है।

इसके अलावा यह पता लगाने का कभी प्रयत्न नहीं किया गया कि मलवे के अन्दर लाशें दबी हैं या नहीं। इसके अलावा वे लाशें भी वहां से रात को उठाई गईं। इससे मजदूरों के हृदय में संदेह पैदा हो गया। मजदूरों के प्रतिनिधियों को उनके बार बार कहने के बावजूद भी खान के अन्दर नहीं जाने दिया गया। इसके अलावा न्यायालय ने तीसरे बार बारूद छोड़ने (शाट फायरिंग) के संबंध में निष्पक्ष वैज्ञानिक पर्यवेक्षक की सिफारिश नहीं मानी है। निष्पक्ष पर्यवेक्षक ने कहा था कि एक टूटी टोपी पायी गई थी लेकिन प्रबन्धकों ने यह कहा कि कोई टूटी टोपी नहीं पाई गई। जब मजदूर प्रतिनिधियों ने उन पर मशीन एक्सप्लोडर की बात दबाने का आरोप लगाया तो प्रबन्धकों ने इसे स्वीकार कर लिया और यह लिख कर भेजा कि उन्हें २७ तारीख को उक्त वस्तु मिली थी ।

अतः इस प्रतिवेदन में न्याय-शास्त्र के समस्त नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः सरकार को चाहिये कि वह इस प्रतिवेदन को अस्वीकृत कर दे। इस संबंध में पुनः जांच की जानी चाहिये, खान विभाग के अधिकारियों को बदला जाना चाहिये तथा प्रबन्धकों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के प्रस्ताव में मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है जिसके द्वारा यह मांग की गई है चिनाकुरी की कोयले की खान में जो विस्फोट हुआ उसकी फिर से जांच कराई जाय। एक जांच रिपोर्ट को इस सदन के सामने रखा जा चुका है और उसे पढ़ने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि कोर्ट ने सत्य का पूरा पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया है। इस दुर्घटना में कितने श्रमजीवी अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं, इसके संबंध में कोई भी निश्चित बात कोर्ट ने नहीं कही है। जो कुछ कहा गया है वह बड़ा अस्पष्ट है। कहीं कहा गया है कि जो मरने वाले व्यक्ति हैं, वे ११५ से कम हैं लेकिन १७६ से ज्यादा नहीं हैं और यह गणना लगाई गई है कि इस आधार पर कि इतने व्यक्तियों को केम्प लैम्प और आयल लैम्पस दिये गये, लेकिन इन लैम्पस का कोई रजिस्टर रखा गया हो और उसमें ठीक ठीक संख्या दी गई हो यह कोर्ट भी विश्वासपूर्वक नहीं कह सका है।

यह कोर्ट का निर्णय है। अब प्रश्न यह है कि मृत व्यक्तियों की संख्या का अनुमान किस तरह से लगाया गया। अभी कहा गया है कि कोई एटेंडेंस रजिस्टर नहीं था और एटेंडेंस क्लार्क भी नहीं था। माइंस सेफ्टी लाँज और रेग्यूलेशंस के अनुसार एटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिये, एटेंडेंस क्लर्क का भी होना आवश्यक है। लेकिन बंगाल कोल कम्पनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया और श्रमजीवियों के जीवन के साथ खिलवाड़ की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मृत व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जो कम्पनी के चीफ माइनिंग इंजीनियर मिस्टर रास्सर हैं उन्होंने भी दो तरह की बात कही है, दो तरह को संख्या रखी है और उनमें से कौन सी सही है, इसका पता लगाने का कोर्ट ने प्रयत्न नहीं किया है। जो मजदूरों के प्रतिनिधि थे उन्होंने यह प्रश्न खड़ा किया था कि जब विस्फोट के बाद खान को पानी से भर दिया गया तो यह सम्भव है कि कुछ व्यक्ति उसमें दबे हुये रह गये हों जिन की गणना नहीं की जा सकी हो। उसमें कितने जीवित व्यक्ति समाप्त हो गये इसका भी तो अनुमान नहीं लगाया गया है। कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है पेज १३ के ऊपर कि संभव है सारी लाशें न मिली हों कुछ मलबे से दब गई हों और कुछ इस प्रकार कुचल गई हों कि पहिचानने में न आ सकें।

अभी कहा गया है कि माइनिंग मैनेजर ने इस बात को स्वीकार किया है कि पहली पाली में ३१० लोग काम करने के लिये गये। अब प्रश्न यह है कि जो बाद की पालियां थी उनमें यह संख्या इतनी कैसे घट गई जबकि इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि भिन्न भिन्न पालियों में संख्या में इतना अन्तर नहीं रहता है। दुर्घटना की जांच जो की गई है और जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके साथ मृत व्यक्तियों की कोई भी सूची नहीं है और कितने व्यक्ति मरे इसकी भी कोई वेरि-फिकेशन पैरेड दुर्घटना के एक दम बाद नहीं की गई है। पांच महीने के बाद यह पैरेड की गई है। ऐसी सूरत में सत्य का पता नहीं लग सकता है।

एक और बात ध्यान देने की है कि जो गोर माली का एविडेंस है उसको वैस्ट साइड से बहोशी की अवस्था में ऊपर निकाला गया था और उसने अपने बयान में इस बात को कहा है कि विस्फोट की रात को आठ बजे दुर्घटना से एक घंटा पहले माइनिंग सरदार जीव लाल ने जिनकी मृत्यु हो गई इस दुर्घटना में इस बात को स्वीकार किया था कि जीरो डिप के ऊपर बहुत गैस भरी हुई है और उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने वहां काम करने से इन्कार कर दिया था और वे ऊपर चले गये थे। अब सवाल यह है कि एक पाली के मजदूरों ने जब काम करने से इन्कार कर दिया, काम नहीं किया तो फिर जो खान के प्रबन्धकर्ता थे उन्होंने दूसरी पाली के मजदूरों को क्यों भेजा? स्पष्ट है कि उन्होंने मजदूरों के जीवन की चिन्ता नहीं की और इस कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने इस बात का पता नहीं लगाया कि गौर माली का जो बयान है वह कहां तक सही है और मैनेजमेंट से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मांगा कि जब वहां गैस होने की बात कही गई थी तो बाद में दूसरी पाली के मजदूरों को काम करने के लिये क्यों भेजा गया?

जहां तक दुर्घटना के कारणों का प्रश्न है, कोर्ट आफ इन्क्वायरी किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंची है। डीजल लोको का फ्लेम ट्रेप नहीं था, इसके बारे में भी रिपोर्ट में थोड़ी सी चर्चा है। अगर वह डीजल लोको का फ्लेम ट्रेप नहीं था तो उसका उत्तरदायित्व किस के ऊपर है। मगर कोर्ट ने कहा है कि फ्लेम ट्रेप को अन्दर ले जाते समय किसी व्यक्ति ने गलती की, जिससे इतने धन और जन की हानि हुई।

इसका क्या मतलब है? यह कोर्ट बिठाया गया था इस बात का निर्णय करने के लिये कि इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी कौन है लेकिन कोर्ट ने यह नहीं किया और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है जिसमें से ध्वनि निकलती है कि जो व्यक्ति मर गये वह भी मनेजमेंट का एक नुकसान था, उसकी क्षति थी कि बंगाल कोल कम्पनी के व्यक्ति मर गये। बंगाल कोल कम्पनी का कोई व्यक्ति नहीं मरा, मरे तो मजदूर जिनका वे शोषण करते हैं और वे मजदूर जो अपने घरबार छोड़ कर, सैकड़ों मील दूर जाकर धरती की छाती फाड़ कर, परिश्रम करके अपने तथा अपने बाल-बच्चों के पेट भरते हैं। उनके इस प्रकार से मरने के लिये, उनकी इस प्रकार की हत्या के लिये कौन उत्तरदायी है, इसका निर्णय इस कोर्ट को करना था।

[श्री वाजपेयी]

जहां तक डीजल लोको के फ्लेम ट्रैप का सवाल है, जज महोदय के समक्ष मजदूरों ने यह मांग की थी, और यह मांग ठीक है, कि इस प्रकार की खानों की जांच के लिए वर्कर्स इन्स्पेक्टर नियुक्त होना चाहिए। लेकिन मुझे रिपोर्ट में पढ़ कर ताज्जुब हुआ कि जज महोदय ने इस बात को भी नहीं माना है। कहा कि यह बात तो ठीक है, लेकिन व्यावहारिक नहीं क्योंकि मजदूरों में एकता नहीं है। मजदूरों में एकता कहां से होगी जब आप मजदूरों में फूट डालना चाहते हैं ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): कौन डालता है?

श्री वाजपेयी : अगर किसी मजदूर संगठन को मजदूरों का बहुमत प्राप्त है तो हमें उस को मान्यता देनी चाहिए, और जो अल्पमत में मजदूर संगठन हों उन्हें बीच में बाधा डालने का कारण नहीं बनने देना चाहए। लेकिन यह लोकतंत्री देश है, अनेक मजदूर संगठन काम करेंगे। पर मजदूर संगठनों की संख्या अधिक है इसलिए खानों की जांच के लिए वर्कर्स इन्स्पेक्टर नियुक्त न किया जाय, यह बड़े ताज्जुब की बात है। मैं समझता हूं कि कोर्ट के सामने वर्कर्स ने और भी जो आपत्तियां खड़ी कीं, जैसे कि रेस्क्यू पार्टी जल्दी नहीं भेजी गई और पानी भरता गया, उन का कोर्ट ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया और उनकी रिपोर्ट को पढ़ कर बड़ी निराशा हुई है। अगर कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन की रक्षा हम नहीं कर सकते तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी ।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा, कि इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और नई जांच की जानी चाहिए। साथ ही हमें ऐसा स्थायी प्रबन्ध करना चाहिए जिससे चिनाकुरी कोयला खान दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन की सुरक्षा की गारंटी दी जा सके।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : खान के अन्दर श्रमिकों की सुरक्षा का दायित्व प्रबन्धकों का है इसके लिए उन्हें तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि खान के अन्दर श्रमिक घायल हो जाते हैं बड़ी बड़ी दुर्घटनायें हो जाती हैं। इस दुर्घटना के पहिले भी दो तीन दुर्घटनायें हो चुकी हैं और इस दुर्घटना में मृत्यु संख्या १७५ के लगभग है। इसके पूर्व भी मैसूर में एक खान में दुर्घटना हो चुकी है। वह खान भी ब्रिटिश प्रबन्धकों के अन्तर्गत थी।

अब मैं इसकी जांच को लेता हूं। यह जांच एक उच्चन्यायालय के न्यायाधीश ने कुछ निर्धारकों (एसेसरों) व वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों की सहायता से की थी। इस जांच में कई महीनों का समय लगाया और इसके लिए कई बातों की जांच विस्तार से की गई थी तथापि यहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जांच उचित तरीके से नहीं की गई, उचित साक्षियों को नहीं बुलाया गया और खान विभाग ने सही तथ्यों को प्रगट नहीं किया इत्यादि। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

मुख्य आरोप यह लगाये गये हैं कि कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं रखा गया था। तथा वायु के अन्दर जाने व बाहर आने का प्रबन्ध ठीक नहीं था तथा एक धमाका हुआ इत्यादि। निस्संदेह यदि ये अनियमिततायें हुई थीं या लापरवाही की गई तो प्रबन्धकों को दंड दिया जायेगा तब यह कहना कहां तक उचित है कि हम खान मालिकों से जो एक ब्रिटिश फर्म है, मिल गये हैं। जब हम अंग्रेजों को भारत से निकाल सकते हैं तो क्या हम इस दुर्घटना के लिए उन पर कोई उचित कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है कि वहां १७६ व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हुई थी अपितु २१० या ३१० व्यक्ति मरे हैं। प्रतिवेदन को पढ़ कर मैं इस निकर्श पर पहुंचा हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस बात का सही-सही निर्णय करना बहुत कठिन है। जहां तक मेरी जानकारी है खान मालिकों को प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करवाना होता है। ऐसी अवस्था में बीमा कम्पनी को रुपया चुकाना पड़ेगा। तब भला भारत सरकार को मृतकों की संख्या कम करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है। फिर मेरे विचार से एसे किसी व्यक्ति के सम्बन्धी भी अपने सम्बन्धी की मृत्यु के लिए प्रतिकर इत्यादि मांगने भी नहीं आये।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि विरोधी पक्ष ने जो आरोप लगाये हैं वे निराधार और अनियमित हैं। अतः जब एक बार पूरी तरह जांच हो चुकी है तो दूसरी बार जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : इस दुर्घटना से हम सभी को बहुत दुःख हुआ था। तथापि जब माननीय श्रम मंत्री ने उसके कारणों की जांच करने के लिए जांच न्यायालय बिठाया तो हम सभी को बहुत संतोष हुआ। जांच न्यायालय के अध्यक्ष उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश थे। लेकिन प्रतिवेदन पढ़ने से हमें गहरी निराशा हुई। क्योंकि यह एक भ्रांतिपूर्ण और ऊलजलूल किस्म का प्रतिवेदन है।

मृतकों की संख्या चाहे कुछ भी रही हो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खान में उन नियमों की नितांत अवहेलना की गई जो सुरक्षा से सम्बन्ध रखते थे।

प्रतिवदन के अनुसार खान में स्टोन डस्टिंग प्लांट (खान में कोयले की धूल साफ करने वाले संयंत्र) काम नहीं कर रहा था। और विस्फोट होने के दिन तक स्टोन डस्टिंग की कोई योजना मंजूरी के लिए नहीं भेजी गई।

वायु को अन्दर भेजने और बाहर निकालने वाला यंत्र भी नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था। इस प्रकार तत्सम्बंधी नियमों का उल्लंघन किया गया।

दूसरी शिफ्ट में मजदूरों का वितरण दिखाने वाला विवरण भी सही नहीं था। इसी प्रकार बिजली योजना सम्बन्धी नकंशा, वायु भाप नकशा तथा विस्फोटक पदार्थ नक्शे इत्यादि में ठीक से खानापूरी नहीं की गई थी।

प्रस्तावक महोदया ने खान विभाग के मुख्य इंजीनियर के विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं। मैं ने भी जब श्रमिकों के नेताओं से बातचीत की तो मुझे उस व्यक्ति के प्रति सामान्य असंतोष की शिकायत प्राप्त हुई। अतः माननीय मंत्री को चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में जांच करें यदि उनके विरुद्ध प्रमाण सही ज्ञात हों तो तत्काल उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

मुख्य इंजीनियर ने विस्फोट के तत्काल पश्चात् इस कम्पनी के प्रबन्ध की प्रशंसा की जबकि तथ्य यह है कि वे वहां विस्फोट के दिन तक कभी नहीं गये थे।

जब सहायता कार्य चल रहा था उस समय भी खान विभाग के पास पर्याप्त सहायता उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इससे भी उनकी लापरवाही स्पष्ट होती है। विस्फोट के बाद जो जांच की गई उसके तथ्य भी जानबूझ कर जांच न्यायालय से छिपाये गये जिससे सच्ची बातों पर प्रकाश न पड़े। जब खान का पानी निकाला जा रहा था उस समय मजदूर संगठन के नेताओं को वहां नहीं जाने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजेन्द्र सिंह]

दिया गया। तथा जो मजदूर दुर्घटना के समय घटनास्थल पर थे उन्हें जांच न्यायालय में गवाही देने से रोक दिया गया। अतः मैं मानवता के नाम पर माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस दुर्घटना की पुनः जांच करवायें। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि कोयला खान मजदूर नियुक्ति संगठन को तोड़ दिया जाय। क्योंकि ऐसे संगठन का अस्तित्व ही समाजवादी प्रकार के समाज के युग में एक लज्जाजनक बात है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें खान उद्योग में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यह सब से जोखिम का काम है। खानों में सावधानी के बारे में बनाये गये सभी नियमों तथा विनियमों का बड़ी कठोरता से पालन होना चाहिए।

मेरे कुछ मित्रों ने जांच समिति का निर्देश किया है। यह समिति कोयला खान अधिनियम की धारा २४ के अनुसार नियुक्त की गई थी। इस में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। उन्होंने कुछ असेसर नियुक्त किये थे। कुछ लोगों को एक असेसर श्री गरेवल जो कि खानों के मुख्य निरीक्षक हैं की नियुक्ति पर आपत्ति थी। इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। इस समिति के एक सदस्य श्री सामन्त भी हैं। इस समिति ने प्रबन्धकों के विरुद्ध छः बातें कही हैं। एक बात यह है कि कोयले की धूलि को ठीक तरह से साफ़ नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने धमाके के कारण, खान में पानी भर जाने के कारण, और प्रबन्धकों की लापरवाही के बारे में भी अनेक बातें कही हैं। समिति ने यह भी बताया है कि खान में वायु के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उसने मज़दूरों को निकालने के कार्य का भी ज़िक्र किया है। इतना सब कुछ होते हुए हमारे कुछ मित्रों का कहना है कि यह जांच ठीक नहीं हुई। इसमें घटनाओं पर नया प्रकाश नहीं पड़ता। यह एक पक्षपातपूर्ण जांच है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके पास इस सब साक्ष्य को रद्द करने का क्या आधार है ? क्या आप यह समझते हैं कि ऐसा करने से भविष्य में कोई भी न्यायाधीश ऐसे मामलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा ? जब तक सरकार के पास कोई नया आधार नहीं आता उसे इस समिति की रिपोर्ट को कदाचित् रद्द नहीं करना चाहिए। मुझे इस दुर्घटना में ग्रस्त लोगों से पूरी सहानुभूति है। हमें ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खानों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी सभी नियमों का कठोरता से पालन कराना चाहिए।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मुझे इस दुर्घटना में ग्रस्त लोगों की संख्या के बारे में एक भ्रान्ति को दूर करना है। इस संबंध में मैं पहले भी बता चुका हूं। कुछ लोगों के मन में इस प्लान को पढ़ कर भ्रान्ति हो गई है। वे एक ही आंकड़े को दो जगह पर दिये जाने के कारण उसे दो बार पढ़ गये हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं दुर्घटना में कुल १७६ व्यक्ति मरे हैं। इनमें से दो या तीन व्यक्तियों का कोई संबंधी नहीं आया है। शेष लोगों के संबंधी मुआवज़ा ले चुके हैं। मैं नहीं समझता इन १७६ व्यक्तियों के अतिरिक्त इस दुर्घटना में और लोगों की मृत्यु हुई है। यदि इनमें से किसी व्यक्ति के संबंधी को प्रतिकर नहीं मिला तो हम अब भी तैयार हैं। आज इस दुर्घटना को हुए १ वर्ष हो चुका है। हमारे पास अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने यह कहा हो कि मैं अमुक व्यक्ति का संबंधी हूं जो इस दुर्घटना में मर गया था तथा मुझे अभी तक कोई प्रतिकर नहीं मिला अथवा मुझे अपने संबंधी की कोई खबर नहीं मिली है। क्या वह मर गया है आदि ? इस लिए मैं समझता हूं रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गये हैं हमें उनको सही तथा सत्य मानना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह कही गई है कि आग के कारण खान निरीक्षक भीतर नहीं जा सका। किन्तु रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लोगों को बाहर निकालने वाला दल इस दुर्घटना के पश्चात् खान के भीतर गया था। मैं इस बात को सत्य मानता हूं कि ये लोग भीतर गये थे किन्तु जब ये लोग बाहर आये तब खान में आग बढ़ रही थी और तब हमने खान को बंद (सील) कर दिया और हमने वहां पर पानी भर दिया। मैं ने १८ फरवरी को खानों के मुख्य निरीक्षक के बारे में यह कहा था कि यदि खान विभाग का कोई भी व्यक्ति श्री गरेवल से संबंधित हुआ और उसकी नियुक्ति सरकार की अनुमति के बिना हुई होगी तो सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। किन्तु हमारे पास अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि खानों के मुख्य निरीक्षक का पुत्र उस खान में नौकर था। यह बात सर्वथा गलत है। यदि कोई सदस्य ऐसा समझते हैं तो वह हमें उसका नाम लिख कर दें। और बतावें कि वह किस खान में है। हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। उनका कोई लड़का वहां नहीं नौकर है। उनके दो संबंधी अवश्य किन्हीं खानों में काम करते हैं किन्तु इस खान में नहीं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति एक सरकारी विभाग में अधिकारी हो तो उसका कोई संबंधी उसके निकट के किसी विभाग में काम नहीं कर सकता। यदि विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य इस विषय को मेरे ध्यान में ला सकता हो कि उनका लड़का उस खान में था तो मैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने को तैयार हूं। सदस्यों को किसी पर निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। उन्हें वास्तविक तथ्य के आधार पर ही कोई बात कहनी चाहिए।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरे पास श्री गरेवल के बारे में कुछ विशेष जानकारी है। श्री गरेवाल खानों के मुख्य निरीक्षक होने के अतिरिक्त भारतीय खान प्रबन्धक एसोसियेशन के भी सदस्य हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि एक सरकारी व्यक्ति कैसे इस संस्था का सदस्य बन सकता है? इस संस्था को सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी बनाये गये नियमों का पालन करना नितान्त कठिन तथा व्यवहारिक प्रतीत होता है जैसा कि संस्था के ११-२-५९ को श्रम उपमंत्री को लिखे गये इस पत्र से प्रकट होता है जो कि यहां मेरे पास है।

इस दुर्घटना में मरे हुए व्यक्तियों की सही संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। क्योंकि खान के प्रबन्धकों ने जान बूझ कर मृतक व्यक्तियों की लाशें छुपाने का प्रयास किया है। उन्होंने वहां पर उस समय काम करने वालों का कोई रजिस्टर नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में जब कि प्रबन्धक सब लोगों को सही सूचना देने से उसे धमका रहे हैं सच्ची जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? मेरे पास इस एसोसियेशन द्वारा लिखे गये धमकी आमेज़ पत्रों को सही प्रतिलिपियां हैं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप के पास प्रतिलिपि है या मूल प्रति?

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस का मूल भी मिल सकता है।
आप पड़ताल कर सकते हैं?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं जानना चाहता हूं कि आप के पास कौन सी प्रति है?

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह एक साइकलोस्टाईल्ड प्रति है जिस पर ऐसोसियेशन के कार्यकारी अवैतनिक सचिव आइ० एम० सामन्त के हस्ताक्षर हैं। मैं श्री गरेवाल को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए हज़ारों प्रतियां दे सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को ऐसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के बारे में आवेश में आकर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की इस मांग का पूरा समर्थन करता हूं कि यह रिपोर्ट रद्द कर दी जानी चाहिए । नये जांच समिति के नियुक्ति से खान के मज़दूरों में आशा और विश्वास की भावना उत्पन्न हो जायेगी और वहां के वातावरण की कटुता भी समाप्त हो जायेगी ।

सब से अच्छा तो यह होगा कि हम अब इस अंग्रेज़ी खान का राष्ट्रीयकरण ही कर लें ।

अन्त में मैं यह अनुरोध करूंगा कि श्री गरेवाल के आचरण के बारे में पृथक् जांच की जाय और यदि उन पर लगाये गये आरोप सत्य सिद्ध हों तो उन्हें तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाय ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : श्रीमान्, मेरा इस जांच समिति से सम्बन्ध रहा है । इस लिये मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं इसकें बारे में अपने मित्रों के दिल में पैदा हो गई भ्रान्ति को दूर करने का प्रयास करूं । यह दुर्घटना के कारणों तथा तथ्यों की जांच करने के लिए एक औपचारिक जांच थी । माननीय न्यायाधीश ने इस प्रकार की समिति जांच की कठिनाइयों का रिपोर्ट में स्वयं उल्लेख किया है । क्या आप को विश्वास हो सकता है कि खान के पूर्वी पार्श्व में जहां विस्फोट हुआ था और जहां आग लगी थी उस तरफ़ से एक भी व्यक्ति नहीं बाहर आ सका ? यदि यह बात सच है तो फिर कौन गवाही दे सकेगा कि कैसे आग लगी ? कैसे धमाका हुआ ?

जहां तक मृतक लोगों की संख्या का प्रश्न है ठीक संख्या तो केवल भगवान ही जान सकता है । हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते । प्रालेखों तथा तत्कालीन बाह्य साक्ष्य से हम केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाये हैं कि यह संख्या ११५ से कम और १७५ से अधिक नहीं हो सकती । इस संबंध में हमने परिशिष्ट २ में पानी भरने से पहले तथा बाद के उन सभी प्रलेखों का वर्णन कर दिया है जो कि हमने देखे हैं । परिशिष्ट २–क (९ डिप एरिया) में बताया गया है कि २१ लाशों खोपड़ी सहित, १ खोपड़ी, १ धड़ मिला है और ९ ईस्ट डिप में ६ और सिर सहित धड़ मिले हैं । जब यह परिशिष्ट तैयार किया गया उस समय ९ ईस्ट डिप क्षेत्र में अभी पानी भरने का काम पूरा नहीं हुआ था । श्री आबिद अली ने जो यह कहा है कि यह आंकड़े प्लान में दो बार शामिल हो गये हैं और मृतकों की संख्या किसी भी अवस्था में १७६ से अधिक नहीं है यह बात सर्वथा ठीक है । जहां तक उपस्थिति रजिस्टर तथा लेम्प रजिस्टर का प्रश्न है इनके स्थान पर हमें एक संयुक्त रजिस्टर दिखाया गया । हमें यह बताया गया कि जब से यह खान बनी है तब से सभी लेम्प एक बड़े कमरे में रख दिये जाते हैं उसी को लोग लेम्प रूम कहते हैं । इसके लिये कोई पृथक रजिस्टर नहीं है । जांच समिति को इस प्रकार के संयुक्त रजिस्टर के औचित्य के बारे में कुछ नहीं कहना था । यह कार्य प्रशासन का है कि वह देखे कि क्या ऐसी पद्धति ठीक है अथवा नहीं ।

हमने खान में एक और बात देखी । यह लेम्प एक खूंटी पर टंगे रहते हैं । जब कोई कर्मचारी लेम्प लेता या लौटाता है तो उसे टोकन नम्बर दर्ज करना पड़ता है । हमें इस प्रकार के रजिस्टर को एक प्रकार का उपस्थिति रजिस्टर ही मान सकते हैं क्योंकि इससे साफ़ पता चल जाता है कि कितने लोग काम पर अन्दर गये हुए हैं । हमने इससे ही अनुमान लगाया कि कितने व्यक्ति अन्दर थे और कितने मरे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ लोगों ने यह आपत्ति की है कि मज़दूरों के प्रतिनिधियों को अन्दर नहीं जाने दिया गया। श्रीमान समिति ने यह फैसला किया था कि जब खान से पानी निकाला जाय तब समिति का एक सदस्य वहां खड़ा रहे। सर्वसम्मति से निश्चय होने के कारण कर्मचारियों का प्रतिनिधि नहीं नियुक्त किया जा सका।

रीजनल इंस्पेक्टर आफ़ माइन्स ने वहां पर पत्थर की धूलि में भी कुछ खराबियां पाई हैं। उसने मौके पर तथा फौरन उन सब को नोट किया है। उन सब त्रुटियों को दूर कर दिया गया। परन्तु एक महीने पश्चात् एक अन्य स्थान के निकट यही त्रुटियां पाई गयीं। इस के लिये प्रबन्धकों को दंड नहीं दिया जा सका क्यों कि यह त्रुटि बहुत थोड़े क्षेत्र तक सीमित थी।

मेरे मित्रों को आग लगाने के कारणों पर बड़ा सन्देह है। समिति ने इन पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। हम ने सभी निकटवर्ती साक्ष्य का तथा सभी संभाव्य कारणों का ध्यान रखा है किन्तु हमें इसके दो ही कारण दिखाई दिये। और ये कारण ऐसे थे कि इनके लिये हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते थे।

सरकार तथा खान विभाग इन कारणों पर विचार करके ऐसी त्राटियों को दूर करने का उपाय सोच सकता है मुझे इस संबंध में इस से ज्यादा और कुछ नहीं कहना है।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं प्रस्तावक की इस बात से पूर्णतः सहमत हुं कि यह घटना देश के खान-इतिहास की एक महान् दुखद घटना है। चूंकि इसमें बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हुई अतः यह हमारे लिए एक चुनौती है। यह तो ठीक है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा जिन परिवारों को क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती किंतु उनके प्रति इतना अवश्य है कि हम यह मालूम करें कि किसकी भूल के परिणामस्वरूप यह सब कुछ हुआ है और इसके उत्तरदायी व्यक्तियों को उपयुक्त दण्ड मिल सके।

दूसरे ऐसी आवश्यक कार्यवाही भी की जाये जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यही कारण था कि हमने इसके लिये एक जांच अदालत बैठाई और इसके लिये बंगाल न्यायालय के एक न्यायाधीश को चुना।

हमारे सामने आज उसका प्रतिवेदन है। सामान्यतः तो इस अदालत के निर्णय और सिफारिशों के अनुसार कार्य करना चाहिये। लेकिन हम से जब यह कहा गया कि इसकी चर्चा यहां सभा में होनी चाहिये तो उस समय हम यह कह सकते थे कि हमने एक जांच अदालत बनाई थी जिससे संसद् सदस्य और बहुत ही योग्य विशेषज्ञ थे वे इस अदालत के निर्णयों से सहमत हो गये हैं; और इस अदालत ने बहुत से प्रविधिक व्यक्तियों और खदान विशेषज्ञों से परामर्श किया है और उसके बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं तो क्या फिर से उसकी यहां चर्चा होगी ? दूसरे विधि के अनुसार पुनर्जांच करने की व्यवस्था का कोई उपबन्ध नहीं है। इस मामले को इन बातों के आधार पर मैं समाप्त कर सकता था किन्तु मैंने उस रास्ते को नहीं अपनाया। जिस प्रकार की भावनाओं और अभिव्यक्तियों का यहां प्रदर्शन किया गया है उनको देखते हुए मैंने यही ठीक समझा कि मैं इस मामले की जांच करूं और ये धारणाएं तथा भावनाएं किन्हीं गलत आधार पर आधारित हैं तो मैं उन्हें दूर करूं। अतः ऐसी स्थिति में मैंने यह रवैया अपनाया।

मैंने इस प्रतिवेदन को आद्योपांत पड़ा है और जितना मैंने इसे पढ़ा उतना ही है इसमें उलझता गया। तथा पढ़ने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो आरोप लगाये गये हैं उनमें से कुछ के बारे में अवश्य ही कुछ गल्तियां हैं। और मैं समझता हूं कि यही धारणा उन लोगों की भी होगी जिन्होंने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

इस प्रतिवेदन को पढ़ा है । जब मैं इस प्रतिवेदन को पढ़ रहा था तो मैंने इन जटिल प्रश्नों को समझने का प्रयत्न किया । मैं कहूंगा कि कुछ आरोप सही हैं और कुछ गलत हैं ।

ये आरोप मुख्य निरीक्षक उनके निरीक्षालय के बारे में हैं अथवा श्री आबिद अली को इस सम्बन्ध में कुछ पत्र लिखे हैं, इन सब के बारे में तो यही कह सकता हूं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अवश्य ही इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे । लेकिन इस जांच अदालत के सामने प्रश्न यह था कि इस दुर्घटना का कारण क्या था क्या यह दुर्घटना ऐसे कारण से अथवा ऐसी परिस्थिति में हुई जो वहां के प्रबन्धकों के नियन्त्रण से बाहर की बात थी अथवा किसी अन्य प्रकार की भूल के परिणामस्वरूप हुई । क्या वे मृत्यु जो इस दुर्घटना के फलस्वरूप हुई रोकी जा सकती थी ?

यहां जो कुछ भी कहा गया है उनमें से कोई बात ऐसी नहीं है जो इन कारणों पर प्रकाश डालती हो । प्रबन्धक मण्डल के विरुद्ध गम्भीरता आरोप लगाये गये हैं । ये आरोप कोई नये आरोप नहीं हैं । अदालत ने भी उन आरोपों का उल्लेख किया है । बहुत सी कमियों का उल्लेख किया गया है । यदि आप प्रतिवेदन का पृष्ठ ५४ देखें तो आपको इसके बारे में पता चल जायेगा ।

जिन कमियों का यहां उल्लेख किया गया है तथा बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी टिप्पणियों में मुझे बताया हे उन सभी बातों का अदालत ने भी अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है । प्रबन्ध-मण्डल की बहुत सी बुराइयों का उल्लेख किया गया है ।

किन्तु अब यह प्रश्न उठता है कि इन सब के बारे में क्या किया जाये । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन सब बातों का इस घटना पर कहां तक प्रभाव पड़ता है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां रजिस्टर नहीं रखा गया यह नियम का उल्लंघन था—ठीक है । यदि यह नियम का उल्लंघन है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच की जायेगी । और यदि कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो प्रबन्ध-मण्डल के विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी ।

विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनों में कहा गया है कि जब वहां गैस की मात्रा काफ़ी हो गई तो नियमों का पूरा-पूरा पालन नहीं किया गया व्यक्तियों को वहां से वापस बुला लिया गया । यह सब बात ठीक है । अदालत को इस सम्बन्धी सभी अनियमित बातों के बारे में देखना था ।

अब मेरी समझ में यह आ रहा है कि इन खदानों में क्या हो रहा है और उस समय क्या हुआ था। वहां निरीक्षक जाता है और सभी बातों को अच्छी तरह देखता है। उन्होंने इस खदान का भी निरीक्षण किया उन्होंने छोटी से छोटी बातों का उल्लेख किया और उन्हें बताया । निरीक्षकों ने देखा कि वहां काफ़ी मात्रा में गैस जमा है । उसकी बढ़ती हुई मात्रा का प्रतिशत हिसाब लिख लिया गया । यदि आप वज्ञानिक पहलु लें तो विस्फोट होने तक उसकी मात्रा ५ प्रतिशत हो जानी चाहिये किन्तु यहां इसकी मात्रा कम थी । किन्तु फिर भी काफी सावधानी से काम लिया गया । इसी कारण व्यक्तियों को वापस बुला लिया गया । अत: इन को वापस बुलाने के बारे में जो तर्क किया गया है वह सुसंगत नहीं है । हम इन सावधानी और देखभाल को जारी रखना चाहते हैं । कोई घटना होने से पूर्व ही हम व्यक्तियों को वापस बुला लेना चाहते हैं ।

जहां तक कि प्रबन्धक-मण्डल के विरुद्ध आरोपों का प्रश्न है हम उनकी गुणिता के आधार पर स्वतन्त्र रूप से उनकी जांच करेंगे और उपयुक्त रजिस्टर रखने का प्रयत्न करेंगे । मैंने रजिस्टरों को देखा है उनकी प्रविष्टियां देखी हैं मैं उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने मूल रिकार्डों को देखा है मैं उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं देखता हुं कि यहां कुछ भ्रान्ति है । कर्मचारियों की संख्या जो हर महीने अथवा विभिन्न

दिनों में दिखाई गई है वह एक नहीं है। बदलती रही है। यहां तक प्रत्येक पारी की संख्या भी विभिन्न है। कई दिनों में पहली पारी में मजदूरों की संख्या २४५, २५९, और २६६ रही जबकि दूसरी पारी मे उनकी संख्या केवल ११७, १२९ और ११५ थी इससे यह बुनियादी बात स्पष्ट हो जाती है कि पहली पारी, दूसरी पारी और तीसरी पारी में मजदूरों की संख्या में काफ़ी अन्तर रहता था। वास्तव में माननीय सदस्य को यह भ्रान्ति हुई है कि मज़दूरों की संख्या में थोड़ा सा ही अन्तर रहता था उन्होंने इसका यह अर्थ लगाया है कि यदि पहली पारी नें २१५, २४५ या २६० मज़दूर जाते थे तो दूसरी पारी में मज़दूरों की संख्या २५० या २६० के लगभग होनी चाहिये थी।

वस्तुतः बात यह है कि माननीय सदस्य को यह भ्रान्ति थी कि एक ही दिन की विभिन्न पारियों में बहुत थोड़ा अन्तर रहता था जबकि प्रतिदिन की उसी (एक ही) पारी में बहुत थोड़ा अन्तर रहता था। मैं दृढ़ता के साथ यह नहीं कहता हूं कि उनकी संख्या १७६ ही थी। वास्तव में जांच न्यायालय ने कुछ विशेष स्थितियों में कार्य किया है जिनका उल्लेख श्री सामन्त कर चुके हैं। यह कहना भी सम्भव नहीं है कि लाशों की संख्या १७५ थी तो मृतकों की संख्या कम से कम ११५ क्यों मानी गई। इसके लिये कोई न कोई आधार रहा होगा। मैं दुर्घटना के अगले दिन वहां गया था। मुझे ४५ मिनटों में ही उनकी संख्या बता दी गई। खान के सारे रजिस्टर विभाग के अधिकारियों के अधिकार में थे। सब बातें लिखी गई थीं और परिवर्तन करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था। हिसाब लगाने के बाद जो संख्या मुझे बताई गई उसमें तथा इस उक्त संख्या में १ या २ का ही अन्तर था। इसलिये बाद की जांच से इसकी संख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा।

जहां तक कि मृतकों की संख्या का प्रश्न है उसमें कोई विशेष बात नहीं है। चाहे वह संख्या १७६ हो अथवा १८६ हो। किन्तु बात तो उन व्यक्तियों के १० परिवार की है जिनके मृतक शरीर प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसलिये हमें उनके बारे में पता करना चाहिये जिससे कि उनका पता लगाया जा सके और उनकी सहायता की जा सके। हमारे पास इन १७६ व्यक्तियों के नाम हैं।

रजिस्टरों के बारे में कुछ कठिनाई है। अब यह प्रश्न उठाया गया है कि वे लोग क्षतिपूर्ति के लिये क्यों नहीं आये। इसका उत्तर सीधा सादा सा है क्योंकि उसमें से बहुत से अशिक्षित व अनभिज्ञ हैं। मैंने इनके बारे में पता लगाया कि कितने व्यक्ति क्षतिपूर्ति लेने के लिये नहीं आये। सी०आर०ओ० तथा गोरखपुर का मज़दूर भी इनमें सम्मिलित थे। इनके बारे में कुछ करना चाहिये—क्या करना चाहिये इसके बारे में विचार करना है। २–३ व्यक्तियों का मामला है। कोई भी व्यक्ति इनकी सही संख्या नहीं बता सकता। यह प्रश्न उठाया गया है कि फिर से जांच की जानी चाहिये। लेकिन इसके बारे में कुछ कठिनाइयां हैं। क्या यह आवश्यक है कि फिर से जांच होनी चाहिये। एक यह आपत्ति उठाई गई थी कि जांच अदालत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। लेकिन यह बात ग़लत है। अदालत निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची है। यदि आप प्रतिवेदन के पृष्ठ ५४ तथा १२७ देखें तो आपको पता चल जायेगा। निश्चित निष्कर्षों के रूप में कुछ वक्तव्य दिये गये हैं। कुछ ऐसे भी निष्कर्ष हैं जिन के बारे में कुछ वैकल्पिक मत हो सकते हैं। वे विकल्प दे दिये गये हैं और फिर उनको इसी स्थिति में छोड़ दिया गया है। ये ही वैज्ञानिक और न्यायिक निष्कर्ष हैं। गवाही के समय लोगों ने वही कहा है जो कुछ उन्होंने देखा है। ऐसी स्थिति में अदालत सिवाय उन गवाहियों के ज्यों के त्यों लिखने के और क्या कर सकती है किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती। और ठीक भी है कि ऐसी स्थिति में कोई भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। मैंने उस व्यक्ति की गवाही भी देखी है जिसने विभिन्न बात कही हैं। उसने स्वयं कहा है कि उसके निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण होंगे। गवाहियों के आधार पर अदालत जिन निष्कर्ष पर पहुंची है उनको देखते हुए तो यह स्पष्ट है कि दुबारा जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हो सकता था वह किया गया है।

[श्री नन्दा]

यह तो हो सकता है कि इस अदालत के सभी निष्कर्षों से मैं पूर्णतः सहमत न हूं। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में मैंने कुछ विकल्प व्याख्या को स्वीकार्य किया होता। किन्तु सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए क्या यह सम्भव है, कि हम यह कहें कि इसे रद्द कर देना चाहिये क्योंकि गवाही के आधार पर तो दूसरा ही निष्कर्ष निकल सकता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि अदालत ने जो कुछ कहा है उसकी अपेक्षा कुछ और हो सकता है। गवाही के आधार पर यही कहा जा सकता है कि निष्कर्ष उन्हीं पर आधारित हैं। कुछ बातें ऐसी हों जो मुझे अच्छी न लगें।

कुछ और भी बातें हैं जिन से हम जांच के सम्बन्ध में जो संदेह किया जा रहा है वह दूर हो जाता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या जिन परिस्थितियों में यह जांच हुई है उसकी अपेक्षा कोई और बढ़िया बात हो सकती थी। मैं तो ऐसा नहीं समझ सकता कि कोई और भी अच्छी बात हो सकती थी। मैं यह पहले भी कह चुका हूं कि यहां जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में हम अवश्य ही कुछ करेंगे। फिर इस न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिए क्या रह जाता है। यह कहा गया है धमाका करने वाला भी जहां बताया गया था वहां न होकर किसी दूसरे ही स्थान पर मिला था। पानी निकलना शुरू हो गया था जिसके बारे में बाद को पता चला। जहां इसका पता चला वहां शार्ट फहटर, उसकी देखभाल करने वाला, तथा मृतक शरीर थे। अब यह प्रश्न उठता है कि जब एक्सफ्लोडर उन्हें वहां मिला तो फिर उन्होंने उसे किसी दूसरे स्थान पर ही क्यों न फैंक दिया। उसे कहीं और फैंक देते उन्हें क्या आवश्यकता थी कि इस प्रकार वे अपना अंत करते।

विस्फोट में जो भी हानि हुई अथवा क्षति पहुंची उसके बारे में वर्णन करना बहुत ही आसान है और यह आसानी से बताया भी जा सकता है कि इतने की क्षति हुई। इन सब बातों की गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी इसके विरुद्ध कहा गया है हो सकता है कि वैसा होना सम्भव हो।

एक दो और बातें हैं जिनको मैं महत्व देता हूं। कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्री लिंडन जेम्स ने कुछ प्रतिवेदन दिये हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था मैंने उनके प्रतिवेदन को बड़ी सावधानी से पढ़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन बातों का उल्लेख किया है जो वे विस्फोट का कारण समझते थे। मैं उन पर तथा उनकी गवाही पर बहुत भरोसा करता हूं। वे एक स्वार्थहीन व्यक्ति हैं जो कर्मचारियों की ओर से कह रहे हैं। मैंने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने विषय का निष्पादन किया है। यह एक पहला तथ्य है। दूसरी बात यह है कि जिस स्थान को इस दुर्घटना का केन्द्र माना गया है जहां कि खदान का विस्तार हो रहा था जहां कि यह हो सकती थी—वहां और उसी क्षण देखभाल करने वाले विभाग के तीन व्यक्ति पाये गये थे। यह काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि कोई बात वहां गलत हो रही होती, अथवा गैस वहां विस्फोटक स्थिति तक तैयार हो रही होती तो ये लोग उसके बारे में पता कर लेते क्योंकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी लम्प इत्यादि की लम्बाई के बारे में जानकारी रखता है। वहां ये लोग मौजूद थे और यदि उन्हें इसका ज़रा सा भी सन्देह होता तो वे कर्मचारियों को बहुत पहले ही रोक लेते। यह बात मेरी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे व्यक्ति अपने आपको खतरे में नहीं डालते। कोई भी अपने आप मरना नहीं चाहता।

कुछ और भी एसी भी बातें हैं जिन के बारे में कुछ और ध्यान देने की आवश्यकता है। किन्तु जहां तक कि जांच समिति के प्रतिवेदन की बात है मैं तो नहीं समझता कि उसके फिर से जांच कराने की आवश्यकता है। इस समिति ने जो सिफारिशें की हैं मैंने उन्हें पढ़ा है और मैं समझता हूं कि वे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारा कार्यक्रम प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कोयला

निकालने का है और कोयला खदानों को पृथ्वी के भीतर अधिक से अधिक गहरा बनाने का है। जब खदानें गहरी हो जायेंगी तो मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। हमारे सामने गैस वाली खानों की समस्या है। मेरा विचार है कि इसके बारे में और अनुसंधान की आवश्यकता है क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसलिए अनुसंधान की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है तथा इस सम्बन्ध में जो और महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं उन पर विचार किया जायेगा और उनकी जांच की जायेगी। और हमारा विचार ऐसा करने का है।

न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में भी एक दो बातें हैं। एक तटस्थ दर्शक वहां गया। पहली बार यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। यह सरकार तथा सभी दलों की सहमति से किया गया था। हमारे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उन्होंने आज्ञा नहीं दी। मैं कह नहीं सकता कि उन में आपस में मतभेद था। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि किसी प्रकार मैं अदालत की बुराई कर रहा हूं किन्तु यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आज्ञा क्यों नहीं दी गई। पहले तो अदालत ने इसकी सिफारिश की थी अथवा इसे स्वीकार किया था किन्तु खदान प्रबन्धक-मंडल ने अपनी सम्पत्ति, अपने अधिकार आदि की बातें कहीं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अतः विधि में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को हर समय अन्दर आने की आज्ञा मिलनी चाहिए। किन्तु अब इस स्थिति के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।

अब भविष्य के बारे में प्रश्न उठता है। भविष्य के लिए यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए हम यथासाध्य प्रयत्न करें। खदान विभाग के बारे में केवल एक बात है। प्रबन्धक-मंडल, निरीक्षालय आदि का उल्लेख किया गया था उन व्यक्तियों के मत्थे इतना दोष मढ़ा गया था। किन्तु यहां कुछ नहीं कहा गया। यदि मुझे इसके बारे में लिखा गया होता तो मैंने अवश्य ही इसकी जांच करा ली होती। क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूं कि यह विभाग उचित रीति से कार्य करे। इस विभाग को वहां बहुत सा कार्य करना होता है किन्तु इस विभाग में पूरे कर्मचारी भी नहीं हैं। किन्तु फिर भी इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। उनके सामने कठिन कार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि वे ठीक ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इसका निरीक्षण भली भांति किया। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उसी समवाय के अधीन एक दूसरी खदान में जो कि कुछ दिन पूर्व ही बन्द कर दी गई थी उसके साथ बड़ी सख्ती का बर्ताव किया गया था। अतः यह कहना कि इस समवाय के साथ पक्षपात किया गया था ठीक नहीं है

श्री ग्रैवाल का उल्लेख किया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या उसका नाम लेना वह उपयुक्त था। किन्तु यदि उनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिससे पता चलता है कि वह इस स्थान के लिए अनुपयुक्त हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसकी जांच करें। अगर किसी ने कोई भूल की है तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अमुक अमुक बात क्यों नहीं की गई। बिना जांच के हमें कोई बात नहीं कहनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई माननीय सदस्य कोई आरोप लगाते हैं तो मैं उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि खदानों के मुख्य निरीक्षक किसी संस्था के सदस्य हो गये हैं। वह कोई और ग्रेवाल होंगे। मैंने इस की जांच की है और वह किसी संस्था के सदस्य नहीं हैं। और न वह कभी थे।

मैं समझता हूं कि यहां उठाई गई बहुत सी आपत्तियों का मैंने उत्तर दे दिया है। अन्त में मैं यह आश्वासन देता हूं कि उन सभी अनियमितताओं के बारे में, जैसे कि हाजरी रजिस्टर आदि; पूरी पूरी जांच की जायेगी। किन्तु जांच अदालत के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि

[श्री नन्दा]

फिर से जांच कराने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता । मैं यह भी जानता हूं पक माननीय प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य यह है कि फिर से जांच कराई जाये किन्तु सभी बातें स्पष्ट हैं अतः दुबारा जांच की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

एक माननीय सदस्य ने आग लगने के कारण के बारे में पूछा है । यह एक विवादास्पद बात है माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रश्न किया है यदि वह प्रतिवेदन देखें तो उन्हें इस बात का पता चल जायेगा कि आग लगने के कारण के बारे में वे सभी लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हैं । यहां तक कि अदालत भी इसके बारे में अन्त तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है । वह कुछ निश्चय नहीं कर सकी है । इसका यह कारण था कि उसके पास इस बात को मानने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि आग लगने का सही कारण क्या था । काफ़ी देर के बाद लोक्रो की बात उठी । आग लगने के कई कारण हो सकते हैं उनमें से कुछ तो ठीक नहीं हैं और कुछ ठीक हैं । कुछ मित्रों ने जो सुझाव दिये हैं वे संभावित कारण हो सकते हैं । किन्तु फिर भी उनके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री ने, जो बातें यहां उठाई गई थीं, उनका ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया है ।

सब से पहली बात तो यह है कि क्या हम जांच अदालत के निर्णयों को रद्द कर सकते हैं ? इसके विधिक महत्व की बात तो मैं नहीं लेती किन्तु एक उदाहरण अवश्य देती हूं कि महबूब नगर रेल दुर्घटना जांच अदालत के निर्णय, जिसकी अध्यक्षता बम्बई उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश ने की थी और उसमें एक इंजीनियर को अपराधी ठहराया था, सरकार ने अस्वीकार कर दिये थे ।

दूसरी बात निरंतर उल्लंघन की है चाहे वे उल्लंघन स्टोन डस्टिंग के बारे में हो, चाहे मामूली आग के बारे में हो चाहे विस्फोट के बारे में हो अथवा हाज़री रजिस्टर के बारे में हो । एक उल्लंघन के बाद दुबारा उल्लंघन किये गये हैं । और हो सकता है कि इन्हीं उल्लंघनों के परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई हो । फिर इन उल्लंघनों के विरुद्ध हम ने कठोर कार्यवाही क्यों नहीं की ? कोयला की धूल भी विस्फोट का एक कारण हो सकती है ।

तटस्थ दर्शक ने जितनी भी बातें कही वे सब इस अदालत द्वारा अस्वीकार कर दी गईं । यह तो कोई बात नहीं हुई कि इस तटस्थ वैज्ञानिक ने जो भी कहा वह तो अस्वीकार कर दिया गया और प्रबन्धक-मंडल ने जो कुछ कहा वह स्वीकार किया गया ।

उस तटस्थ दर्शक ने कहा है कि भग्न टोपियां वहां पाई गई थीं जिनसे भी इस बात की पुष्टि हो जाती है । दूसरी ओर श्री बादामी की बातों को भी अदालत ने यह कहकर टाल दिया कि हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहा हो । हालांकि श्री बादामी स्वयं वहां गये थे और स्वयं उन्होंने सब बातों को वहां देखा था । यह कोई मामूली बात नहीं है ।

हावड़ा खदान दुर्घटना भी उसी दिन हुई थी और उसके लिए भी जांच अदालत बैठाई गई थी । उस जांच अदालत ने कहा है कि खदान का प्रबन्धक-मंडल इस दुर्घटना का उत्तरदायी है । लेकिन यहां ऐसी बात नहीं कही गई है ।

निरीक्षलय के बारे में भी माननीय मंत्री ने खानापूरी की है । मैंने किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये हैं । मेरे कहने का अभिप्राय तो केवल यही है कि वह वहां तक गये

---

†मूल अंग्रेजी में

और खदान के अन्दर तक नहीं गये जब कि अन्य दूसरे व्यक्ति वहां अन्दर थे । और वहां इतने व्यक्तियों की जानें गईं अतः इसी आधार पर वे अनुपयुक्त हैं और उन्हें नौकरी से अलग कर देना चाहिए ।

खदान विभाग में आजकल जो भूलें हो रही हैं वे भी उसे इसके लिए उत्तरदायी बताती हैं । निरीक्षालय के पदाधिकारी विभिन्न प्रकार की चिटें लिखते रहते हैं जबकि नियमानुसार ये चिटें केवल मुख्य निरीक्षक द्वारा ही लिखी जा सकती हैं । नियमानुसार मुख्य निरीक्षक द्वारा ही निर्णय लिया जाना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता । ये ही ऐसी बातें हैं जिन से हम सोचते हैं कि निरीक्षालय में कुछ गड़बड़ी है । हो सकता है कि इस विभाग के छोटे अधिकारी बड़ी कठिनाई से कार्य करते हों उन्हें काफ़ी परिश्रम भी करना पड़ता हो किन्तु हमें यह देखना है कि भूल कहां हुई । अतः हम कह सकते हैं कि वहां उल्लंघन होता है और वह उल्लंघन प्रतिवर्ष होता है और बराबर होता रहता है ।

मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि इन चीज़ों को महत्व देना चाहिए । उल्लघन करना एक बहुत ही गम्भीर बात है । या तो हम खदान सुरक्षा नियमों को समाप्त कर दें अथवा उनके बारे में गम्भीरता से कार्य लें । यदि आप सिद्धान्त को नहीं मानते तो आपको अनुसंधान करना चाहिए । आप जब सीधे सादे सुरक्षा नियमों को क्रियान्वित नहीं कर सकते तो फिर अनुसंधान करने से क्या लाभ ?

दुर्घटना के समय वहां तीन निरीक्षकों का होना माननीय मंत्री के लिए एक आश्चर्य की बात है किन्तु इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । हमें तो यह देखना है कि किस प्रकार घटनाएं घटीं । मेरा तो यही कहना है कि इस मामले में काफ़ी उल्लंघन किया गया है ।

यदि आप प्रतिवेदन देखें तो आप को पता चल जायेगा कि मृतकों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े भी सही नहीं हैं । मृत्यु का दायित्व भी प्रबन्धक मंडल और खदान विभाग के ऊपर नहीं लगाया गया है ।

माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जांच अदालत की प्रक्रिया से वह स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं । किन्तु फिर भी उन्होंने इसकी प्रशंसा की है और कहा है कि फिर से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मेरा निवेदन है कि यहां फिर से जांच कराने का मामला है । क्योंकि यदि इन उल्लंघनों के आधार पर वे दंड देना प्रारम्भ करें तो समवाय और निरीक्षालय को अपनी भूलों का और विशेष रूप से खदान मुख्य निरीक्षक को अपनी भूलों के लिए उत्तर देना होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोंदय** : क्या श्री वाजपेयी अपना संशोधन सभा में मतदान के लिए रखवाना चाहेंगे ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं उनका संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि वह अपना संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले रहे हैं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार ३, अप्रैल १३५९/१३ चैत्र १८८१ (शक) के ग्यारहे बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४४९३—४५२०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१६१४	कोचीन में नौसैनिक स्कूल	४४९३–९४
१६१५	जीव-रसायन तथा प्रयोगात्मक औषधि संबन्धी भारतीय संस्था, कलकत्ता . . .	४४९४–९५
१६१७	राष्ट्रमंडलीय आर्थिक परामर्श परिषद्	४४९५–९६
१६१८	भारत सहायता सम्मेलन . .	४४९६–९८
१६१९	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में भर्ती .	४४९८–९९
१६२०	दिल्ली में भूमि का मूल्य . .	४४९९–४५००
१६२१	निर्वाचन अधिकारियों की कान्फ्रेंस .	४५००–०१
१६२२	फैरो-मैंगनीज का निर्यात .	४५०१–०२
१६२३	जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली .	४५०३–०४
१६२४	सौराष्ट्र में गुफायें	४५०४–०५
१६२५	शारीरिक शिक्षा	४५०५–०६
१६२६	राज्यों में प्राथमिक शिक्षा	४५०६–०७
१६२७	कोयला धोने के कारखाने . .	४५०७–०८
१६२९	योग्यता छात्रवृत्तियों के लिये परीक्षा केन्द्र . .	४५०८–०९
१६३१	हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड	४५०९–१०
१६३२	ओसिया (राजस्थान) में प्राचीन मन्दिरों आदि के अवशेष .	४५१०–११
१६३३	तिब्बत को भारतीय विद्वानों का भेजा जाना . . .	४५११–१२
१६३४	केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था, लखनऊ . .	४५१२–१३
१६३५	धुआं रहित घरेलू कोक	४५१३–१४
१६३६	आसाम आयल कम्पनी की आस्तियां . . .	४५१४–१५
१६३७	लापता विमान	४५१५—१८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
१७ लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग . .	४५१८—२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४५२०—३८
तारांकित प्रश्न संख्या	
१६१६ हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज . . .	४५२०
१६२८ त्रिपुरा को सामान का भेजा जाना	४५२०–२१
१६३० अध्यापकों के शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन	४५२१
१६३८ यूनेस्को . .	४५२१
१६३९ दुष्कृति के लिये राज्य का उत्तरदायित्व .	४५२१–२२
१६४० निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी समिति	४५२२
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२६३७ पंजाब को बेरोजगारी सहायता	४५२२
२६३८ धन-कर .	४५२३
२६३९ कोयले का उत्पादन . . .	४५२३
२६४० पंजाबी नाटक का विकास . .	४५२३–२४
२६४१ निजी थैलियां	४५२४
२६४२ उप-निर्वाचन .	४५२४
२६४३ संस्कृत का विकास . .	४५२४
२६४४ बम्बई राज्य में समाज कल्याण केन्द्र .	४५२५
२६४५ खनन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें	४५२५
२६४६ कोयले का निर्यात .	४५२६
२६४७ खानों के विदेशी स्वामी .	४५२६
२६४८ खानों के स्वामी .	४५२६
२६४९ पूर्वेक्षण व खनन लाइसेंस	४५२६–२७
२६५० पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र .	४५२७
२६५१ वैज्ञानिकों का केन्द्रीय 'पूल' . .	४५२८
२६५२ मैट्रिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	४५२८

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६५३	'भारत १९५८' प्रदर्शनी में जेब काटने की घटनायें .	४५२८--२९
२६५४	नगर निर्वाचन . . .	४५२९
२६५५	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों का कल्याण .	४५२९
२६५६	स्टेनलैस स्टील का आयात . .	४५२९–३०
२६५७	कोयले का परिवहन . . .	४५३०
२६५८	संघ-राज्य क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें .	४५३०–३१
२६५९	हिमाचल प्रदेश में दरिद्र छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां	४५३१
२६६०	हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के भवन	४५३१–३२
२६६१	हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के सेवा निवत्ति वेतन	४५३२
२६६२	ट्रैक्टरों और ट्रकों का निर्माण	४५३२
२६६३	बम्बई राज्य में लौह अयस्क के निक्षेप . .	४५३३
२६६४	भारत में पश्चिमी जर्मनी के धन विनियोग में जोखिम की गारंटी	४५३३
२६६५	भारत में धर्म प्रचारक . .	४५३३
२६६६	अफीम कारखाना, गाजीपुर	५४३३–३४
२६६७	भारत में पाकिस्तानी	४५३४
२६६८	जीवन बीमा निगम .	४५३४
२६६९	मद्रास राज्य में राजनीतिक पीड़ित	४५३४–३५
२६७०	मद्रास राज्य में इस्पात संयंत्र की स्थापना	४५३५
२६७१	भारत प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) परीक्षा .	४५३५
२६७२	मल का सर पर ढोना . .	४५३६
२६७३	असिस्टेंट के स्थानों के लिये विभागीय परीक्षा, १९५८	४५३६
२६७४	दिल्ली में जोती जाने वाली भूमि . .	४५३६–३७
२६७५	मनीपुर के हाई स्कूलों में हिन्दी अध्यापक	४५३७
२६७६	भारत में ईसाई प्रचारक .	४५३७
२६७७	संग्रहालय . .	४५३७–३८

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ४५३८—४९

अध्यक्ष महोदय ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा पीकिंग के 'पीपुल्स डेली' के एक लेख को, जिसमें तिब्बत की घटनाओं के सिलसिले में कुछ लोगों द्वारा कालिम्पोंग को प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है समाचार-पत्रों को देने, और एक वक्तव्य में, जो कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के सचिवालय द्वारा जारी किया गया इस विषय पर कुछ बातों के बारे में, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री खाडिलकर ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ४५४९

प्रधान मन्त्री ने बेरुबाड़ी यूनियन और कूच बिहार बस्तियों की अदला-बदली के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ हुए करार को क्रियान्वित करने के बारे में कुछ बातों को उच्चतम न्यायालय को राय जानने के लिये सौंपने के राष्ट्रपति के निर्णय के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४५४९—५०

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४० की एक प्रति ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) उत्तर-पूर्वी भारत नमक नियम, १९३९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ३३९ ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ३५० ।

(३) खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में, जिसका सरकार ने अस्थायी रूप से निर्णय किया है, एक वक्तव्य ।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५३—८५

(१) वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) परिवहन तथा संचार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरंभ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव . . . ४५८६—४६०१

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्रस्ताव किया कि चिनाकुरी कोयला खान दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन पर, जो १६ फरवरी, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने वाद विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९५९/१३ चैत्र, १८८१ (शक) के लिए कार्यावलि—

परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा, और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।